पंचदश माला, खंड 22, अंक 23

बुधवार, 28 दिसम्बर, 2011
7 पौष, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 22 April 2014

(खण्ड 22 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

रेनूबाला सूदन
सहायक सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

©2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 22, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 23, बुधवार, 28 दिसम्बर, 2011/7 पौष, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
सभा पटल पर रखे गए पत्र	4-5
राज्य सभा से संदेश	5
प्राक्कलन समिति	
13वां प्रतिवेदन	6
लोक लेखा समिति	
47वें से 51वां प्रतिवेदन	6-7
न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 और संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन).	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सलमान खुर्शीद	7-11
श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा	11-19
श्री मनीष तिवारी	19-26
श्री शैलेन्द्र कुमार	26-30
श्री विजय बहादुर सिंह	30-37
श्री अर्जुन राय	37-42
श्री कल्याण बनर्जी	54-60
श्री आर. थामराईसेलवन	60-62
श्री ए. सम्पत	62-67
श्री पिनाकी मिश्रा	67-73
श्री चंद्रकांत खैरे	73-75
श्री एस. सेम्मलई	75-79
डॉ. संजीव गणेश नाईक	79-80
श्री नामा नागेश्वर राव	80-82

विषय		कॉलम
	श्री संजय सिंह चौहान	82-83
	श्री गणेश सिंह	83-86
	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	86-90
	श्री प्रबोध पांडा	91-93
	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	93-96
	डॉ. मिर्जा महबूब बेग	96-98
	श्री नरहरि महतो	98-99
	श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर	101-102

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नागपुर में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत विविध परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 42-43

(दो) महाराष्ट्र के मुम्बई में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के मौजूदा स्मारक के निकट और अधिक भूमि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड 43-44

(तीन) केरल में हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत लोगों के कल्याण और ऋण राहत हेतु निर्धारित धनराशि को जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन 44-45

(चार) राजस्थान के जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सांभर साल्ट एवं हिन्दुस्तान साल्ट नामक दो कंपनियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री लालचन्द कटारिया 45

(पांच) मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील में एसडीओ (दूरसंचार) की नियुक्ति किए जाने और उक्त तहसील को अलग एसटीडी कोड भी आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री नारायण सिंह अमलाबे 45-46

(छह) देश में अत्यंत कम जनसंख्या वाले अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस 46-47

(सात) मध्य प्रदेश के इंदौर में बीएसएनएल के कार्यालय में केबल और उपकरणों की कमी को दूर करने और वहां दूरसंचार सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती सुमित्रा महाजन 47-48

(आठ) मध्य प्रदेश की जबलपुर छावनी में बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में असैन्य क्षेत्र को बढ़ाए जाने और छावनी क्षेत्र में अधिरोपित करों को युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह 48

विषय		कॉलम
(नौ)	बेकरी मालिकों को सस्ती दरों पर गेहूं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	48-49
(दस)	मध्य प्रदेश के दमोह में एक्सप्रेस और सुपरफास्ट रेल गाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री शिवराज भैया	49
(ग्यारह)	आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती ऊषा वर्मा	49-50
(बारह)	इलाहाबाद में वर्ष 2012-13 में होने वाले कुंभ मेले के लिए धनराशि की स्वीकृति के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदन दिए जाने की आवश्कयता	
	श्री कपिल मुनि करवारिया	50
(तेरह)	बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच सप्तक्रांति एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12557 और 12558) में पर्याप्त संख्या में वातानुकूलित कोच उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	50-51
(चौदह)	तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में डीआरडीओ के प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री आर. थामराईसेलवन	51
(पन्द्रह)	महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लोनार क्रेटर झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने और वहां पर्यटकों की आवाजाही के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	51-52
(सोलह)	मंगलोर एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 6107) और टी गार्डन एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 6865) में एस.एल.आर. कोचों के स्थान पर वी.पी.यू. कोच उपलब्ध कराए जाने और तमिलनाडु के तिरूपुर जिले में स्थित उठुकुली में टी गार्डन एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सी. शिवासामी	52
(सत्रह)	दक्षिण पूर्व रेल के अंतर्गत खड़गपुर में रेल चालक प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रबोध पांडा	52-53
(अठारह)	राज्यों में विधान परिषद् के सदस्यों के चुनाव में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मतदान का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	53
(उन्नीस)	बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और बीज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री ओम प्रकाश यादव	53-54
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण		
	श्री सलमान खुर्शीद	102-107

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 28 दिसम्बर, 2011/7 पौष, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय): श्री गुलाम नबी आज़ाद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) महात्मा गांधी इंस्ट्टियूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्ट्टियूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6092/15/11]

(2) (एक) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6093/15/11]

(3) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी अधिनियम, 2008 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2010 जो 6 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 296 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2011 जो 3 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. जीआईपी/डीडीए/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एलटी 6094/15/11]

(5) नागरिकता अनिधियम, 1955 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 493 (अ) जो 8 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचित किया गया है कि निदेशक, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी के पद को उक्त अधिनियम की धारा 7 ख की उपधारा (2) के खण्ड (i) में उल्लिखित प्रतिषेध के दायरे से बाहर रखा जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6095/15/11]

श्रम और रोज़गार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) एम्प्लाईस स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) एम्प्लाईस स्टेट इंश्योरेंस कार्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6096/15/11]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6097/15/11]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया एण्ड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्कारण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया एण्ड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्कारण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6098/15/11]

(2) (एक) नेशनल प्रोडेक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे।

(दो) नेशनल प्रोडेक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6099/15/11]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6100/15/11]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूटर्स ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयसर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6101/15/11]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण):-

(क) (एक) कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6102/15/11]

(ख) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6103/15/11]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी 6104/15/11]

पूर्वाह्न 11.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 27 दिसंबर, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय नियति-आपात बैंक (संशोधन) विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 27 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये आढ़ती विनियमन विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

पूर्वाह्न 11.02$^{1}/_{2}$ बजे

प्राक्कलन समिति

13वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा):

मैं विद्युत, कोयला और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'विद्युत उत्पादन मांग और आपूर्ति' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.2$^{1}/_{2}$

लोक लेखा समिति

47वें से 51वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): अध्यक्ष महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय सेना में राशन की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन' के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(2) रक्षा मंत्रालय से संबधित 'कैंटीन भंडारण विभाग' के बारे में 48 वां प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (संचार विभाग) से संबंधित 'सार्वभौमिक सेवा बाध्यता (यूएसओ) निधि' के संबंध में समिति के 14वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 49वां प्रतिवेदन।

(4) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में आपदा प्रबंधन और भूमि प्रबंधन' के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 50वां प्रतिवेदन।

(5) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में माल भाड़ा तथा वैगन प्रबंधन' के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक

सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 51वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: हम कुछ देर बाद नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे क्योंकि वे अभी तक तैयार नहीं हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 और संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010

(अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हम मद संख्या 12 और 13 को एक साथ लेंगे, जो कि हैं, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 तथा संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010 जो अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन करता है। अब, माननीय मंत्री।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप क्या कर रहे हैं? इसे आप नीचे रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: नहीं, आप हर समय संसद की अवमानना नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कृपया इस सभा का अपमान न करें।

...(व्यवधान)

डॉ. एन. शिवप्रसाद (चित्तूर): मैंने सूचना दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप इसे नीचे रखकर बात कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि न्यायिक मानक अधिकथित करने और न्यायाधीशों की जवाबदेही का उपबंध करने और उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कदाचार या उसकी अक्षमता के संबंध में व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में अन्वेषण करने के लिए विश्वसनीय और समीचीन तंत्र की स्थापना करने और ऐसे अन्वेषण के लिए प्रक्रिया विनियमित करने; तथा किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए कार्यवाही के संबंध में संसद द्वारा राष्ट्रपति को संबोधन पेश करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरूद्ध शिकायतों के बारे में जांच करने और समुचित कार्रवाई की सिफारिश करने, न्यायाधीशों की आस्तियों और दायित्वों की घोषणा को समर्थ बनाने और न्यायाधीशों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले न्यायिक मानकों को अधिकशित करने के उद्देश्यों को प्राप्त करना है ये विषय दोनों पक्षों के सदस्यों को अत्यन्त प्रिय है। इस विधेयक का आशय न्यायाधीश (जांच) अधीनियम 1968 का प्रतिस्थापन करना है। इसमें अनेक मूल विशेषतायें हैं जो बरकरार रखी गई है और अनेक ऐसे महत्वपूर्ण सुधार करने हैं जो माननीय सदस्यों को भी मान्य होंगे। यह विधेयक लोक सभा में दिसम्बर 2010 को पुरस्थापित किया गया था तथा इसे जांच एवं प्रतिवेदन देने के लिये कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय समिति को भेजा गया था। संसदीय स्थायी समिति ने व्यापक विचार विमर्श किया था

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: कृपया इस सभा में व्यवस्था बनाये रखें।

श्री सलमान खुर्शीद: इसने अपने प्रतिवेदन जिनमें अनेक सिफारिशें हैं को अन्तिम रूप देने से पहले सरकारी अधिकारियों, विधि विशेषज्ञों, गणमान्य व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ विचार विमर्श किया। इसे संसद को 30/08/2011 को प्रस्तुत किया गया था।

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर पूरे सम्मान के साथ विचार किया गया है और उनमें से अनेक को संशोधनों द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है जिन्हें हमें इस सभा में प्रस्तुत करना है।

जैसा कि माननीय सदस्य देखेंगे इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में राष्ट्रीय न्यायिक पर्यवेक्षण समिति नामक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय का गठन करना है जो न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार या अक्षमता से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिये जिम्मेदार होगा तथा शिकायत संवीक्षा पैनल जिसका गठन दोनों जगह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में होगा। पर्यवेक्षण समिति को कभी भी जांच समितियों का गठन करने का अधिकार होगा जब शिकायतों को देखने के बाद उसे लगे कि यह प्रक्रिया आवश्यक है। सभी संवीक्षा, पूछताछ एवं जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: इसको नीचे रखिये।

[अनुवाद]

आप इस सभा का अपमान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आप इसे बिल्कुल नीचे रखिए।

[अनुवाद]

आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आप यहां प्रत्येक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। यह कोई सड़क नहीं है, यह सभा है। इसे नीचे रखिये। आप दोनों बैठिए। सभा का अपमान मत कीजिये। माननीय मंत्री कृपया अपनी बात रखें।

...(व्यवधान)

श्री सलमान खुर्शीद: इस विधेयक में न्यायिक जीवन के सर्वस्वीकृत मूल्यों, दिशानिर्देशों एवं परम्पराओं जिसका अनुपालन किसी न्यायाधीन द्वारा किया जाना होता है तथा न्यायाधीशों, उनके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों द्वारा परिसंपत्तियों और देयताओं की अनिवार्य घोषणा का प्रावधान है। दर्शनीय पारदर्शिता समय की आवश्यकता है। इससे उच्च न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायतें दर्ज हो सकेंगी। न्यायाधीशों और उनके आश्रित बच्चों द्वारा परिसंपत्तियों देयताओं की घोषणा वेबसाइट पर पारदर्शिता एवं लोक संवीक्षा के उद्देश्यों से डाली जाएगी। संसद की सर्वोच्चता बनी रहेगी तथा अन्तिम विश्लेषण यह है कि संसद को न्यायाधीशों को संविधान के अन्तर्गत हटाना होगा। इस विधेयक के अधिनियमन से अवश्य ही सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के मानदण्डों के बारे में बढ़ रही चिन्ताओं का समाधान करने में मदद मिलेगी। चूंकि हम न्यायालयों में अपने न्यायाधीशों को उच्च सम्मान देते हैं, यह आवश्यक है कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को सुदृढ़ किया जाए और भविष्य में इसे पारदर्शिता एवं जवाबदेही से सशक्त बनाया जाए। यह जवाबदेही मूल रूप से न्यायपालिका की स्वतन्त्रता से जुड़ी हुई है। मुझे विश्वास है कि सभा इस मत से सहमत होगी कि पारदर्शिता एवं स्वतन्त्रता मूल रूप से जुड़ी हुई है। इसलिये यह महसूस किया जाता है कि प्रस्तावित विधेयक से भारत में न्यायपालिका संस्था को जवाबदेह बनाकर सुदृढ़ किया जा सकता है तथा न्यायपालिका संस्था में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

इसके अलावा संवैधानिक संशोधन का आशय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करना है। जैसा कि सभा को ज्ञात है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में अत्यंत विलम्ब का सामना करना पड़ता है। प्राय: इसका कारण इस कालेजियम प्रणाली की जटिलता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के चरण पर अच्छे अभ्यर्थियों का उपलब्ध नहीं होना है जिनकी नियुक्ति 44 वर्ष की आयु पर होती है जो युवा वकीलों के लिये अच्छे न्यायाधीश बनने की क्षमता दर्शाने का सर्वोत्तम समय होता है। उच्च न्यायालयों में अभी भी बहुत रिक्तियां हैं। विशेषकर मेरे राज्य उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में ऐसा महसूस किया गया है कि आयु को 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने से हमें अगले तीन वर्षों में अत्यंत महत्वपूर्ण समय मिल जाएगा जिसके दौरान हमें एक मिशन के रूप में होने वाले विलम्ब एवं लम्बित मामलों एवं बकायो में कमी करनी है जो अनेक वर्षों से बढ़ते रहे हैं तथा इस 15 वर्षों से घटाकर लगभग तीन से पांच वर्ष करना है।

यह दोतरफा रणनीति होगी। यदि हम मामलों में विलम्ब और उनके लंबित होने के विषय को एक मिशन के रूप में लें तो भी हमें योग्य अनुभवी न्यायाधीश उपलब्ध होंगे जिनके पास 62 वर्ष की आयु में भी अत्यंत न्यायिक योग्यता शेष रहती है तथा हमें आशा है कि इससे अच्छे लोग न्यायपालिका को एक कैरियर के रूप में देखेंगे क्योंकि वास्तव में जब उन्हें खंडपीठ में नियुक्ति

का प्रस्ताव दिया जाता है तो वे गणना करना शुरू कर देते हैं कि वे खंडपीठ में कितने वर्षों तक रहेंगे और यह भी कि सेवानिवृत्ति के बाद वे क्या करेंगे।

इसलिए हमारा मानना है कि यह सर्वस्वीकृत लाभकारी कदम है जो हम अपने देश में न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये उठा सकते हैं।

महोदया, मैं यह बता रहा हूं कि शेष विश्व में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश काफी बाद की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पूरे जीवन कार्य करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायधीश 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं। इसलिये ऐसा होने के कारण कि अब हमारे यहां प्रत्याशित आयु बढ़ गई है एवं बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं और समाज के उन सोपानों जहां से हमें सफल वकील मिलते हैं बेहतर स्वास्थ्य की स्थितियां मौजूद है, इसलिये हमारा मानना है कि आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना लाभकारी होगा।

महोदया, आपकी अनुमति से मैं इन दो अत्यंत लाभकारी विधानों के लिये सभा का सर्वसम्मत सहयोग मांगता हूं और मैं सभा से इन्हें विचारार्थ लेने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि न्यायिक मानक अधिकथित करने और न्यायाधीशों की जवाबदेही का उपबंध करने और उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कदाचार या उसकी अक्षमता के संबंध में व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में अन्वेषण करने के लिए विश्वसनीय और समीचीन तंत्र की स्थापना करने और ऐसे अन्वेषण के लिए प्रक्रिया विनियमित करने; तथा किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए कार्यवाही के संबंध में संसद द्वारा राष्ट्रपति को संबोधन पेश करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि भारत के संविधान और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा (बंगलौर उत्तर): महोदया इस विधेयक को मैं सभा में चर्चा हेतु रखे जाने के लिए मैं सभा का और विशेष रूप से विधि और न्याय मंत्री का आभारी हूं। मेरा विचार है कि लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि इस प्रकार का विधान न्यायिक तंत्र तथा न्यायपालिका के भी अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मूलत: यह विधेयक, जो आज पुर:स्थापित किया गया है, यह न्यायिक मानदण्ड और उत्तरदायित्व विधेयक, 2010 हैं। हमारी आशा के विपरीत, संबंधित संविधान संशोधन प्रस्तावित नहीं किए गए थे।

दोनों सभाओं में सदस्यों द्वारा पूछने के लिए अनेक प्रश्न है, मूल प्रश्न यह है कि संविधान में लोकतंत्र के तीन स्तंभों के रूप में तीन स्कंध बनाए गए है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका। मानकी को बनाए रखने के लिए; और तीनों अलग अलक अंगों की आंतरिक पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए ये सभी किसी न किसी कानून द्वारा शासित है। यह प्रश्न उठा कि यह विधियक क्यों लाया गया है। इस संसद का दायित्व क्या है? क्या न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 पर्याप्त नहीं था? क्या 1997 में न्यायाधीशों के आचरण की जांच करने के लिए आंतरिक व्यवस्था रखने का पूर्ण पीठ निर्णय पर्याप्त नहीं था? यह सब था, परन्तु एक मात्र विचारणीय बिन्दु यह था कि उन्हें वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं था। हम आज सर्वोच्च न्यायालय तथा भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों के विचारों का समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं।

मेरा पहला बिन्दु यह है। सभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व इस विधेयक को जांच हेतु समिति के पास भेजा गया था सिफारिशें हमारे समक्ष हैं। जिस महत्वपूर्ण समिति का विधेयक में संदर्भ है वह है नैशनल ज्यूडिशियल ओवरसाइट कमिटी। नैशनल ज्यूडिशियल ओवर साइट कमिटी को पता लगाना है कि न्यायाधीश कैसे व्यवहार करता है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता या सभा की स्वतंत्रता कैसे बनाए रखी जाती है। इसलिए एक स्वतंत्र साविधिक निकाय का गठन किया गया है जिसका नाम नैशनल ओवरसाइट समिति है।

नैशनल ज्यूडिशियल ओवरसाइट कमिटी के पास भेजा जाने से पूर्व मामले को तीन और समिति के पास भेजा जाता है। एक तो मूलत: जांच समिति है, जिसमें केवल न्यायाधीश होते हैं, दूसरी समिति का गठन शिकायतों की विस्तृत जांच करने के लिए हुआ है इसका नाम संवीक्षा समिति है, और बेशक अन्वेषण समिति भी है। इन तीन समितियों का गठन करने के लिए विभिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं।

नेशनल ज्यूडिशियल ओवरसाइट समिटि को विस्तृत संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए जिनमें अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बाहर से सहायता प्राप्त करने का अधिकार शामिल है तथा उनकी विषयवस्तु की परवाह किए बिना न्यायिक मानक प्रदान करने के विचार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पिछले कुछ समय से आम जनता द्वारा न्यायाधीशों से अपील की जाती है या सवाल किए जाते हैं, बार और खंडपीठ तथा न्यायालय में उनका व्यवहार भी जनता और वादियों का ध्यान बड़े पैमाने पर आकर्षित कर रहा है। विधेयक को इन अभिव्यक्तियों या भावनाओं के विरूद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत इससे उन्हें एकल या खंड पीठ न्यायाधीश के निष्पादन के संबंध में अधिक तथा विवरण जानने में आसानी होगी।

नेशनल ज्यूडिशियल ओवरसाइट कमिटी का गठन करते समय समिति की संरचना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह एक न्यायिक निकाय नहीं होना चाहिए जिसमें कोई विधानपालिका सम्मिलित नहीं है, कोई बार सम्मिलित नहीं है; या दुर्भाग्य वश बड़े विधिवेत्ताओं को भी इस समिति का गठन करते समय विश्वास में लिया जाता है। इसलिए महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इतने सारे आयोग हैं जैसे कि मानव अधिकार आयोग और अन्य आयोग भी। आप लोगों की शिकयतों पर कार्रवाई करने के लिए न्यायिक आयोग के गठन के बारे में क्यों नहीं सोचते? संस्थाओं की शिकायते व्यक्तियों की शिकायतों से भिन्न होती है। जब हमने राज्य विधान सभा में लोकायुक्त विधान अधिनियमन किया था, उस समय मुझे विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सत्र की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ था। हम जानते हैं कि कुछ संवैधानिक बाधाएं थीं। तथापि लोकायुक्त के पास भेजे जाने के पश्चात् सत्य सामने आ गया। हमने विधेयक में पूर्ण गोपनीयता की बात की। इसके विपरीत लोकायुक्त की पूरी रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही सार्वजनिक हो गई। इससे सभी को आश्चर्य तथा आपत्ति हुई। दूसरे प्राकृतिक न्याय के पहलू की जांच करने के लिए दिए गए अनिवार्य उपबंध की अपेक्षा की गई। ऐसी बातें प्रस्तुत विधेयक के लिए दिशार्निदेश के रूप में काम करनी चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी स्वयं वरिष्ठ वकील होने के अतिरिक्त सार्वजनिक जीवन में इतने अधिक अनुभवी होने के नाते स्वयं इसकी जांच करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम वकील द्वारा कल कुछ टिप्पणियां की गई थी कि कर्नाटक लोकायुक्त के मामले में नियोक्ता प्राधिकारनी मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस बात पर बल दिया और मैं इस सभा में एक वकील को राजनीतिज्ञ बनता देखकर हैरान था। हमारे बार बार अनुरोध के पश्चात् और हमारे द्वारा कई प्रयासों के पश्चात् हमारी बात को कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया क्योंकि हम आपका ध्यान आकृष्ट नहीं कर सके महोदया। उन्होंने जो कहा सही सही नहीं था। सही स्थिति यह है कि नियुक्ति कॉलेजियम ने की थी जिसमें अध्यक्ष, सभापति और विपक्ष के नेता और बेशक मुख्य मंत्री शामिल थे। अंतत: उन सभी के आपसी परामर्श के पश्चात् यह अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया। उनका विचार प्राप्त करने के पश्चात लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है।

कर्नाटक में आज क्या हो रहा है? मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि बेतुके कारण देकर संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा सिफारिशों की अनदेखी की जाती है। संवैधानिक प्राधिकारी राज्य का राज्यपाल होता है जिसे मंत्री मंडल की सहायता तथा सलाह से कार्य करना होता है बिना कारण बताए उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ऐसी बाते कनार्टक में हमारे अनुभव में आई। काफी लम्बे समय से ऐसा हो रहा था। अभ्यावेदन देने के बावजूद भारत सरकार ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।

संवीक्षा पैनल की संरचना पर आते हुए ओवरसाइट समिति तथा अंतत: अन्वेषण समिति, इन समितियों विशेषत: अन्वेषण समिति को न्यायिक अधिकार क्षेत्र तथा न्यायिक पदानुक्रम को ध्यान में रखना चाहिए। वे अपनी मनमर्जी के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इसे न्यायपालिका तथा न्यायधीश दोनों की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।

किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शिकायत करने के लिए सक्ष्म बनाने का उपलब्ध किया गया है। संसद अध्यक्ष के माध्यम से शिकायत कर सकती है या कोई व्यक्ति शिकायत कर सकता है। इन दोनों के मध्य अंतर की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। यदि मैं विधेयक को ठीक से समझा हूं, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कुछ पहलुओं की विशेषत: समितियों की जांच की जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा है।

समितियां साथ-साथ क्या कार्य करती हैं और समितियों में केवल न्यायाधीश होते हैं पर मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि उनमें प्रतिष्ठित विधिशास्त्री नहीं होते। संसद या विधानपालिका के प्रत्येक सदस्य को चुनाव लड़ने से पूर्व अपनी संपत्तियों, आस्तियों और दायित्वों की घोषणा संबंधित अधिकारियों के समक्ष करनी चाहिए। यह बात सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ध्यान में लाई गई। उन्होंने इसका संज्ञान लिया और एक कानून बनाया या मैं कहूंगा न्यायिक जांच अधिनियम बनाया। 1997 में पूर्णपीठ समिति द्वारा इसकी पुन: समीक्षा की गई तथा इसे पुन: कहा गया। इस समिति ने इस पहलू को अपने अधिकार क्षेत्र में अपना लिया है। परन्तु इसके संबंध में कोई विधिक आधार नहीं था। चाहे कोई अपने परिवार के संबंध में ब्यौरा दे। जिसमें उसके मित्रों और संबंधियों के संबंध में और ब्यौरे शामिल है। इस संबंध में निर्धारित सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए एक प्रतिषेधक है और दूसरी न्यायाधीश के कलियम क्रियाकलापों के संबंध में है। निषेध में अनुसरण हेतु कुछ आचरण मानकों का अनुपालन न करने के आधार पर की जा सकती है।

अन्य समस्याएं कुछ क्रियाकलापों से संबंधित है जैसे कि भ्रष्टाचार, अधिकार का अपनी मन मर्जी से उपयोग या दायित्वों को निभाने में सतत असफलता विधेयक के तहत निषिद्ध क्रियाकलाप हैं–बार के किसी वैयक्तिक सदस्य जो उसी अदालत में प्रैक्टिस

करता हो, से निकट संबंध, बार के किसी सदस्य जो उसी अदालत में प्रैक्टिस करता हो, से निकट संबंध; बार के वैयक्तिक सदस्यों को न्यायाधीशों के आवास पर आने की अनुमति कार्यालय में व्यावसायिक कार्य करना; ऐसे मामलों की सुनवाई या निर्णय करना जिसमें न्यायाधीशों के परिवार, या संबंधी या मित्र शामिल है, सार्वजनिक चर्चा में भाग लेना यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है–राजनैतिक मामलों के संबंध में जिसका निर्णय न्यायाधीश द्वारा किए जाने की संभावना हो; ट्रेड, व्यापार या सट्टेबाजी में लगे हैं।

हाल ही में, मीडिया द्वारा अदालत का प्रत्येक तर्क, प्रत्येक शिकायत, लगभग प्रत्येक टिप्पणी मीडिया के माध्यम से नोटिस की जा रही है। मीडिया इतना सक्रिय है कि ब्यौरे का प्रत्येक अंश जन सेवा में प्रस्तुत कर दिया जाता है। उनका धन्यवाद परन्तु उन्हें जानना चाहिए कि इन मामलों को उठाते समय हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय में कुछ चीजें हुई। मैं इसे माननीय सभा के ध्यान में नहीं लाना चाहता परन्तु मैं माननीय मंत्रीजी से बात कर सकता हूं और उन्हें जो कुछ चल रहा है उसके संबंध में आश्वस्त कर सकता हूं।

जैसा कि मैंने पहले कहा, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग ने 2006 में मामले की जांच की है और कुछ संशोधनों की सिफारिश की है। इसने एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् की स्थापना की मांग की। तथापि विधेयक व्यपगत हो गया है। इसलिए आज की तात्कालिकता यह है कि हमारे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इनका विश्लेषण किया जाना है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या विधेयक में प्रस्तावित प्रणाली के द्वारा स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन बनाए रखा जाता है। ओवर साइट समिति में गैर न्यायिक सदस्य है जो न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर हमला कर सकती है।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि न्यायपालिका को यह नहीं मानना चाहिए कि इन समितियों द्वारा उनके अधिकारों में अनधिकार हस्तक्षेप किया गया है। विधेयक में प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है जो शिकायत की गोपनीयता को भंग करता है। स्वयं संस्थान के विरूद्ध शिकायत का क्या? उसकी जांच की जानी है। संवीक्षा पैनल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। यह उच्चतम न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया से भिन्न है। उच्चतम न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया में अन्य नियम भी निर्धारित किए गए हैं और मुझे लगता है कि ओवर साइट समिति में गैर-न्यायिक सदस्य भी होने चाहिए जो या तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या सम स्तरीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हों।

विधेयक में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या इन सभी जांचों के बाद यदि मामला संकल्प के पश्चात् राष्ट्रपति के समक्ष भेजा गया है तो इसकी अपील या रिट याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे जांच की जानी चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। सामान्यत: अदालत में राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु यहां, इस वर्जन को नहीं माना गया है। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के दायरे में जांच के लिए दो मामले हैं। मेरे विचार से एक सौमित्र सेन का है जो उनके स्वयं के द्वारा निपटा दिया गया है और हमारे समक्ष लम्बित एक मात्र मामला न्यायमूर्ति दिनाकरन का है जो उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। मामला अभी भी लम्बित है। किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए केवल एक प्रस्ताव किया गया था, न्यायमूर्ति रामास्वामी का प्रसिद्ध मामला, जिसे सरकार नहीं कर सकी और वह बेदाग सिद्ध हुए।

न्यायपालिका के सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाए गए हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने इन प्रक्रियाओं को अपनाने का निर्णय लिया। अब न्यायाधीशों को अपनी अस्तियों और दायित्वों की तथा अनेक पति/पत्नी और बच्चों घोषणा किया जाना अपेक्षित है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं निश्चय ही इसे नोट करता हूं। विधेयक में ज्यूडिशियल ओवरसाइट कमेटी की स्थापना, शिकायत पैनल और जांच समिति की स्थापना का प्रावधान नहीं। किसी के विरूद्ध कोई जांच, किसे शिकायत पर कार्रवाई सावधानी पूर्वक गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए, संबंधित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को तथा उसके पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

यह विधेयक बेशक न्यायाधीश जांच अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। इसके अतिरिक्ति इसे अनुच्छेद 124 की जांच करके कि यह कैसे लागू किया जाता है सुदृढ किया जाना है। यदि संवैधानिक रूप से इसकी जांच मंत्री जी द्वारा की जानी होती है तो मैं उनसे अपील करता हूं कि इस तथाकथित उच्चधिकार प्राप्त समिति को संवैधानिक दर्जा दिया जाए क्योंकि किसी अपील का प्रावधान नहीं किया गया है और नहीं किया जाना चाहिए। न्यायपालिका के सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच 1997 में विस्तार से की गई है।

संदर्भ प्रक्रिया की शिकायतों के संबंध में, इसमें कहा गया है, "संसद सदस्य, किसी भी सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव या न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, संसद सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति इसका प्रतिस्थापन न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक में इन शब्दों से किया जा रहा है–"संसद सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में लोक सभा अध्यक्ष या राज्य सभा का सभापति है परन्तु यहां, इसमें कहा गया है "संसद सदस्यों द्वारा" नेशनल ज्यूडिशियल ओवरसाइट कमेटी के संबंध में, यह कहा गया है, "संसद सदस्य से इस तरह किसी व्यक्ति द्वारा।" इसमें कहा गया है कि समिति में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, उच्च

न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से एक और एक प्रतिष्ठित विधिवेता होंगे। अब ओवर साइट समिति के लिए शिकायत संसद द्वारा की जाती है अध्यक्ष या सभापति मामले को ओवर साइट समिति को भेजेगा। इसका गठन कौन करेगा। यह एक जांच समिति है। यह और भी जटिल है। कौन ओवर साइट करेगा? ओवर साइट समिति मामलों को तीन माह के भीतर संवीक्षा पैनल के पास भेजती है। आपके पास और तीन माह का समय है। संवीक्षा पैनल (ओवरसाईट) समिति को यह जानकारी देगा कि क्या किसी न्यायाधीश के विरूद्ध कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार हैं। यह रिपोर्ट तीन माह के अन्दर प्रस्तुत की जाएगी; और यदि आवश्यक हो तो यह समय सीमा तीन माह और बढ़ाई जा सकती है–जो कुल मिलाकर छह माह होगी। अत: यदि संवीक्षा पैनल इस बात की सूचना देता है कि न्यायाधीश के विरूद्ध कार्रवाई के पर्याप्त आधार हैं तो संवीक्षा समिति जांच बैठायेगी। वे मामले में शामिल हैं और संसद द्वारा उल्लेख किया गया है। तब सैद्धान्तिक रूप से जांच की जानी होगी।

समिति की संरचना, विशेषकर जूडिशियल ओवरसाईट बॉडीज के बारे में महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पुनर्विचार करने की अपील करना चाहूंगा। क्योंकि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यचायालय के दो मुख्य न्यायाधीश होंगे। यह एक आयोग है। स्थायी समिति ने एक न्यापक समिति की संस्तुति की थी जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य होंगे, और 'बार' के भी सदस्य होंगे जिन्हें इसमें सम्मिलित किया जाना है। 1968 का जांच विधेयक था जिसमें केवल न्यायिक समिति का प्रावधान था लेकिन अब हमने इन सिफारिशों में विधायिका एवं 'बार' से युक्त व्यापक समिति बनाने का प्रस्ताव किया है।

राष्ट्रीय ओवरसाईट समिति में न्यायपालिका और कार्यपालिका के सदस्य होते हैं तथा जिसमें संवीक्षा पैनल प्रारम्भिक जांच करता है उसका गठन भी पूरी तरह से न्यायाधीशों में से ही होता है। जांच समिति की संरचना पूर्णत: अज्ञात है। अत: कतिपय जूडिशियल आवरसाईट बॉडीज की मूल विशेषताओं की जांच की जानी है तथा सरकार को इसकी पुन: जांच करनी चाहिए।

जांच निकाय के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जांच अलग अध्याय में रखी जानी चाहिये। शिकायतकर्ता, शिकायत की जांच करने वाला व्यक्ति और न्यायपालिका-सभी का एक ही संस्था से संबद्ध होने पर अच्छा कार्य नहीं कर सकते। कर्नाटक के मामले पर आते हुये मैं पुन: आपका ध्यान इस सच की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि लोकायुक्त शिकायत दर्ज करता है, शिकायत की जांच करता है और निर्णय भी देता है। यह कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है। इनके पास कितने मामले लंबित हैं। अनेक लोगों ने इनके प्राधिकार को चुनौती दी है लेकिन उन्हें अभी राहत प्राप्त करनी है।

संसद केवल महाभियोग प्रस्ताव द्वारा न्यायाधीशों को हटा सकती है। केवल न्यायमूर्ति रामास्वामी के मामले के अलावा किसी अन्य मामले पर लोक सभा में चर्चा पर वादविवाद नहीं हुआ है। राज्य सभा में न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के मामले पर विस्तार से चर्चा हुई लेकिन इस मामले के लोक सभा में पहुंचने के पहले ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुये अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर दिया था।

इसलिए, महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि न्यायाधीश, जांचकर्ता और शिकायतकर्ता एक ही संस्था से न हों। ओवर साईट समिति को इन शिकायतों की जांच करनी है। अत: मेरा कहना है कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह यथेप्ट नहीं है और इसे पुन: देखने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय को स्पष्ट, मजबूत एवं व्यापक विधेयक लाना चाहिये। यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो मैं नहीं मानता कि हमें कोई और उपाय करने की आवश्यकता होगी।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक अपूर्ण है और सभा को स्वीकार्य नहीं है। न्यायिक आयोग आज की अत्यन्त आवश्यकता है। वर्तमान विधेयक अत्यंत निष्प्रभावी एवं अस्पष्ट है। मेरे पास कहने को दूसरे शब्द नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि नीति के मानदण्डों एवं अन्य आवश्यकताओं पर समग्र रूप से विचार करने के बाद इसका प्रारूपण किया जाए।

सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के संविधान में एक संशोधन पर विचार करना है ताकि यह इसके ढांचे में उपयुक्त हो इसमें भारत की संविधान की मूल संरचना का उपयुक्त सम्मान होना चाहिये। जैसा कि "केशवानंद भारती" के मामले में निर्णय लिया गया है कि संघीय संरचना संविधान की मूलभूत विशेषता है तथा विधेयक पर मत विभाजन से पूर्व इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिये। आम आदमी की मांग है कि न्यायधीशों को जवाबदेह होना चाहिये तथा उसकी इस मांग पर इस सभा को ध्यान देना चाहिये। इसी के साथ न्यायाधीशों की गोपनीयता का भी सम्मान होना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ, महोदया, आपके माध्यम से मैं एक बार पुन: विधि मंत्री जिन्होंने इस विधेयक को पेश किया है से इस पर पुनर्विचार करने की अपील करता हूं। उन्हें पहले न्यायिक आयोग बनाना चाहिये और इसके बाद संबंधित खंडों में संशोधन करने के बारे में सोचना चाहिये। इसे उपयुक्त अधिकार दिये बगैर

हमें इस कानून का मजाक नहीं उड़ाना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उन कतिपय बिन्दुओं पर विचार करेंगे जिन्हें मैंने उठाये हैं और उन सूक्ष्मताओं पर भी ध्यान देंगे जो मैंने उनकी जानकारी में लाई है।

महोदया, इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना): अध्यक्षा जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

आज भारत की सारी न्यायपालिका की नजर इस सदन पर टिकी है, क्योंकि भारत की जो संवैधानिक अदालतें हैं, उनमें बहस भी अंग्रेजी में होती है और फैसले भी अंग्रेजी में लिखे जाते हैं तो आपकी अनुमति से मैं भी अपना वक्तव्य अंग्रेजी में रखना चाहूंगा।

[अनुवाद]

मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य जो बाल रहे थे की बात पूरी तन्मयता से सुन रहा था। मेरे विचार से कतिपय मानकों एवं जवाबदेही की रूपरेखा तय करने की आवश्यकता के बारे में ऐसी सर्वमान्यता विरले ही देखी जाती है। अध्यक्ष महोदया, ऐसा प्राय: नहीं हुआ है कि हमने एक सभा में न्यायपालिका के कार्यकरण पर चर्चा की है। अत: आपकी अनुमति से मैं चर्चा का दायरा बढ़ाना चाहता हूं और वहां से शुरू करना चाहता हूं जहां हमारे विद्वान साथी ने संविधान की मूल विशेषता न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तक अपनी बात रखी थी।

उनकी बात पूर्णत: सच है कि केशवानन्द भारती के निर्णय में निर्वचन दिया गया है और माना गया कि स्वतन्त्र न्यायपालिका न केवल मूल ढांचे का अंग है बल्कि स्वस्थ्य लोकतन्त्र के लिये अनिवार्य है। लेकिन प्रश्न उठता है कि न्यायपालिका की स्वतन्त्रता कितनी हो। क्या न्यायपालिका अपने को स्वयं नियमित करें क्या इसे सभी संवैधानिक नियंत्रणों एवं संतुलनों से मुक्त होना चाहिये और ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमें आज ध्यान देना है इन प्रश्नों पर विस्तार से जाने से पूर्व मुझे अपने संवैधानिक न्यायालयों के इतिहास की संक्षिप्त समीक्षा करने की अनुमति दें।

व्यापकत: इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

1952 से 1975, इस देश में संवैधानिक न्यायालय पूरी तरह रूढ़िवादी थे। वास्तव में इस सभा के कुछ वरिष्ठ सदस्य इस बात का स्मरण कर सकते हैं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में लाये गये अधिकांश संविधान संशोधनों का मूल उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों को पलटना था 1975 से 1990 तक के संवैधानिक न्यायालयों की व्यापकत: को प्रगतिशील श्रेणी में रखा जा सकता है।

1990 से आज तक उन्हं न्यायिक रूप से सक्रिय रहने वाले के रूप में जाना जाता है जैसा कि बोलचाल में कहा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या न्यायिक सक्रियता राष्ट्र के लिये अच्छी है? इसका उत्तर है, हां, क्योंकि सक्रिय न्यायपालिका ही बहुत अड़ियल कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। किन्तु जब न्यायिक सक्रियता स्वयं को अपने दायरे से बाहर ले जाती है तो यह चिंताजनक घटना बन जाती है। इससे मन में एक पुरानी कहावत आती है कि शक्ति भ्रष्ट बना देती है और पूर्ण शक्ति पूर्णत: भ्रष्ट बना देती है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि इस देश में न्यायपालिक भ्रष्ट है? क्या इसका मतलब यह है कि न्यायिक रूप से सक्रियता के चरण पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ गया है? इसका फिर से उत्तर यही होगा कि 'नहीं', क्योंकि बहुत अच्छे पुरुषों और महिलाओं ने हमारी न्यायिक संस्थाओं को संभाला है। एक ला दो पथभ्रष्टता को छोड़कर, उन्होंने इस देश में कानून के शासन और जनता की गरिमा को बनाए रखा है।

[हिन्दी]

इस देश के जो नागरिक हैं, उनकी आस्था न्यायपालिका में है, फिर सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार यह विधेयक क्यों लेकर आई।

[अनुवाद]

वे न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक क्यों लेकर आए? इसका उत्तर सीधा एवं सरल है। इससे संवेधानिक संतुलन बहाल होगा।

(हिन्दी)

संविधान का जो संतुलन है, उसको वापस लाने के लिये यह विधेयक लाना जरूरी था।

[अनुवाद]

भारत का संविधान मौलिक सिद्धान्त पर कार्य करता है और वह संविधान है शक्तियों का पृथक्करण-विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। किन्तु उस समस्त संवैधानिक सिद्धान्त का आधारभूत स्वरूप एवं विशेषता है नियंत्रण और संतुलन का समस्त दर्शन।

[हिन्दी]

एक संविधान की जो संस्था है, वह दूसरी संस्था के ऊपर

नजर रखे और यह जो संतुलन था, वह 1997 से लेकर या 1952 से लेकर 1993 तक बरकरार रहा पर 1993 में (*अनुवाद*) भारत के उच्चतम न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले (द सेकण्ड जजिस केस) में निर्णय देते समय यह निर्णय लिया कि न्यायपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति स्वयं अपने पास रखेगी। उन्होंने परामर्शों की व्याख्या का अर्थ यह निकाला कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति है एक कलिजियम प्रणाली मंडल विकसित की गई और न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका के हाथों में चली गई।

[हिन्दी]

इस बात के ऊपर उस समय भी गहरी चिन्ता हुई थी और 1998 में भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायणन साहब ने सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल रैफरेंस किया कि यह जो फैसला है, इस फैसले में कुछ खामियां हैं। इस फैसले से कई सवाल खड़े होते हैं और उन सवालों के ऊपर न्यायपालिका को दोबारा से बहस करने की जरूरत है। मैं यह इतिहास इसलिए दोहरा रहा हूं, क्योंकि यह इतिहास इस विधेयक को परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए जरूरी है। *[अनुवाद]* भारत के उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से इस बात को दोहराया कि... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): आप बीच में कितनी अच्छी हिन्दी बोल रहे थे। ...*(व्यवधान)*

श्री मनीष तिवारी: जो न्यायपालिका है, वह अंग्रेजी समझती है, वह इस सदन को देख रही है, इसलिए मैं माननीय अध्यक्षा जी से अनुमति लेकर अंग्रेजी में बोल रहा हूं। मैं हिन्दी में भी बोल सकता हूं, वैसे मेरी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन इस भाषावाद में न पड़े तो ज्यादा बेहतर है। ...*(व्यवधान)* ऐसा है कि इस भाषावाद में ना पड़ें तो बेहतर है।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। आप बोलिये।

[अनुवाद]

श्री मनीष तिवारी: अध्यक्ष महोदया, 1998 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से एडवोकेटस ऑन रिकार्ड केस में निर्णय को दोहराया।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि हमारा यह फैसला है कि मुख्य न्यायाधीश जो भी राय देते हैं, वह राय सरकार को माननी पड़ेगी। उस समय जो लीगल फ्रैटरनिटी है, जो वकीलों की बिरादरी है, उसमें इस बात का बहुत स्वागत हुआ क्योंकि यह एक धारणा थी कि वर्ष 1981 में जब एस.पी. गुप्ता के मामले में फैसला आया था, कि वर्ष 1981 से लेकर वर्ष 1993 तक न्यायपालिकों में जो नियुक्तियां होती थीं, और जो तबादले किए जाते थे, उसमें सब कुछ पारदर्शी नहीं था।

[अनुवाद]

जैसे-जैसे समय बीतता गया, एक प्रश्न उठना आरंभ हुआ तथा मुख्य प्रश्न यह था कि न्यायाधीशों की परख कौन करेगा। जो न्यायमूर्ति हैं, जो हमारे न्यायपालिका के मार्गदर्शक हैं, उनके ऊपर कौन निगरानी रखेगा? मैं इस विषय से थोड़ा हटकर किसी और विषय में बात करता हूं। यह उस समय की घटना है जब भारतीय राजव्यवस्था में बड़े पैमाने पर शक्ति का अंतरण हो रहा था।

[हिन्दी]

1990 के दशक में इस देश में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हुआ। मिलीजुली सरकारें आईं, केन्द्र कमजोर हुआ। उसके साथ-साथ जो लेजिस्लेचर था, जो हमारी संसद है, जो हमारी विधानसभाएं हैं, उनका जो रोल था, वह कम हुआ और उसके साथ-साथ आर्थिक तौर पर भी शक्तियां सरकार से निजी हाथों में गई न्यायपालिका में बहुत समझादार लोग बैठते हैं। उन्होंने इस बात को पहचाना। सबसे पहले उन्होंने यह अख्तियार अपने हाथों में लिया कि आज के बाद हम इस देश में कौन न्यायमूर्त्ति होगा, उसका फैसला हम करेंगे। वह बात बढ़ते-बढ़ते यहां तक आ गयी कि आज कुछ गैर सरकारी संगठन इस बात की मांग करना शुरू कर दिए हैं कि जो कानून हैं, वे संसद की जगह सड़क पर बननी चाहिए। इसलिए सवाल यह पैदा होता है कि जो संवैधानिक संतुलन है, यह संवैधानिक संतुलन कैसे बहाल किया जा सकता है। उसके दो तरीके हैं। एक, जो नियुक्ति और तबादले के जो पावर हैं, उसके ऊपर कोई न कोई रास्ता निकलना चाहिए। दूसरा, न्यायमूर्त्तियों को जवाबदेह बनाने के लिए, न्यायपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए कोई न कोई मसौदा तैयार होना चाहिए। यह जो विधेयक आज माननीय कानून मंत्री इस सदन के समक्ष लेकर आए हैं, यह जो दूसरी चुनौती है, यह विधेयक इस दूसरी चुनौती को पूरा करने की कोशिश करती है। क्या कहता है यह विधेयक?

[अनुवाद]

इस विधेयक में क्या कहा गया है? मैं यह नहीं दोहराना चाहता कि कानून मंत्री ने क्या कहा किंतु इस विधेयक से आवश्यक रूप से पांच चीजें की गई हैं। इसे न्यायिक जीवन के महत्व के बारे में पुनः बताया गया है।

[हिन्दी]

अगर कोई व्यक्ति न्यायमूर्ति बनता है, जज बनता है तो किस शैली से उसे अपना जीवन जीना चाहिए। इस देश में और खासकर, न्यायधीशों के बीच यह एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा था। जब यह बात उठी कि उनको भी अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज, उनको भी अपनी आमदनी का लेखा-जोखा इस देश के समक्ष रखना चाहिए तो यह बात सामने आयी कि इसका कोई कानूनी ढांचा नहीं है। यह जो विधेयक है, यह वह कानूनी ढांचा बनाता है जिसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा इस मुल्क के समक्ष रख सकें। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ एक बहुत क्रांतिकारी कदम इस बिल में उठाया गया कि आज तक नियुक्ति की जो पावर थी, नियुक्ति का जो अख्तियार था, वह पहले सरकार के पास हुआ करता था और जज को हटाने का जो अख्तियार था, वह संसद के पास हुआ करता था। अगर किसी जज या किसी न्यायमूर्त्ति के बारे में कोई शिकायत आती थी तो लगभग लोक सभा के 100 सांसदों को और अगर मेरी जानकारी ठीक है तो राज्य सभा के 50 सांसदों को लिखित में एक याचिका देनी पड़ती थी कि इसके ऊपर इस जज के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

मध्याह्न 12.00 बजे

इससे होता क्या था कि इस देश में जो 120 करोड़ नागरिक हैं, अगर उनकी कोई शिकायत हो, न्यायपालिका के खिलाफ, किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ, उनके पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था। पहली बार यह विधेयक एक रास्ता दिखाता है कि अगर एक आम नागरिक को, चाहे वह मेघालय में बैठा हो, चाहे कन्याकुमारी में बैठा हो और चाहे लद्दाख में बैठा हो, अगर उसे कोई शिकायत है, किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ, तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उसके बाद उस शिकायत से कैसे निपटा जाए, उसका एक ढांचा इस विधेयक में तैयार किया गया है और उसके साथ-साथ विधेयक

[अनुवाद]

यह न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 का निरसन करता है किन्तु यह उसकी कतिपय विशेषताओं, विशेषकर संसद सदस्यों द्वारा महाभियोग से संबंधित विशेषता को बरकरार रखे हुए हैं।

[हिन्दी]

किस तरह का ढांचा यह विधेयक तैयार करता है? अगर किसी नागरिक को शिकायत हो, तो वह नेशनल जुडीशियल और ओवरसाइट कमेटी के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। वह नेशनल जुडीशियल ओवरसाइट कमेटी, जिसके चेयरमैन एक पूर्व न्यायाधीश होंगे, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस होंगे, उसमें चार और सदस्य होंगे, वह शिकायत को एक स्क्रूटनी कमेटी के पास भेजेगा। यहां पर स्क्रूटनी कमेटी को लेकर बात उठी थी। मैं उसके ऊपर दो शब्द करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

संवीक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? किसी एक दिन विशेष में किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में कोई न्यायाधीश लगभग 60 मामलों, जो उसके रोस्टर में होते हैं, पर निर्णय देता है। प्रत्येक दिन किसी न्यायाधीश के समक्ष 60 लोग ऐसे आते हैं जो प्रफुल्लित होते हैं और 60 लोग ऐसे आते हैं जो दुःखी होते हैं। अतः, यदि कोई व्यक्ति, जिसे कोई शिकायत है, किसी तुच्छ अथवा असंगत कारण से किसी न्यायाधीश के विरूद्ध शिकायत करने का निश्चय करता है तो उस न्यायाधीश को सुरक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है। कुछ सुविधा तो होनी ही चाहिये जो न्यायपालिका को प्रदान की जाये ताकि यह स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाये। यदि उनके विरूद्ध कोई तुच्छ शिकायत की जाती है, यदि उनके विरूद्ध इस तरह से शिकायत कर दी जाती है कि उन्होंने किसी ढंग विशेष से निर्णय नहीं किया है, तो इसके लिए एक आंतरिक पैनल हो जो उस शिकायत की संवीक्षा करे।

[हिन्दी]

इसीलिए यह बात कही गयी है कि स्क्रूटनी कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स होंगी, वह इन कैमरा होंगी। हां, एक बहुत बड़ा सवाल आज उठता है, क्योंकि जिस किस्म का एक्टिविस्ट मीडिया है, क्या कोई चीज इन कैमरा में रह सकती है या नहीं, यह बहुत बड़ा एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है। फिर भी इस विधेयक के निर्माताओं ने यह कोशिश की है कि जो जुडीशियल इंडिपेंडेंस है, जो जुडीशियल कम्फर्ट है, उसको किसी न किसी तरह से सेफगार्ड किया जा सके, उसको किसी न किसी तरह से बचाकर रखा जा सके।

[अनुवाद]

यदि संवीक्षा समिति यह पाती है कि हां प्रथम दृष्टया शिकायत में न्यायाधीश के खिलाफ सबूत है तो यह इस जांच समिति के पास भेज देगी।

[हिन्दी]

फिर वह एक जांच समिति के पास जाएगा। वह जांच समिति

फिर उसके ऊपर जांच करेगी और जांच करके अपनी जो सिफरिश है, वह नेशनल जुडीशियल और ओवरसाइट कमेटी के सामने रखेगी। एक बार सिफारिश नेशनल जुडीशियल और ओवरसाइट कमेटी के सामने आ जाती है, तो उसके सामने चार-पांच रास्ते खुले हुए हैं।

माननीय अध्यक्षा जी, अपराध होता है, पर हर अपराध खून नहीं होता। हर अपराध की एक ही सजा नहीं हो सकती है। आज की तारीख में न्यायपालिका को लेकर सिर्फ एक ही सजा है और वह सजा है इंपीचमेंट। जैसे हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछले चौंसठ साल में इस मुल्क में आधी इंपीचमेंट हुयी है, वह जस्टिस सौमित्र सेन की, जो पिछले दिनों राज्य सभा में हुयी थी और उससे पहले कि वह मामला लोकसभा में आता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

अत: विगत 64 वर्षों में इस देश में महाभियोग आधा ही हो पाया है। अत: इस विधेयक में प्रावधान है कि नियुक्ति और महाभियोग के बीच अगर किसी जज ने कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण उसको दंडित करने की जरूरत है तो नेशनल ज्यूडिशियल ओवरसाइट कमेटी उसके खिलाफ पेनॉल्टी रेकमेण्ड कर सकती है। वह यह कह सकती है कि जो कानूनी काम-काज है, जो न्यायालय का काम-काज है उसे वापस ले लिया जाए। उसको सलाह दे सकती है कि तुम्हारा यह कदम था वह सही नहीं था। कानून में जो लिखा गया है जिस तरह से एक न्यायमूर्ति को अपना जीवन जीना चाहिए, जिस पद्धति पर चलना चाहिए या जिस शैली से चलना चाहिए था, यह उसके अनुरूप नहीं था। आप अपने-आप को सुधार लो। अगर मामला संगीन हो, मामला गंभीर हो तो फौजदारी का मामला भी दर्ज हो सकता है। अगर नेशनल ओवरसाइट ज्यूडिशियल कमेटी यह पाती है कि नहीं, रास्ता यही है कि इस जज को उनकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। फिर वह इम्पीचमेंट रेकमेण्ड कर सकती है।

[अनुवाद]

यह बात सदन और दूसरे सदन के विवेक पर छोड़ दी जाती है। यदि यह सदन, दूसरा सदन और संसद सामूहिक रूप से अपने विवेकानुसार यह निश्चय करते हैं कि न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाकर उसे हटाये जाने की जरूरत है तो न्यायाधीश के विरूद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है तथा इस बारे में एक संबोधन संसद को प्रस्तुत किया जाता है।

[हिन्दी]

ये सारी चीजें उस विधेयक में इस चीज को सुरक्षित रखती हैं कि जो सांसद हैं उन सांसदों के पास किसी भी न्यायमूर्ति के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसिडिंग शुरु करने का अख्तियार बरकार रहे।

अध्यक्ष महोदया: कृपया आपस में बात मत कीजिए।

श्री मनीष तिवारी: अध्यक्ष महोदया, जी अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बात बिल्कुल सही है कि

[अनुवाद]

यह विधेयक पूर्ण हल नहीं हो सकता क्योंकि पूर्ण हल केवल तभी आ पायेगा जब हम न्यायिक नियुक्तियों तथा स्थानांतरणों के संबंध में एक कार्य निर्वाहक व्यवस्था बना पाने में सक्षम होंगें। किंन्तु यह विधेयक एक बहुत महत्वपूर्ण मध्यमार्ग सदन (हाफवे हाउस) का प्रावधान करता है। नियुक्ति और महाभियोग के बीच मध्यमार्ग सदन।

[हिन्दी]

इसने नियुक्ति और इम्पीचमेंट के बीच एक रास्ता निकाला है जिसमें न्यायमूर्तियों के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई की जा सकती है उनको जवाबदार ठहराया जा सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि इतिहास इस बात की गवाह है कि पिछले 64 वर्ष में पूरा सदन और मुल्क आधी इम्पीचमेंट कर पाया है। इसलिए मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसने पहली बार एक ऐसा ढांचा तैयार करने की कोशिश की है जिससे कि न्यायपालिका को जवाबदार बनाया जा सके तो दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर,

[अनुवाद]

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर में समूचे सदन से अपील करता हूं कि इस क्रांतिकारी प्रयास का समर्थन करें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे न्यायिक मानक विधेयक-2010 और संविधान के 114वें संशोधन विधेयक-2010 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका अभारी हूं। अभी हमने सम्मानित सिनियर मेम्बर्स गोड़ा जी की बातों को बड़े विस्तार से सुना जो बहुत ही विद्वान सदस्य हैं। यह कर्नाटक के स्पीकर भी रह चुके हैं। हम ने भाई मनीष तिवारी जी की बातों को भी सुना। इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायाधीश के किसी कदाचार या उसकी अक्षमता के संबंध में व्यक्तिगत शिकायतों के बारे में अन्वेषण करने के लिए विश्वसनीय और समीचीन तंत्र की स्थापना करने, ऐसे अन्वेषण के लिए प्रक्रिया

विनियमन संबंधित यह विधेयक है। सबकी की बातों को मैं बहुत बिस्तार से सुन रहा था। माननीय मंत्री जी संविधान में यह बात लिखी गई है, जिस वक्त हमारा संविधान बना, जिस वक्त हमारा कानून बना, आईपीसी धारा बनी उसमें उल्लिखित है कि चाहे वह बड़ा आदमी हो, मध्य वर्ग का आदमी हो, छोटा आदमी हो या गरीब आदमी हो सबको न्याय सस्ती और समय से न्याय मिले लेकिन आज ऐसा नहीं है। यह देखा गया है कि सस्ती ओर समय से ज्याय मिलना बहुत मुश्किल है।

अगर आज पूरे देश में मुकदमों की संख्या देख ली जाए तो मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ के लगभग केस निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक पैंडिंग पड़े हुए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): 3 करोड़ 27 लाख मुकदमे पैंडिंग हैं। *...(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: हां, 3 करोड़ 27 लाख के करीब मुकदमे हैं। मैंने नायब तहसीलदार, एसडीएम से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की बात बताई। *...(व्यवधान)* यही कारण है कि गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसे न्याय नहीं मिल पाता।

मैं आपको एक स्मरण सुनाना चाहूंगा। मेरे पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट से एमएएलएलबी थे। सलमान साहब, आप स्वर्गीय धर्मवीर जी को जानते होंगे। उन्होंने कुछ दिन असगर अहमद नकवी साहब के जूनियर रहकर वकालत शुरू की। मेरे ख्याल से उन्होंने डेढ़-दो साल तक वकालत की। एक दिन उन्होंने पूरे परिवार को बुलाकर कहा कि आज मैं कसम खाता हूं कि अब वकालत नहीं करूंगा। वे किस्सा सुनाने लगे कि अनुसूचित जाति का एक गरीब आदमी था। उससे तीन बार फीस मांगी गई। जब वह फीस नहीं दे पाया तो उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई। वकील फीस से काम करता है। हमारे पिताजी आ रहे थे तो वह उनके पैर पकड़कर रोने लगा और कहने लगा कि साहब, आज हम अपनी जमीन और जेवर बेचकर आए हैं, फिर भी इतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा-ऐसा वाकया है। हमारे पिताजी कहने लगे कि मेरी आंख में आंसू भर आए और मैंने उसी दिन सोच लिया कि अब वकालत नहीं करनी है। आज भी यही स्थिति है। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता।

अपराह्न 12.11 बजे

[डॉ. एम. तुम्बिदुरई-*पीठासीन हुए*]

गरीब आदमी गांव सभा, न्याय पंचायत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाता। जब उसे एसडीएम, कानूनगो, पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के यहां न्याय नहीं मिल पाता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत है। आप सुप्रीम कोर्ट की स्थिति देख लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक वकील खड़ा होता है तो उसकी केवल खड़े होने की फीस पांच लाख रुपये हैं। बताइए गरीब आदमी कहां जा सकता है, कहां खड़ा होगा। *...(व्यवधान)* मैंने पांच लाख रुपये कम से कम बताए हैं, इससे ज्यादा भी लेते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय, यही कारण है कि आज मैं इस विधेयक के माध्यम से एससी, एसटी एमपीज़ फोरम को बधाई देना चाहूंगा कि कल लोकपाल विधेयक पास हुआ है। लोकपाल की कमेटी में सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को नहीं रखा था। जब एससी, एसटी फोरम के सदस्यों ने भीमराव अंबेड़कर जी की मूर्ति, गेट नम्बर एक के सामने धरना-प्रदर्शन दिया तब सरकार चेती और उस आरक्षण को लोकपाल में लागू करने का वचन दिया। इसमें भी बराबर शैडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। वे हमेशा उपेक्षित रहते हैं। यही कारण है कि यह बात हमेशा उठी है कि ज्यूडिशियरी में भी आरक्षण होना चाहिए। जब तक ज्यूडिशियरी में आरक्षण नहीं होगा, तब तक इस देश में कमजोर, दलित, ओबीसी, गरीब, माइनॉरिटी और शोषित समाज के लोगों को कभी न्याय नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि ज्यूडिशियरी में भी आरक्षण दें। यह बहुत जरूरी है। *...(व्यवधान)*

आप जजों की स्थिति देख लीजिए। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में नौ या दस जजों के स्थान रिक्त हैं। मैं केवल एक प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थिति बताऊं तो वहां आज भी साठ जजों के स्थान रिक्त हैं। इस प्रकार अगर पूरे देश की निचली अदालतों में देखा जाए तो मेरे ख्याल से हजारों, लाखों की संख्या में जजों की नियुक्ति होनी बाकी है। यही कारण है कि आज फैसले नहीं हो पा रहे हैं। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। आपने तमाम कोर्ट बनाए कि फैसला जल्दी हो, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है। चाहे कसाब का मामला हो, चाहे अफजल गुरू का मामला हो, तमाम ऐसे मामले बहुत दिनों से पैंडिंग हैं। उसका फायदा ये उठाते हैं, बराबर से आवाज उठाते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं सजा दी जाती। ज्यूडिशियरी में सस्ता और समय पर फैसला होना चाहिए। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए।

जहां तक दूसरे बिल की बात है, मैं उस पर बाद में बोलना चाहूंगा। आपने इस बिल में यह प्रावधान किया है कि जज जवाबदेह होंगे और आम आदमी शिकायत कर सकेगा। गरीब आदमी कहां शिकायत करेगा, कैसे करेगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी, इस बारे

में आपने विस्तार से बताया है, लेकिन इसमें जागरूकता की जरूरत है। आपको गांव, ब्लाक और पंचायत स्तर पर लोगों को बताना पड़ेगा कि इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि आम आदमी कैसे शिकायत करेगा, कैसे उसे न्याय मिल पायेगा, तभी इस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा। न्यायिक जागरूकता अभियान के तहत आपको प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा, तभी इस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा। न्यायिक जागरूकता अभियान के तहत आपको प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा, तभी इस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा।

सभापति महोदय, अभी राष्ट्रीय विधि आयोग की बात उठी। लोकपाल में यह बात भी चली थी कि ज्यूडिशियरी को भी लोकपाल में शामिल किया जाये। लेकिन मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी के सदस्यों, जिसमें विभिन्न दलों के लोग थे, का स्वागत करता हूं। उन सबने कहा कि ज्यूडिशियरी को लोकपाल में नहीं लाना चाहिए, बल्कि ज्यूडिशियरी के लिए अलग से राष्ट्रीय विधि आयोग बने। नेशनल ज्यूडिशियरी कमीशन बने, इस बात का पुरजोर समर्थन सभी सम्मानित सदस्यों ने किया। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय विधि आयोग बहुत जल्दी बनाकर तताम मसलों और मामलों का निपटारा होना चाहिए। इसके लिए आप घोषणा करेंगे।

सभापति महोदय, मैंने देखा कि ज्यूडिशियरी में भ्रष्टाचार के मामले कम न होकर बहुत ज्यादा हैं। सलमान साहब, मैं आपको अपने वहां के हाई कोर्ट की बात बताना चाहता हूं। एक समय ऐसा था कि वहां जो जज था, वह उसी जिले का रहने वाला था। उसका भाई, भतीजा, सगा-संबंधी जो वकालत कर रहा था, उसके माध्यम से सब मैनेज हो जाता था। इस संबंध में जब आवाज उठी और लोगों का विरोध हुआ, तो जजों को वहां से हटाकर दूसरे प्रदेशों, प्रांतों में ट्रांसफर किया गया। आपको यह व्यवस्था करनी पड़ेगी, खासकर जिस प्रदेश का जज है, उसे वहां न रखकर दूसरे प्रदेश में भेजा जायेगा, तभी आपका न्याय स्वच्छ हो पायेगा। अन्यथा आप भ्रष्टाचार को कभी रोक नहीं पायेंगे।

दूसरी बात यह है कि जजों की चयन प्रक्रिया में अक्सर गड़बड़ियां होती हैं। जो आदमी बहुत ज्यादा टीटीएम कर लेता है, लालू जी की भाषा में जो बहुत ज्यादा ताबड़-तोड़ मालिश कर लेता है, अपनी सैटिंग कर लेता है, वह जज बन जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे जज हैं, जिनकी उम्र ईमानदारी से काम करते हुए बीत जाती है, लेकिन वे जज नहीं बन पाते। आपको देखना होगा कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता, स्वच्छता हो और कहीं भी कोई गड़बड़ी न आने पाये। इसकी भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी।

आपको वरिष्ठता का भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज भी कोई कोर्ट में तमाम ऐसे जज हैं, जो कुंठित हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ। उन्हें चीफॅ जस्टिस नहीं बनाया गया। उन्हें ओवरलुक करके किसी दूसरे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। बहुत से ऐसे कुंठित लोग मन से काम कर पाते हैं। जो योग्य जज हैं, जिनके अच्छे फैसले आये हैं, जनहित में आये हैं, उनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर उस बिल का मकसद पूरा हो पायेगा।

जहां तक दूसरे बिल की बात है, तो संविधान 114वां संशोधन विधेयक, 2010 को भी आपने इसके साथ लिया है। उसमें आपने जजों के लिए 62 से 65 वर्ष की आयु की व्यवस्था की है। यह बात सत्य है कि आज असंतोष है। जो जूनियर वकील या तमाम जूनियर लोग हैं, वे कहेंगे कि साहब, जब तक ये रिटायर नहीं होंगे, हमें कैसे मौका मिलेगा। जो गिने-चुने जज हैं, उनकी काबलियत, अनुभव का लाभ उठाने के लिए आपने यह व्यवस्था की है। यह बात सही है कि आपको दोनों पहलुओं पर देखना पड़ेगा। हमारे जो जूनियर्स हैं, उनकी ओर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि उनका एकमोडेशन कैसे हो, वे कैसे आगे बढ़ें। उनका कहना है कि साहब, अगर इन्हीं को आगे बढ़ायेंगे तो हमारी दो साल की वरिष्ठता कम हो जायगी। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का विरोध नहीं करता, लेकिन पुरजोर तरीके से दोनों बातों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उ.प्र.): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड एंड एकाउंटेबिलिटी बिल, 2010 पर बात करना चाहता हूं। उसके बाद मैं जजों की ऐज डेवलपमैंट पर बोलना चाहूंगा। मै आउटसेट में यह बता दूं कि इसमें दो राय नहीं है कि ज्यूडिशियरी की इंडिपैंडेंस होनी चाहिए, लेकिन इस इंडिपैंडेंस का बैलेंस होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो जाए और बैलंस गड़बड़ हो जाए, तो इंडिपेंडेंस का दुरूपयोग होता है, यह लॉ है।

[अनुवाद]

1890 में, हाल्सबरी लॉज़ ऑफ इग्लैंड में यह लिखा गया था कि पूर्ण शक्ति आ जाने पर भ्रष्टाचार भी पूर्ण हो जाता है क्योंकि नियंत्रण एवं संतुलन नहीं हो पाता है।

[हिन्दी]

लॉर्ड डेनिंग ने उसको अपनी किताब में कोट किया है। जब भी जजेज़ के बारे में बात आती है, तो इंडिपेंडेस के नाम पर उठने वाली आवाज को दबाया जाता है और इसमें दो ग्रुप्स के लोग ज्यादा शिकायत करते हैं, एक तो वे जो पेशे से, जैसे मैं

और मेरे यंगर कॅलीन श्री मनीष तिवारी, वकील होते हैं और दूसरे, वे जो वकील नहीं होते हैं, लेकिन उसे भोगा है, उसका एक्सपीरियंस है। मुझे इसमें कहने में कोई एतराज नहीं है कि जब वकील अपनी बात रखता है इस जुडिशियरी में, तो वह अपना करियर भी ध्यान में रखता है। इसलिए साफ-साफ बात नहीं करता है। जैसे जुडिशियल स्टैण्डर्ड एंड एकाउंटिबिल्टी बिल है, इस बिल से कोई हल नहीं निकलेगा। इस बिल से हल इसलिए नहीं निकलेगा कि इस बिल में जजेज़ की एंट्री के बारे में कुछ नहीं है। जजेज़ की सेलेक्शन प्रोसेस कैसी हो, जजेज़ का सेलेक्शन करने से पहले स्क्रूटनी कैसी हो, इसके बारे में यह पूरी तरह साइलेंट है। इसलिए मैं आपको इतिहास बता दूं कि जब शुरू में, वर्ष 1983 के पहले, एग्जीक्यूटिव का मेन योगदान होता था जजेज़ के सेलेक्शन में। जब जजेज़ के सेलेक्शन के एग्जीक्यूटिव का बहुत ज्यादा योगदान होता था, तो वर्ष 1981 में, अभी भी हमारे दोस्त हैं, इलाहाबाद के एस. पी. गुप्ता, सीनियर एडवोकेट। उन्होंने यहां तक मुकदमा फाइल किया और 31 दिसंबर, 1981 को एक फैसला हुआ, उसमें एंट्री ऑफ जजेज़ में एग्जीक्यूटिव का रोल पीछे कर दिया गया और तब से यह गिरावट शुरू हुई। उसके बाद एक अन्य केस आया वर्ष 1994 में, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्डन एसोसिएशन केस माननीय लॉ मिनिस्टर जी अचछी तरह जानते हैं क्योंकि वह भी पेशे से वकील हैं। उसमें पूरी पावर एग्जीक्यूटिव से हट गयी। न्यायाधीश स्वयं को बतौर न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं। अब इस पर भी इनको समझ नहीं आई, तो वर्ष 1998 में सुओ-मोटो एक रेफ्रेंस सुप्रीम कोर्ट ने किया और उससे पहली बार कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सेलेक्शन इंट्रोड्यूज हुआ। उस सिस्टम में यह प्रावधान था कि तीन हाईकोर्ट के अगर सीनियर जजेज़ किसी एडवोकेट का नाम रिकूमेंड करें, तो उन तीन में से चीफ जस्टिस जिस पर टिक लगा देगा, वह एप्वाइंट होगा। अब वर्ष 1981 से वर्ष 1998 तक 100 प्रतिशत एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इससे बाहर हो गयीं, सिविल सोसाइटी बाहर है ही और पूरी तरह से आज न्यायाधीश स्वयं को बतौर न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं। आज 70 प्रतिशत हाईकोर्ट्स में जो जजेज़ हैं, वे जजेज़ के फेवरिट हैं या उनके लड़के हैं या उनके रिश्तेदार हैं या उनके चेंबर से हैं। पहले जब हम लोगों ने वकालत स्टार्ट की थी, तो वकालत में मेहनत और केस लॉ होता था और आजकल जजेज़ ही कहते हैं कि यह केस लॉ नहीं है; यह तो फेस लॉ है। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गलत क्या है? अब मैं क्यों किसी का नाम लूं, मैं भी थोड़ा-थोड़ा घबराता हूं। इसलिए जुडिशियल स्टैण्डर्ड एकाउंटिबिल्टी क्या है, जब एंट्री में ही कुछ नहीं है, अगर एंट्री में ही रिस्ट्रिक्शन होता, तो मैं निहायत अदब के साथ अध्यक्षपीठ को निहायत अदब के साथ कहूंगा। सुमित्र सेन का कोई रिकमंड ही नहीं होता, 30 लाख रुपये, उन्होंने जब वह एडवोकेट थे, तब रख लिए थे, जज बनने से पहले। तो कहां गई वह एकाउंटिबिलिटी, कौन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कौन सा कोलोजियम था, जिन्होंने ऐसे आदमी को रिकमंड किया? ऐसे बहुत से, सुमित्र सेन के एक्जाम्पल हैं। जैसा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने अभी कहा था कि हाफ इम्पीचमेंट। मैं इतिहास की बात करूं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इनमें अद्वितीय है। सबसे पहले फुल इम्पीचमेंट हुआ था मि.सी.वी. सिन्हा साहब का। उन्हें इम्पीच करके निकाल दिया गया था।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किस चीज की एकाउंटिबिलिटी, जब सलेक्शन ही गलत है। मैं एक सिम्पल सा उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आप किसी को डिनर पर बुलाना चाहते हैं। मान लो लॉ मिनिस्टर साहब को डिनर पर बुलाना चाहते हैं। अगर सड़ा हुआ आलू खरीदें तो कितना ही बढ़िया कुक हो, शेफ हो, सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो उसमें एकाउंटिबिलिटी क्या है, जब एंट्री लेवल पर ही ऐसा सब कुछ है।

मेरा पहला पाइंट यह है कि यह सिर्फ कासमेटिक है, यह सिर्फ दिखावा है, जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने तसलीम किया है कि यह हाफवे अटेम्प्ट हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह हाफवे अटेम्प्ट क्या है, अगर अटेम्प्ट करना है तो करो, वरना न करो। मैं अपना उदाहरण बताना चाहता हूं। मैंने 40 साल वकालत करने के बाद, इन दि इवनिंग ऑफ माई कैरियर, आई ऑपटेड फार पॉलिटिक्स। मैं आधा दर्जन इलाहाबाद युनिवर्सिटीज का वकील था, आधा दर्जन बड़ी-बड़ी सरकारी संस्थाओं का वकील था। अगर हम हाई कोर्ट जज हो जाते, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उन इंस्टीट्यूशंस के रजिस्ट्रार, जिन्होंने हमें लाखों रुपये पेमेंट की, अगर उनका केस आता तो मैं क्या करता। इसलिए यह जो ह्यूमन बिहेवियर है, यह वेइंग मशीन नहीं है, इसमें रिएक्शन और इंटररिएक्शन होता है। अगर आप तीन बार एक ट्रेन में यात्रा करें, अगर वहीं टीटीआई मिलता है, तो आप उससे मुखातिब हो जाते हैं, बाउंड से हो जाते हैं। आप उस एडवोकेट को, 15 साल की मिनीमम रिक्वायरमेंट हैं, जो प्रेक्टिस करे वह जज बन सकता है। 25 साल वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहा और वहीं जज बन गया। तो उसकी तो सब चीज सेट है, सब चीज एडजेस्टेड है। अगर उनसे ज्यादा बेरुखी करें तो भी इनजस्टिस हो रहा है कि आप जबर्दस्ती हमें परेशान करते हैं। अगर उनकी तरफ मुखातिब कर जाएं तो भी इनजस्टिस हो रहा है। इसलिए यह कैसी एकाउंटिबिलिटी है? ह्यूमन बिहेवियर में यह कोई मशीन बिहेवियर नहीं है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसे रिलुक करें। ...*(व्यवधान)* वह चीज बाद में आएगी। इसमें जजेज एकाउंटिबिलिटी है, लॉयर्स एकाउंटिबिलिटी नहीं है, यह सपा वाले जो चाहे कह दें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आपने स्क्रूटनी पैनल बना रखा है। उसमें कौन है, अगर स्क्रूटनी पैनल में मैजोरिटी जजेज हैं, तो आपने अभी लोकपाल पर भी चर्चा की थी इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं कहना चाहूंगा और यही कहूंगा कि स्क्रूटनी पैनल भी बेकार है। आपने स्क्रूटनी पैनल में दो एटॉर्नी जनरल को रख दिया, और एक किसी को रख दिया, यह भी पर्याप्त नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि हमारे 19-20 प्रतिशत, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, इसमें क्यों नहीं एससी, एसटी, वूमैन और ओबीसी के प्रतिनिधि स्क्रूटनी पैनल में रहें, क्यों नहीं बहुत तगड़े बुद्धिजीवी हों, क्यों नहीं ऐसे लोग भी हों बार के, जैसे रिनाउंड लोग हैं, हर जगह मिल जाएंगे जिनका चेहरा फलालैस है, उन्हें भी स्क्रूटनी पैनल में रखें। तब भी वे स्क्रूटनी कर पाएंगे। वरना तो यही होगा कि आप मेरे बच्चे की मदद करें और मैं आपके बच्चे की मदद करूंगा और इसी तरह चलता रहेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य के इस पाइंट से एग्री नहीं करता कि यह बहुत अच्छा है। यह क्या कंसोलेशन है, आप एक एक्ट बनाने जा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट है सिस्टम में क्लिनिंग करना।

अगर हर चीज ट्रस्ट में है, मैं इलाहाबाद का किस्सा बताना चाहता हूं। एक समय ऐसा होता था कि इनक्रोचमेंट हो रहा था तो हर सड़क पर हनुमान जी की मूर्ति लगा देते थे कि अब नहीं होगा। लेकिन मंगलवार को जो संगम है, वहीं अनुमान जी के मंदिर में भीड़ होती थी। इसलिए फेथ और ट्रस्ट पर निर्भर करता है। अगर फेथ और ट्रस्ट ज्यूडिशरी में नहीं है तो नहीं होगा। एक समय था, मैंने इलाहाबाद में देखा कि डिस्ट्रिक्ट जज मर्डर ट्रायल करता था, बेचारा साइकल पर आता था, किसी ने अटैक नहीं किया। कोई उनके यहां तेज आवाज से नहीं बोलता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हम लोगों के प्रोक्टर तिवारी होते थे, उनकी फोर्ड गाड़ी बहुत पुरानी होती थी, उसे देखकर लड़के झाड़ियों में छिप जाते थे। अब जो प्रोक्टर साहब हैं गनमैन के साथ रिवाल्वर टांग कर आते हैं और प्रोक्टर साहब यूनिवर्सिटी में ही ढेर हो जाते हैं। आपको ऐसे जजों का सिलेक्शन करना पड़ेगा जिनकी पर्सनेलिटी इतनी बढ़िया हो कि उस पर एक उंगली न उठ सके, अन्यथा उसके चैक एंड बैलेंस करिये। उत्तरी भारत में जज अपाइंट करना हो तो इलाहाबाद वाले को मध्य प्रदेश कर दीजिए, पटना कर दीजिए, पटना वाले को यहां कर दीजिए, कुछ तो चैक एंड बैलेंस होगा। मैं आपको इतिहास बता दूं कि वैकट चैलेय्या साहब, ऑनरेबल चीफ-जस्टिस थे और हम लोग भी इलाहाबाद हाई-कोर्ट में कुछ जजों से बहुत परेशान थे। भ्रष्टाचार के आयात बहुत होते हैं, रिश्वत स्वीकार करना ही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार के कई शैड्स हैं। मैं बड़े अदब से उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को अदब से सदन में क्योंकि इम्युनिटी है, इसलिए यहां कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब थे जो प्रो-टैनेंट थे। कुछ पुराने एडवोकेट जानते होंगे, शायद सलमान साहब भी जानते होंगे। मकान मालिक 20 साल तक मुकदमा लड़ेगा और लड़ते-लड़ते सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कहेगा "मी लॉर्ड, मैं एक किरायेदार हूं, मुझे उदास एवं मायूस किया जा रहा है।" तो स्टे-आर्डर-वह तीन वर्ष पश्चात खाली करेगा। एटोमेटिक वे दे देते थे क्योंकि उनकी फिलॉसफी प्रो-टेनेंट थी। कुछ की फिलॉसफी प्रो-वर्कर हाती है, कुछ की फिलॉसफी प्रो-एम्प्लायर होती है। जुडिशियरी में होना यह चाहिए कि अगर आपकी पर्सनल फिलॉसफी है तो आप इलेक्शन मे आइये और क्षेत्र में उतरिये, तब बात पता चले।

मैं यह कहना चाहता हूं कि करप्शन के कई शैड्स हैं। दिल्ली में भी लोग कहते हैं कि समुद्र तट के समीप के क्षेत्रों से दक्षिण से, उत्तर से हम भौगोलिक महत्व के अनुसार न्यायाधीशों की टीम का चयन करते हैं। इन सबका अब इतना सेंसिटिव काम हो गया है, इतनी सेंसिटिविटी आ गयी है लाइफ में कि आपकी तरफ से इस पर कोई भी रियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बैलगाड़ी वाला सो जाए तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर कोई पायलट सो जाए तो 200 आदमी मर सकते हैं। इसलिए जुडिशियरी को इतना लाइट मत लीजिए।

इतना हल्ला मचाने के बाद भी ऑनरेबल जजेज में रिजर्वेशन है ही नहीं। इलाहाबाद हाई-कोर्ट में एससीएसटी के खोजे से जज नहीं मिलेंगे, तो क्यों इतनी भारी संख्या उपेक्षित हो रही है। जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान की कल्पना कर सकते थे, उन्होंने आर्टिकल 29 बनाया और माइनॉरिटी को संरक्षण दिया, उन्होंने आर्टिकल 15 और 16 जिसका आजकल विश्लेषण करके लोग वकालत कर रहे हैं, तो क्या उस बिरादरी का कोई जज काबिल ही नहीं है। उसका कारण यह है कि अपाइंटमेंट में फेयरनेस नहीं है। अगर अपाइंटमेंट में फेयरनेस नहीं है तो लोगों का विश्वास भी घट रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: टीएम वाले होते हैं।

श्री विजय बहादुर सिंह: मैं यह नहीं कहना चाहता हूं। हम यह चाहते हैं कि इस बिल में कम्पलसरी आरक्षण करने की व्यवस्था की जाए। मैं एक अच्छा किस्सा बता रहा हूं अथवा मैं इम्युनिरी की वजह से क्यों बता रहा हूं। माननीय लॉ-मिनिस्टर जानते हैं कि पिछले तीन साल में 10 बार कॉलेजियम की मीटिंग हुई लेकिन वे एक-दूसरे की लिस्ट से एग्री नहीं करते, जिसके कारण एक भी जज रिक्मेंड नहीं हुआ। आज के दिन करीब 64 वैकेन्सीज इलाहाबाद हाई-कोर्ट में रिक्त पड़ी हुई हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा क्यों? तीन जज अपनी पॉकेट से पहले फेवरेट

निकालते हैं, दूसरे जज अपनी पॉकेट से अपने फेवरेट निकालते हैं और दोनों में एकता नहीं हो पाती है। मतलब यह हुआ कि 645 जजों का अपाइंटमेंट होना बाकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने सन् 1970 में मर्डर की अपील दायर की थी, अभी तक फैसले में चढ़ा नहीं है और डिले हो रहा है। ... *(व्यवधान)*

हमारे यहां से पटना हाई कोर्ट चले गए और उसमें वे दुखी हो गए। आपने कहा कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो उसे वर्क नहीं देंगे। क्या आपके विचार में यह पर्याप्त निवारक हैं? अगर किसी ऑनरेबल जज को ज्यूडिशिरी काम से रोकते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह पूरी होगी, उनके पास लाल बत्ती रहेगी, हर चीज होगी। मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात बताता हूं। दस साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के पास लाल बत्ती नहीं थी। डिविजन बैंच ने स्वयं ही रिट पीटिशन फाइल करके आर्डर कर दिया कि आगे से, हमारे पास लाल बत्ती होगी। मैं माननीया स्पीकर से मिला और उनसे कहा कि एमपीज को भी लाल बत्ती मिले क्योंकि एमपीज़ की ओथ भी वही है, जो पीएम की है, हम भी प्रधानमंत्री की तरह पात्र हैं ...*(व्यवधान)* जब माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थी, तब जजिज ने डिमांड की, लेकिन इन्होंने उन्हें लाल बत्ती नहीं दी। जब मैं यहां आया और देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में आब्जर्व किया है कि अगर रेड लाइट या हमारा वारंट ऑफ प्रेजिडेंस को कोई थोड़ा भी छुए, तो सबसे पहले हमसे कंसल्ट किया जाए। आप बहुत सचेत हैं। क्या यह सत्य है? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। टाइपोग्रेफिकल एरर से जो एलटीसी जजिज को मिलती थी, उसमें साल में एक बार एलटीसी मिलना था, लेकिन उसमें गलती से साल में दो बार हो गया। अब उन्हें साल में दो बार एलटीसी मिलता है। जब तक केबिनेट सैक्रेटरी को यह पता चली, तब तक एक साल बीत चुका था और देखा कि अगर इसे छूते हैं, तो कहीं कंटेम्प्ट में न रगड़ दें।

अब मैं एमपीज़ की बात कहना चाहता हूं। मैं आपको फख्र से कहना चाहता हैं कि जब मैं यूपी की चीफ मिनिस्टर बहन कुमारी मायावती से मिला, मैंने कहा कि हमारे एमपीज़ को लाल बत्ती मिलनी चाहिए। मैंने दस पेज का आवेदन दिया। उन्होंने एकदम आर्डर किया कि उत्तर प्रदेश के एमपीज़ को रेड लाइट दी जाएगी। हम लोग लाल बत्ती लगाने लगे, लेकिन जब नोएडा में आते हैं।, तो लाल बत्ती को नीचे रखना पड़ता है, क्या नोएडा आते समय हमें हर समय मिस्त्री को रखना पड़ेगा कि यहां एंटर करते समय लाल बत्ती हटादें और जब वापिस जाएं, तो मिस्त्री लाल बत्ती लगा दे। हमने माननीया स्पीकर के माध्यम से प्रिविलेज कमेटी में बात रखी। हेराल्ड लास्की ने कहा है कि कांस्टीट्यूशनल व्यवस्था में अगर प्रजा को रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, तो वहां कांस्टीट्यूशनल हायरार्की चल नहीं पाएगी।

[अनुवाद]

यह विजय बहादुर सिंह और मेरे किसी भी साथी का सम्मान नहीं है, यह संस्था का सम्मान है, यह अध्यक्ष के 'आसन' अथवा 'पीठ' का सम्मान है।

[हिन्दी]

मैंने देखा और आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आब्जर्व किया कि उनका अगर कोई भी प्रोटोकोल हो, तो बिना उनकी सलाह के उसे छू नहीं सकते हैं। जजिज का प्रोटोकाल 21 नम्बर पर वारेंट ऑफ प्रेजिडेंट में था और 22 नम्बर पर हम लोगों का था, तो 18 उनका भी कर दिया गया और 17 में हम भी आ गए। पहले हम 21 में थे और अब 17 में आ गए। यह क्या है? मैं आपको बता दूं कि लार्ड डेनिंग इंग्लैंड के चीफ जस्टिस थे। रिटायरमेंट के बाद वे भारत में इलाहाबाद आए थे। उस समय मैंने यंग एडवोकेट के तौर पर एंटर किया था। मैं उनके पास गया, तो मैंने देखा कि वे अपनी कार स्वयं साफ कर रहे हैं और उनकी ऐसी रिस्पेक्ट थी कि अगर कुछ लार्ड डेनिंग कह दें, तो हाउस ऑफ लार्ड्स में लोग साइलेंट हो जाते थे। यद्यपि वह उसी रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे जिसमें हम लंदन में यात्रा कर रहे थे। हमें ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जब तक रिलेक्शन में मोटिवेशन अच्छा नहीं होगा।

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिये।

श्री विजय बहादुर सिंहः मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरा सुझाव है कि नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन बनाया जाए। उसमें जजिज का सिलेक्शन इतना मुश्किल कर दिया जाए, जितना आईसीएस और आईएएस का होता है। दूसरा, हमारा कहना यह है कि पेंडिंग दिस, जितने सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट हों उसको वहां से दूर रखें। कम से कम उससे कुछ निजात मिलेगी। तीसरा, मेरा कहना यह है कि अब आप इसको इगनोर नहीं कर सकते हैं। जो डाउनट्रोडन हैं, दलित हैं, एससी/एसटी हैं, ओबीसी हैं और महिलाएं हैं उनको भी अवसर मिले। उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। यह जूडिशल स्टैंडर्ड और अकाउंटेबिलिटी बिल मैंने देखा है। इस अकाउंटेबिलटी में स्थायी समिति की जो रिकमंडेशन्स हैं, उसमें 40 प्रतिशत उसके खिलाफ हैं। इसको वापस लेकर ठीक से बनाएं। जजों की आयु की बात आई है, जो हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष और जो सुप्रीम कोट के जज हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। नतीजा यह हो रहा कि जो हाई कोर्ट के जज हैं, वे बहुत मारा-मारी करते

हैं। कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाएंगे तो हमें तीन साल और मिल जाएंगे। इस मारा-मारी से क्या हुआ? भारत के संविधान के आर्टिकल 226 और 227 में हाई कोर्ट की रिट की पॉवर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है। यही देश का कानून है। वह इसे जानता है।

[हिन्दी]

जैसे एडीएम जबलपुर का केस है, जितने स्ट्राइकिंग फैसले हुए हैं वे उच्च न्यायालय से हैं। इसको पैरिटी करने में कोई नुकसान नहीं है। इसे 62 से 65 वर्ष अवश्य कर दिया जाए जिससे हाई कोर्ट के जजों को जो काम्प्लेक्स और मारा-मारी है, वह खत्म हो जाए।

अंत में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मैंने यह कहा है कि मेरा संस्था का निरादार करने का कोई इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

विजय बहादुर सिंह जो कुछ भी आज बता रहे हैं, मुझे 1984 में बतौर एक वरिष्ठ अधिवक्ता नाम निर्देशित किया गया था। इस सबसे न्यायालय की गरिमा परिलक्षित हुई है किंतु इसे एक आंतरिक व्यवस्था की जरूरत है अथवा पूर्ववर्ती व्यवस्था तो असफल हो गई है।

[हिन्दी]

अभी आपने कहा कि सिर्फ आधा इंपीचमेंट हुआ है, चाहे रामास्वमी हों, चाहे सौमित्र सेन हो, चाहे दिनकरन हो। इसे बंपरसे बंपर तक संपूर्ण मरम्मत की आवश्यकता है।

श्री अर्जुन राय (सीतामढ़ी): सभापति जी, आपने मुझे न्यायिक मानक और जवाबदेही बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। दो-चार बातें जो मेरी समझ में हैं, मैं सरकार को बताना चाहता हूं। न्यायपालिका को जवाबदेह बनाना है और न्यायिक व्यवथा को दुरूस्त करने के लिए सरकार बिल लाई है। सरकार ने पहले से ही पूरा प्रचार-प्रसार करके लोगों को बताने की कोशिश की है कि हम न्यायपालिका के क्षेत्र में, विधायिका के क्षेत्र में और कार्यपालिका के क्षेत्र में जो गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी काम हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए कृत संकल्पित हैं।

सभापति जी, कल लोकपाल कानून लाकर सरकार ने पूरे देश को यह बताने की कोशिश की है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कानून लाए हैं। पूरा देश और दुनिया इस सरकारी लोकपाल, कल सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री टीवी चैनलों पर दिखाई दे रहे थे। उनका मानना था कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जिस तरह से सीबीआई का दुरूपयोग इन्होंने पहले से किया, उसी तरह से इन्होंने लोकपाल नामक संस्था को दुरूपयोग करने के लिए हथियार बना लिया है। अब इनकी आज बारी है, न्यायिक जवाबदेही विधेयक के रूप में इन्होंने न्यायाधीशों को, न्यायपालिका को कैसे जवाबदेह बनायें, इस पर ये बिल लाये हैं। आज सुबह ही मुझे इसकी कॉपी मिली। मैंने केवल इसे सरसरी निगाह से देखा। इसमें न्यायाधीशों को जो जवाबदेह बनाता है, इसके लिए इन्होंने जो तौर-तरीके बनाए, वह मान लिया, पहले से भी है, ठीक भी है कि अपने क्लोज रिलेटिव्स या अपने सगे-संबंधियों से अलग रहना, किसी ऐसे कार्यों में इनकी संलिप्तता न हो, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो, यह तो पहले से है। लेकिन न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो आरोप लगे, जो न्यायाधीश गैर-कानूनी काम में किसी भी तरह से इन्वाल्व होते हैं, इनके लिए ये जो बिल लाए, इसमें तीन बातों पर इन्होंने चर्चा की। इन्होंने एक पैनल बनाया कि न्यायाधीशों को कैसे जवाबदेह बनाया जाए, अगर कहीं से करप्शन की शिकायत आती है, तो इसकी जांच कैसे होगी, तो तीन बातें इसमें ये लाए। एक लाए कि शिकायत समीक्षा पैनल, जिसमें जो शिकायत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ हो, चीफ जस्टिस के खिलाफ हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत इस पैनल के अंतर्गत की जा सकती है। यह पैनल जब समीक्षा कर लेगा कि यह शिकायत वास्तव में वैध है, वाजिब है, इसमें कुछ आधार है, तो अन्वेक्षा समिति बनाने के लिए ये एक बिल लाए, यह उसमें यह जाएगा और अन्वेक्षा समिति इसको अन्वेषण समिति के माध्यम से जांच कराकर कार्रवाई के लिए आगे लाएगी। हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार से भी जानना चाहते हैं, आप बहुत बड़े वकील हैं, कानून के जानकार हैं कि समीक्षा पैनल में उच्चतम न्यायालय के लिए जो इन्होंने तीन न्यायाधीशों का पैनल बनाया, इसमें पूर्व के कोई चीफ जस्टिस रहेंगे और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से नाम-निर्दिष्ट दो न्यायाधीश होंगे, तीन व्यक्ति का पैनल होगा। उच्च न्यायालय में भी इसी स्तर पर इन्होंने बनाया है, पूर्व के चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय के रहेंगे और सेम न्यायालय के दो जजेज़ रहेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर किसी साथी के खिलाफ कंप्लेंट आती है, माननीय मंत्री जी, सेम न्यायालय के जजेज़ उस पैनल में हैं और उन्हीं को समीक्षा करनी है, शिकायत उनके साथी के खिलाफ है। कोर्ट की स्थिति यह है कि साथ कोई दूसरा नहीं है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का भांजा है,

कोई उसका संबंधी है, कोई उसका रिश्तेदार है, रिश्तेदार और संबंधियों के बीच में पूरे देश का जुडीशियरी फंसा है और उच्च न्वयायालय और सर्वोच्च न्यायालय खास तौर से फंसा है। माननीय मंत्री जी आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, आपके पास इसकी जानकारी भी है। क्या आपको लगता है कि इस पैनल में अपने सगे-संबंधी, अपने रिश्तेदार के खिलाफ अगर कोई बात आती है, तो क्या इससे कोई सकारात्मक रिजल्ट निकलकर सामने आएगा? आपको स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट किया है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि जिसमें जजेज के पैनल से, सेम कोर्ट के जज के पैनल से ही कोई समिति न बनायी जाए, ताकि वह अपने सगे-संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार के संबंध में जांच करने के वक्त उनके पास ऐसी कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, जिससे वे जांच न कर पाएं। इसलिए आपने स्टैंडिंग कमेटी का वायलेशन किया है और इस समीक्षा समिति में आपको सुधार करना चाहिए। यह मेरा अपना मानना है, मैं कोई कानूनविद नहीं हूं, लेकिन इस देश के आम नागरिक और इस सदन के सदस्य के रूप में कहना चाहता हूं कि समीक्षा समिति में सेम कोर्ट के जजेज़ का एप्वाइंटमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें दूसरे कोर्ट के, दूसरे उच्च न्यायालय के जजेज़ का एप्वाइंटमेंट किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब समीक्षा समिति अन्वेक्षा समिति में रिपोर्ट करती है तो उसमें आपने जो पैनल बनाया है, केवल जुडीशियरी साइड से आपने पैनल बनाया है। जुडीशियल एकांउटिबिलिटी बिल में आपका कहना है कि केवल जुडीशियल साइड के लोग रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आपकी स्टैन्डिग कमेटी ने भी तो रिपोर्ट दी है कि हम ज्यूडीशियरी को ज्यादा विश्वस्त और जवाबदेह बनाने के लिए कार्यपालिका, और न्यायपालिका तीनों का समागम इसमें करें जो स्टैन्डिग कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। जब ज्यूडीशियरी को टीक करना है, इसमें फैले भ्रष्टाचार को ठीक करना है, यह बात जब सामने आ गई तो क्या स्टैन्डिग कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इसमें इनक्लूजन के लिए, इसमें जांच के लिए एक्सपर्ट व्यक्ति ही सही, कार्यपालिका और विधायिका के व्यक्ति का इसमें इनक्लूजन क्या नहीं होना चाहिए? मेरा मानना है और मेरा सुझाव है कि करप्शन के खिलाफ जो अन्वेक्षा समिति है, राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत करना हो या जो भी प्रक्रिया आप अपनाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो उसमें विधायिका और कार्यपालिका क्षेत्र के भी कानून के जानकार व्यक्ति को मनोनीत करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है।

आपने अन्वेषण समिति बनाई है जो छः साल में अन्वेक्षा समिति को रिपोर्ट देगी कि जज के खिलाफ क्या आधार बने। उसमें आपने तीन सदस्यीय समिति बनाई। इस तरह की कई और अन्वेषण समितियां आप बना सकते हैं जो ऊपर की समिति है। मेरा मानना है कि इसमें आपने जो दिया है, जो आप विधेयक लाए हैं, उसमें कहीं भी यह दिखाई नहीं देता है कि इसके सदस्य आखिर किस तरह के सदस्य होंगे। जो अन्वेषण करेंगे, वे ज्यूडीशियरी के सदस्य होंगे या गैर-ज्यूडीशियरी के सदस्य होंगे। मेरा मानना है फिर अगर ज्यूडीशियरी के सदस्य को ही अगर आप इसमें लाते हैं तो क्या इनके पास अनुभव है किसी भी चीज़ को सुपरवाइज़ करने का? इनको तो केवल कानूनी बातों की जानकारी और ट्रेनिंग दी जाती है वकील के रूप में, जज के रूप में, लेकिन जब अन्वेषण करना है तो जो दूसरे कमीशन के लोग हैं उनको यह जानकारी रहती है और अन्वेषण करने के बारे में वे एक्सपर्ट रहते हैं और पता लगा लेते हैं कि करप्शन है या नहीं है, जो शिकायत है वह जायज है या नहीं है। इसलिए इनक्वायरी कैसे करें, इसका सुपरविज़न कैसे करें, इसके लिए एक्सपर्ट तंत्र लगना चाहिए ताकि सही जांच हो सके और जांच के बाद सही कार्रवाई हो सके।

इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायत करेगा, उसको पांच साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना होगा यदि उसकी शिकायत ठीक नहीं मानी गई। आपने लिखा है कि उनको तंग करने के लिए, उनको एम्बैरैस करने के लिए अगर कोई शिकायत करता है तो उसमें पांच साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना होगा। लेकिन हमारे ऊपर कोई शिकायत करता है और वह गलत पाया गया, तो उसको एक साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा। जज के खिलाफ तो कोई शिकायत ही नहीं करेगा क्योंकि ज्यूडीशियरी का इतना भय है कि कोई शिकायत भी नहीं कर सकता है।

दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सेवा और राज्य सेवाओं में आयोग का गठन हुआ जिसके माध्यम से कार्यपालिका में एक्जीक्यूट करने वाले पदाधिकारी का चयन होता है। ज्यूडीशियरी में लंबे समय से मांग आ रही है, स्टैन्डिंग कमेटी ने भी आपको रिपोर्ट दी है कि पैनल के माध्यम से आप जो जज का चयन करते हैं, क्या उसके लिए आयोग नहीं बनना चाहिए? बिना आयोग बनाए आप किस तरह से कह सकते हैं कि जो न्यायाधीश है, वह वाजिब न्याय करते हैं। यह जाति, धर्म पर बना समाज है। मैं एक मिनट में बताना चाहता हूं कि जब सभी क्षेत्रों में रिजर्वेशन है, सभी क्षेत्रों में लोकपाल बिल लाए, उसमें भी आपने रिजर्वेशन की बात की, लेकिन ज्यूडीशियरी में आप रिज़र्वेशन कैसे देंगे? हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि न्यायिक आयोग का गठन करें जिससे जजों की बहाली हो और जजों की बहाली रिज़र्वेशन के आधार पर हो। जब रिज़र्वेशन के आधार पर जजों की बहाली होगी, तब देश में न्याय मिलेगा। परिवार और सगे-संबंधियों के बीच से ही अगर जज चुने जाएंगे तो न्याय नहीं मिलेगा।

अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जिला न्यायालय और उसके अंदर जो मुंसिफ है, वहां जो पेशकार है, वह बिना पैसे लिए एक केस भी नहीं सुनता है, एक वाद भी पेश नहीं करता है। इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? हम चाहते हैं कि जब ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए अलग से लाकर इनक्लूज़न करते हैं तो क्या जिला जज और उसके नीचे जो मुंसिफ है, उनके नीचे जो पेशकार हैं, उनके द्वारा हो रहे करप्शन को रोकने के लिए क्या कोई कानून नहीं बनना चाहिए? उनके लिए भी आपको कानून बनाना चाहिए और काम करना चाहिए। अमेरिका में आजीवन जज रहते हैं, इंग्लैंड में 75 साल तक रहते हैं। हम 62 साल और 65 साल में उनकी सेवा समाप्त करते हैं। क्या 62 साल के बाद विभिन्न राजनीतिक दल जो सत्ता में रहती हैं, भिन्न-भिन्न आयोगों के अध्यक्ष उन जजों का बनाती हैं। जजों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी जाती हैं जिसका कोई काम नहीं रहता है। क्या इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है? मेरा मानना है कि जिस तरह से इंग्लैंड में या अन्य देशों में जो जजों को दूसरी सेवा में जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, उस तरह की व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए ताकि कोई पोलिटीकल पार्टी या कोई पोलिटीकल ऑथोरिटी उन्हें ऑब्लाइज करने की व्यवस्था न करें।

सभापति जी, इन सब बातों के साथ मेरा मानना है कि समान नागरिक, समान कानून की व्यवस्था हो। कोई जज अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें पद से हटा देना ही अंतिम बात नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सौमित्र सेन के मामले में जो मुद्दा आया था, लोकसभा में आने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या उन पर केस हुआ? क्या वे कोर्ट में गए? क्या वे जेल गए? एक आम व्यक्ति पर जब केस होता है तो एफआईआर होते ही उसको पहले जेल भेजा जाता है। बाद में उसकी जांच होती है। लेकिन जब एक जज करप्शन के आरोप के पकड़े जाते हैं तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है, यह किसी को मालूम नहीं है।

माननीय सभापति जी, हम आपके माध्यम से सरकार के जवाब में चाहते हैं कि यदि कोई जज किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। तो आम नागरिक के साथ जो उस स्थिति में व्यवहार होता है, क्या उस जज के साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए? अगर वैसा व्यवहार होना चाहिए तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? आप कैसा कानून लाएंगे ताकि केवल उन्हें अपने पद से हटा देना ही इसका हल नहीं है, उन्हें आम नागरिक जैसी सजा का जो प्रावधान है, वैसा प्रावधान उनके साथ किया जाना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ, आपने जो मुझे समय दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री कल्याण बनर्जी, आप अपना भाषण अपराह्न 2.00 बजे आरंभ कर सकते हैं। सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 12.57 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा *मध्याह्न भोजन के पश्चात्* अपराहन 2.01 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुये*]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा।

माननीय सदस्यगण परम्परा के अनुसार सभा के पटल पर व्यक्तिगत रूप से अविलम्ब पर्ची दे सकते हैं।

(एक) नागपुर में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत विविध परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि के उचित उपयोग को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): तीव्र गति से हो रहे शहरी विकास के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो रही अनेक समस्याओं को दूर करने के लिये पेय जल, सड़कों एवं पुलों के निर्माण, जल निकासी प्रणाली के प्रावधान, मल निकासी एवं स्वच्छता, तीव्र परिवहन प्रणाली, बसों, स्लम निवासियों के लिये मकानों के प्रावधान के साथ शहरों का वैज्ञानिक रूप से विकास किये जाने की दृष्टि से एक

*सभा पटल पर रखे माने गये।

सुसंगत शहरीकरण नीति की आवश्यकता महसूस की गई थी।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में एक लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना नामत: जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएस) की संकल्पना की थी। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों को निधियां विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये प्रदान की जानी थी। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार 50 प्रतिशत निधियां स्थानीय निकायों को देती है, राज्य सरकार 20 प्रतिशत देती हैं और स्थानीय निकाय शेष भाग प्रदान करते हैं। निधियों का आवंटन शहर की आबादी के अनुपात में किया गया था। इसका वास्तविक रूप से ध्यान रखना और कार्यान्वयन स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता था। लेकिन किसी प्रकार के समन्वयन एवं निगरानी प्रणाली के अभाव में निधियां लक्षित उद्देश्यों के लिये उचित रूप से उपयोग नहीं की जा रही हैं तथा इसके परिणामस्वरूप इस योजना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण नागपुर है। जेएनएनयूआरएम ने नागपुर नगर निगम (एनएमसी) को 1348.86 करोड़ रुपये की निधियां दी हैं। जिसमें पेयजल परियोजनाओं के लिये 1106.60 करोड़ रुपये तथा सरकारी परिवहन प्रणाली के लिये 242.26 करोड़ रुपये दिये गये हैं। मैं मांग करता हूं कि ठेका देने में पूरी तरह से पारदर्शिता हो और केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि ठेका देते समय उपस्थित रहें तथा अनियमितता, यदि कोई हो, को रोका जाए। इसके अलावा जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत इन परियोजनाओं के लिये आवंटित निधियों के नियंत्रण, समन्वयन एवं निगरानी की उचित विधि हो। सरकार को यह सच सामने लाना चाहिये कि लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग में आई विभिन्न बाधाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई उपयुक्त विश्लेषण किया गया है।

आवश्यक सेवायें जैसे जल आदि का अब निजीकरण हो रहा है तथा नागपुर नगर निगम के इस निर्णय पर लोगों में अत्यंत रोष है। इसके परिणामस्वरूप शुल्क बहुत बढ़ गया है। लोग जहां पहले 200 रुपये का भुगतान कर रहे थे अब उसी के लिये उन्हें 2000 रुपये का भुगतान करना होता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर मैं सरकार से नागपुर के लिये जेएनएनयूआरएम के अधीन विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियों का उपयुक्त एवं विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं जिससे दुरूपयोग रुक सके।

(दो) महाराष्ट्र के मुम्बई में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के मौजूदा स्मारक के निकट और अधिक भूमि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड (मुम्बई दक्षिण-मध्य): मैं पुन: एक बार फिर सरकार का ध्यान परम पूज्य डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के राष्ट्रीय स्मारक चैत्यभूमि की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे देश के एक महान देता थे। उन्होंने विभिन्न जातियों के बीच समानता की भावना का संचार किया था। वर्तमान में दादर बीच का छोटा टुकड़ा ही स्मारक के पास है। महोदया, बाबा साहेब के लाखों अनुयायी प्रतिदिन चैत्य भूमि आते हैं। इतनी बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों के प्रतिदिन वहां आने के कारण वर्तमान जगह में ठीक तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती है। दूसरे, चैत्य भूमि द्वारा वहां एक दलित आंदोलन की आर्ट गैलरी सभागार, विश्वस्तरीय लाइब्रेरी और एक बौद्ध शिक्षण केन्द्र आदि बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। लेकिन वर्तमान जमीन पर इसका विस्तार एवं सौन्दर्यकरण नहीं किया जा सकता।

इन्दू डाई वर्क्स मिल्स की जमीनें जो कि नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के अंतर्गत आती है और बंद पड़ी हैं, चैत्यभूमि स्मारक से सटी हैं।

अत: मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि बंद पड़ी इंदू डाई वर्क्स मिल्स की जमीन को नि:शुल्क परम पूज्य डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक के लिए महाराष्ट्र शासन, चैत्यभूमि को हस्तानांतरित किया जाए और इसके (स्मारक) विस्तार एवं सौन्दर्यीकरण के लिए केन्द्र सरकार चैत्य भूमि स्मारक को 100 करोड़ रुपये की सहायता तुरंत उपलब्ध कराए।

(तीन) केरल में हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत लोगों के कल्याण और ऋण राहत हेतु निर्धारित धनराशि को जारी किए जाने की आवश्कयता

[अनुवाद]

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): हथकरघा केरल में बुनाई का एक प्राचीन रूप है जिसमें हजारों लोग अपनी आजीविका के लिये कार्य कर रहे हैं। एर्नाकुलम जिले के परावूर में चेन्दमंगलम, तिरुवनंतपुरम में बलरामपुरम और देश के अन्य भाग खानदानी हथकरधाा वस्त्रों के लिये प्रसिद्ध है। विद्युत करघा के व्यापक पैमाने पर शुरू होने के कारण हथकरघा क्षेत्र को अपने अस्तित्व के लिये कठिन प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष करना पड़ रहा हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत लोग सरकार से 3000 करोड़ रुपये की सहायता का धैर्य से इंतजार कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती बजट में शामिल किया गया था और जिसका मुख्य मकसद हथकरघा क्षेत्र का विकास करना एवं इस क्षेत्र में लगे लोगों की सहायता करना है। वित्तीय वर्ष दो तीन महीने बाद समाप्त होने को है तथा यह धनराशि अविलम्ब व्यय नहीं की जाती है तो इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण एवं ऋण से राहत के लिये

विहित इस धनराशि के व्यपगत होने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रस्ताव योजना आयोग के पास अनुमोदनार्थ है तथा इसके बाद मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन की भी आवश्यकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि यथासंभव शीघ्र आवश्यक प्रक्रियायें पूरी की जाएं ताकि हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक यूनिट को धनराशि अविलम्ब उपलब्ध कराई जा सके।

(चार) राजस्थान के जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सांभर साल्ट एवं हिन्दुस्तान साल्ट नामक दो कंपनियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री लालचन्द्र कटारिया (जयपुर ग्रामीण): मेरे संसदीय क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत सांभर साल्ट एवं हिन्दुस्तान साल्ट नामक दो कंपनियां स्थित हैं जिसमें लगभग 205 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं जिनकी सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है। जिनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 वर्ष किया जाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये कंपनी पिछले काफी वर्षों से घाटे में चल रही थी लेकिन प्रबंधकों के अथक परिश्रम एवं कर्तव्य परायण्ता की वजह से ये अब अपना घाटा भी कम कर रही है एवं शीघ्र ही लाभ देयता की स्थिति में होगी।

ये कंपनियां आर्थिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से जयपुर की नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि सांभर साल्ट एवं हिन्दुस्तान साल्ट नामक कंपनियों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए।

(पांच) मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील में एस.डी.ओ. (दूरसंचार) की नियुक्ति किए जाने और उक्त तहसील को अलग एस.टी.डी. कोड भी आवंटित किए जाने की आवश्कयता

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): मैं माननीय संचार मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ आता है। जिला मुख्यालय राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले तहसील जीरापुर जोकि लगभग 30 वर्ष पूर्व बन चुकी है व मेरा गृह ग्राम भी इसी तहसील के अंतर्गत आता है। लेकिन संचार विभाग अभी तक उसे तहसील मुख्यालय मानने को तैयार नहीं है। इसलिए इस तहसील मुख्यालय पर अभी तक एसडीओ (टेलीकॉम) की पोस्ट स्वीकृत नहीं की गई है जिसके कारण मेरे क्षेत्र की इस तहसील के उपभोक्ताओं को टेलीफोन व मोबाइल संबंधी सुविधाओं व शिकायतों के संबंध में लगभग 70 किलोमीटर दूर आना-जाना पड़ता है।

आज का युग इंटरनेट का युग है। संचार सुविधाएं आज जीवन का एक आवश्यक अंग बन चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल भी अपने उपभोक्ताओं को कई प्रकार की सुविधाएं सुलभ ढंग से उपलब्ध करा रहा है। विभाग द्वारा ट्रैफिक कंजेशन कम से कम हो, इस ओर भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में तहसील जीरापुर को अभी तक सेपरेट एसटीडी कोड एलॉट नहीं हो सका है जबकि जिले की अन्य तहसीलों में खिलचीपुर, सारंगपुर, राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ में क्रमश: 07370, 07371, 07372, 07374, 07375 एसटीडी कोड क्रियाशील है। इस क्रम में 07373 कोड अभी खाली पड़ा हुआ है जोकि वर्तमान में संभवत: मेरी जानकारी अनुसार प्रदेश ही नहीं देश के किसी शहर को एलॉट नहीं है।

इस संबंध में माननीय संचार मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में राजगढ़ की तहसील जीरापुर को सेपरेट एस. टी.डी. कोड 07373 शीघ्र एलॉट करने व एस.डी.ओ. (टेलीकॉम) की पोस्ट भी शीघ्र स्वीकृत करने संबंधी समुचित आदेश करने का कष्ट करें।

(छह) देश में अत्यंत कम जनसंख्या वाले अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. चार्ल्स डिएस (नामनिर्दिष्ट): भारत की जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक हो रही है और देश के कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक अधिक से अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार एवं कल्याणकारी उपायों के मामलों में उनकी उपेक्षा हुई है। कुछ राज्यों में धर्म और जाति के नाम पर उन पर अत्याचार किया जाता है। कुछ राज्यों में सरकारें भी संख्या में अत्यंत कम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये प्रयत्न नहीं करती हैं।

संख्या की दृष्टि से अत्यंत कम अल्पसंख्यक हैं जैसे आग्ल भारतीय, पारसी, यहूदी आदि देश में अस्तित्व के लिये संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पवित्र संविधान के निर्माताओं ने इन समुदायों के लिये कुछ सुरक्षा प्रदान की है। लेकिन अभी भी वे अन्य लोगों से प्रतिस्पर्धा करने एवं अस्तित्व के लिये कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम में भी कतिपय नियुक्तियों के मामलों में अल्पसंख्यकों पर उचित रूप से विचार किये जाने की व्यवस्था करने का उललेख है फिर भी यह चिन्ता की बात

है कि पर्याप्त नियुक्तियां एवं कल्याणकारी उपाय इन लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसके मद्देनजर मैं केन्द्र सरकार से देश में संख्या की दृष्टि से अत्यंत कम अल्पसंख्यकों के समक्ष आ रही समस्याओं का अध्ययन करने के लिये विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने और उसकी रिपोर्ट छह माह के अंदर प्राप्त किये जाने का अनुरोध करता हूं।

(सात) मध्य प्रदेश के इंदौर में बीएसएनएल के कार्यालय में केबल और उपकरणों की कमी को दूर करने और वहां दूरसंचार सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): मोबाइल के इस युग में लैण्डलाइन के कनेक्शन की ओर जो मूलत: बीएसएनएल की आधार रही है, की अनदेखी की जा रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र इन्दौर में निगम के पास केबल और उपकरण का अभाव है और इस कारण नए कनेक्शन देने में अपने आपको असमर्थ पा रहे विभाग को वर्तमान कनेक्शन की संख्या बनाए रखने में अड़चनें आ रही है। यह विदित हुआ है कि लैण्डलाइन उपभोक्ताओं को सेवा के नाम पर भुगतान किए हुए बिलों की मांग के लिए कानूनी सूचना पत्र भेजे जा रहे हैं जबकि वास्तविकता में भुगतान पूर्व में ही कर दिए जाने के कारण उपभोक्ताओं को मानसिक कष्ट पहुंच रहा है और विभाग में कानूनी सूचना पत्र भेजने के लिए विधि सलाहकारों को दिए जाने वाले भुगतान में अन्य स्वार्थों की शंकाएं उत्पन्न हो रही है जिसकी जांच अत्यंत आवश्यक है। मेरे विचार में मूलत: लैण्डलाइन फोन का उपयोग पारिवारिक रूप से तथा व्यावसायिक रूप से किया जाता रहा है और इस मूलभूत आवश्यकता वाली सेवा की ओर विभाग द्वारा अनदेखी करना उचित नहीं है।

उपरोक्त अनुसार, निगम की मोबाइल सेवा का भी वही हाल है। बीटीएस उचित रूप से न लगाना, उपकरणों के अभाव आदि से कॉल ड्रॉप, नेटवर्क की अनुपलब्धता आदि असुविधाओं से उपभोक्ता अत्यधिक असुविधाजनक स्थिति में आ गए हैं जिस कारण वे निगम की सेवाएं छोड़कर अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो नई-नई सुविधाओं के साथ गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

मैं समझती हूं कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में केवल वही टिक सकेगा जो उपभोक्ताओं को उचित दर पर उचित सेवाएं प्रदान कर सके परंतु वर्तमान में भारत संचार निगम की टूजी सेवाओं की गुणवत्ता का यह हाल है तो थ्री जी व फोर जी सेवाओं की अपेक्षा इनसे करना उचित नहीं है।

मेरे लोक सभा क्षेत्र इन्दौर में संसाधनों की कमी को तुरंत दूर कर भारत संचार निगम को अच्छी सुविधा प्रदान करने योग्य बनाया जाए। जंपर वायर, ड्राप वायर, बीटीएस की कमी तथा अन्य इस तरह के उपकरणों का अभाव तेजी से बढ़ते इस शहर के विकास में बाधक होगा। भविष्य में देश की जानी-मानी आईटी कंपनियों व फार्मा उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित हो रहे हैं ऐसे में भारत सरकार निगम, जो लाभ देने वाले उपभोक्ताओं को अर्जित कर सकता है, उनकी अनदेखी करना उचित नहीं है। मैं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे निगम के कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

(आठ) मध्य प्रदेश की जबलपुर छावनी में बढ़ती हुई आबादी के अनुपात में असैन्य क्षेत्र को बढ़ाए जाने और छावनी क्षेत्र में अधिरोपित करों को युक्तिसंगत बनाए जाने की आवश्कयता

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर में ब्रिटिश काल से ही रक्षा उत्पादन की पांच बड़ी इकाइयां तथा सेना का बड़ा मुख्यालय होने के कारण कैन्टोमेंट बोर्ड है जिसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में बड़ी आबादी निवास करती है। पिछले वर्षों में आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। उसी के अनुपात में स्थानीय समस्याएं भी बढ़ी हैं। लेकिन कैंट क्षेत्र में सिविल एरिया नहीं बढ़ाया गया है। कैन्टोमेंट एक्ट में प्रावधान है कि हर उस साल में बढ़ती आबादी के साथ ही सिविल एरिया की समीक्षा व विस्तार पर विचार किया जाए। किंतु यहां ऐसी कोई समीक्षा या विचार नहीं किया गया है। जिसका दुष्परिणाम यहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की अनेकों जनहित और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैंट क्षेत्र के निवासियों को नहीं मिल पा रहा है। कैन्टोमेंट एक्ट 2006 के एक्ट के अनुसार मात्र कुछ केन्द्रीय योजनाओं का लाभ ही यहां के निवासियों को मिल पा रहा है। इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन की 324 एकड़ भूमि है जो सेना के अधिकार में होने के कारण स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। अत: आवश्यक यह है कि इस एक्ट में संशोधन कर कई पीढ़ियों से यहां रह रहे लोगों को राहत पहुंचाने हेतु ठोस कदम उठाए जाए। साथ ही आवश्यक रूप से सिविल एरिया का विस्तार करते हुए कैंट क्षेत्र में करारोपण को युक्तिसंगत बनाने छावनी क्षेत्र के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाया जाए ताकि इस क्षेत्र की आम जनता को प्रतिदिन की कठिनाइयों से मुक्ति मिल सके। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस दिशा में सरकार तत्काल कार्यवाही कर आवश्यकता निर्देश जारी करे।

(नौ) बेकरी मालिकों को सस्ती दरों पर गेहूं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): सरकार

द्वारा गरीब परिवारों को 2 रुपये किलो के भाव से अनाज उपलब्ध कराने के लिए जो कानून बनाया है उसी के संदर्भ में कहना है कि उस अनाज को बेकरी व्यवसायी गरीब परिवारों से सस्ती दरों पर खरीदकर पाव, बटर एवं ब्रेड बनाते हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सरकार द्वारा उसी अनाज को सीधे बेकरी व्यवसायियों को दिया जाए ताकि भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी और देशभर में सड़ रहे अनाज को गरीब परिवारों को दिया जाए ताकि भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी और देशभर में सड़ रहे अनाज को गरीब परिवारों तक पहुंचाने का एक अच्छा प्रयास होगा और अनाज को सड़ने से भी बचाया जा सकेगा। प्रत्येक गरीब परिवार को उचित मूल्य पर ब्रेड और पाव उपलब्ध कराया जा सकेगा।

(दस) मध्य प्रदेश के दमोह में एक्सप्रेस और सुपरफास्ट रेल गाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री शिवराज भैया (दमोह): सरकार से अनुरोध है कि रेल मंत्रालय को निर्देशित करें कि कोई भी एक्सप्रेस एवं सुपरफास्ट रेलगाड़ी अगर किसी भी संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय से होकर गुजरती है, परंतु ठहराव नहीं है तो वहां पर गाड़ी का ठहराव दिया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र दमोह जोकि पश्चिम-मध्य रेलवे जबलपुर, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है एवं जिला मुख्यालय भी है परंतु यहां से गुजरने वाली पांच एक्सप्रेस गाड़ियों का यहां ठहराव नहीं है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण में भी यह स्टेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसा प्रावधान अवश्य हो कि जिला मुख्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाए।

(ग्यारह) आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई): देश में आलू माटी के मोल बिक रहा है। किसान बेहाल है और त्राहि-त्राहि कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में सहयोगी विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों में संलग्न लोगों का तकरीबन 65 फीसदी कृषि कार्यों में लगा है। किसानों के मेहनत-पसीने से इस वर्ष पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। बंपर उपज से किसानों को बंपर कमाई होनी चाहिए थी परंतु इसका उल्टा हो रहा हे। आज आलू किसान दर-दर अपने आलू को बेचने के लिए भटक रहा है, उसकी उपज को खरीदने वाला कोई नहीं है और यदि बिक भी रहा है तो वह उत्पादन लागत भी नहीं दे रहा है।

आलू की उत्पादन लागत 3.5 रुपये प्रति किलो के करीब पड़ती है जबकि उत्पादन लागत से कम मूल्य पर किसानों द्वारा तकरीबन 2 से 3 रुपये प्रति किलो आलू थोक मंडियों में बेचना पड़ रहा है। बंपर उत्पादन से राज्यों के सभी कोल्डस्टोरेज मुंह मांगी रकम आलू को स्टोर करने में वसूल रहे हैं और हाउसफुल हैं। ऐसे में किसान हतोत्साहित हैं और वह आलू को खेतों में ही सड़ने के लिए छोड़ रहा है।

अत्यंत दुख की बात है कि सरकार द्वारा इस बंपर पैदावार की जानकारी के बाद भी आलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं। मेरी मांग है कि सरकार आलू किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करें और नेफेड जैसी सरकारी एजेंसियों की सेवाएं लेकर उचित मूल्य पर आलू की खरीददारी करें ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके एवं आलू की फसल को नष्ट होने से बचाया जा सके।

(बारह) इलाहाबाद में वर्ष 2012-13 में होने वाले कुंभ मेले के लिए धनराशि की स्वीकृति के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्री कपिल मुनि करवारिया (फूलपुर): अगला कुंभ का मेला इलाहाबाद (प्रयाग) में अगले वर्ष 1212-13 में आने वाला है। इस मेले में आयोजन पर जो धनराशि व्यय होनी है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमानित धनराशि का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। परंतु सरकार द्वारा इस धनराशि को अभी तक स्वीकृत प्रदान नहीं की गई है।

अत: सरकार से मेरा आग्रह है कि प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव अविलंब स्वीकृत हो जिससे मेले के आयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो सके।

(तेरह) बिहार के मुजफ्फरपुर और दिल्ली के बीच सप्तक्रांति एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 12557 और 12558) में पर्याप्त संख्या में वातानुकूलित कोच उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर): ट्रेन नं. 12557 अप 12558 डाउन सप्त क्रांति एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से आनंद बिहार टर्मि. एवं आनंद विहार टर्मि.-मुजफ्फरपुर दैनिक ट्रेन है जो गोरखपुर-बगहा वाया नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी होकर मुजफ्फरपुर जाती है। इस ट्रेन में एसी बोगी की कमी है द्वितीय वातानुकुलित की एक बोगी है जिसको विभाजित कर आधा प्रथम वातानुकुलित, आधा द्वितीय वातानुकुलित में कर दिया गया है। जिस रेल मार्ग से सप्त क्रांति एक्सप्रेस जाती है उस क्षेत्र से 9 से 10 लोक सभा सदस्य तथा पांच राज्य सभा सदस्य यात्रा करते हैं। बराबर यह देखा गया है कि प्रथम वातानुकुलित के यात्रियों का टिकट-अर्नअप सेकेंड

एसी द्वितीय वातानुकुलित में कर दिया जाता है। जिससे माननीय सांसदों के साथ-साथ व्यवसायियों को भारी दिक्कतें होती हैं।

अत: आपसे मांग करता हूं कि सप्त क्रांति ट्रेन की एक बोगी प्रथम वातानुकुलित तथा 2 बोगी द्वितीय वातानुकुलित की किया जाये ताकि उक्त क्षेत्र के माननीय सांसदों एवं व्यवसायियों को सुविधा मिल सके।

(चौदह) तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में डीआरडीओ के प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गत वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा तमिलनाडु के धर्मापुरी में राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने हेतु प्रयत्न किये गये थे। इस उद्देश्य के लिये तमिलनाडु राज्य सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को आवंटित करने हेतु भूमि की पहचान की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के एक दल ने धर्मापुरी में नेक्कुंधी गांव स्थल का भी निरीक्षण किया था। धर्मापुरी तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है। यह पहल इस अत्यंत पिछड़े जिले के लगभग 15000 लोगों के लिए रोजगार सृजन का एक सुनहरा अवसर था। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने धर्मापुरी में इस अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के लिये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा अपेक्षित सभी ब्यौरे प्रस्तुत किये थे। तथापि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा धर्मापुरी में इस बहुप्रतिक्षित अनुसंधान केन्द्र की स्थापना में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिये मैं माननीय रक्षा मंत्री से धर्मापुरी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अनुसंधान केन्द्र की स्थापना में तेजी लाये जाने का आग्रह करता हूं ताकि तमिलनाडु के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले के लोगों को रोजागार मिल सके और धर्मापुरी लिले का स्वरूप एक पिछड़े जिले से विकसित जिले के रूप में परिवर्तित हो सके।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में लोनार क्रेटर झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने और वहां पर्यटकों की आवाजाही के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्कयता

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा): मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढ़ाणा में एक लोनार केटर स्थान है जहां पर एक तारा टूट कर गिरा था एवं जिस स्थान पर तारा गिरा वहां पर एक तालाब बन गया है और इस तालाब की वजह से लोनार क्रेटर को ए ग्रेड का पर्यटन स्थल घोषित किया गया है परन्तु यह बताते हुए खेद हो रहा है कि प्रकृति के देन वाले तालाब के 500 मीटर के दायरे में अपार गंदगी है। इस पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए कोई आने जाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है जिसके कारण लोग चाहते हुए भी इस स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं और आवागमन के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस पर्यटन स्थल को विकसित करने में भी केन्द्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए।

सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थान की आवाजाही के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाये जाये और इस पर्यटन स्थल को विकसित किया जाये।

(सोलह) मंगलोर एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 6107) और टी. गार्डन एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 6865) में एस. एल.आर. कोचों के स्थान पर वी.पी.यू. कोच उपलब्ध कराए जाने और तमिलनाडु के तिरूपुर जिले में स्थित उठुकुली में टी गार्डन एक्सप्रेस का ठहराव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. शिवासामी (तिरूपु): तमिलनाडु में तिरूपु जिले का उथुकुली अपने मक्कखन, घी और दही जैसे उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। इन उत्पादों को रोजाना केरल और देश के अन्य भागों में रेल के द्वारा भेजा जाता है। रेल को इससे प्रति दिन एक लाख रु. से भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। वर्तमान में गाड़ी सं. 6107 (मैंगलोर एक्सप्रेस) तथा 6865 (टी. गार्डन एक्सप्रेस) से जोड़े गए एसएलआर कोच का आकार बहुत छोटा है जिससे उथुकुली से अन्य स्थानों पर उत्पाद भेजने के लिए ये डिब्बे बहुत छोटे हैं। मक्कखन, घी और दही के उत्पादक उक्त गाड़ियों में एसएलआर कोच के स्थान पर वीपीयू कोच लगाए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि परिवहन में सुविधा हो। इसके अतिरिक्त वे गाड़ी सं. 6866 (टी गार्डन एक्सप्रेस) को उथुकुली में रोकने का अनुरोध भी कर रहे हैं। मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की लोगों की ओर से रेल मंत्री से उनकी मांग पर विचार करने की अपील करता हूं।

(सत्रह) दक्षिण पूर्व रेल के अंतर्गत खड़गपुर में रेल चालक प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): पूर्व रेल मंत्री ने लगभग 120 करोड़ रु. की लागत से दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर में रेल पायलट प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र स्थापित करने हेतु आधार शिला रखी थी किन्तु इस परियोजना के कार्यान्वयन में कोई प्रगति नहीं हुई है।

जनसुनवाई के दौरान भी रेल भूमि पर अवैध रूप से बसे हुए लोगों को आश्वासन दिया गया था कि 'सूखी गृह' परियोजना के तहत उन्हें स्थायी आवास मुहैया किए जायेंगे और इस उद्देश्य हेतु 5 करोड़ रु. तत्काल जारी किए जायेंगे। परंतु आज तक इस परियोजना के संबंध में भी कोई प्रगति नहीं हुई है।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री से समुचित कदम उठाने का आग्रह करता हूं ताकि इन परियोजनाओं को अविलम्ब कार्यान्वित किया जा सके।

(अठारह) राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मतदान का अधिकार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): भारतीय संविधान की धारा-171 के अधीन विधान परिषद् के गठन में कुल सदस्यों के 12वें हिस्सा के सदस्यों के चुनाव में महाविद्यालयों और उच्चविद्यालयों के पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही मतदान का अधिकार है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मतदान का अधिकार नहीं है, यह उचित नहीं है। बिहार में भी विधान परिषद् के सदस्यों के चुनाव में प्राथमिक शिक्षकों को मतदान का अधिकार नहीं है जिससे वे सभी निराश हैं। उनके प्राथमिक शिक्षक महासंघ ने मांग की है कि संविधान संशोधन कर प्राथमिक शिक्षकों को भी उन राज्यों में मतदान का अधिकार दिया जाये जिन राज्यों में विधान परिषद् है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि संविधान संशोधन कर विधान परिषद् के सदस्यों के चुनाव में प्राथमिक शिक्षकों को भी मतदान का अधिकार मिले।

(उन्नीस) बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और बीच उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव (सिवान): मैं आपका ध्यान बिहार के सिवान संसदीय क्षेत्र के किसानों द्वारा झेली जा रही एक विकट समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, मैं कृषक परिवार से आता हूं और यह भली भांति समझता हूं कि किसान के लिए खाद बीज का क्या महत्व होता है। महोदया मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को इन दिनों ही इन चीजों का अभूतपूर्व अभाव झेलना पड़ रहा है। वर्षा ऋतु के बाद समय खेती के लिए उपयुक्त होता है और यदि इस समय इनका अभाव हो जाए तो पूरे वर्ष किसानों को हर प्रकार का अभाव झेलना पड़ेगा।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मेरे क्षेत्र में उत्तम किस्म की बीज और खाद की शीघ्र व्यवस्था की जाय और साथ ही बाजार में बेची जा रही नकली खाद और बीज पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जाए।

अपराह्न 2.02 बजे

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 और संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010 (अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन)-जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 12 और 13 पर पुन: चर्चा आरंभ करेगी।

श्री कल्याण बनर्जी बोलेंगे।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के समर्थन में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अपनी भारतीय न्यायपालिका पर सचमुच में गर्व है। जो कुछ भी आलोचना होती है उसके बावजूद हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है।

हमारे देश में अधिकांश न्यायाधीश ईमानदार हैं। हालांकि कुछ लोग भ्रष्ट तथा गुमराह है किन्तु इसी एक कारण से हम अपनी न्यायपालिका को दोष नहीं दे सकते। न्यायपालिका के योगदान से ही हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। संवैधानिक प्रावधानों की अनेक व्याख्या के कारण चाहे वह केशवनंद भारती, मेनका गांधी, नंदिनी सत्पथी, अखिल भारतीय न्यायपालिका मामला या एस. पी. गुप्ता का मामला हो लोगों के अधिकारों को स्वीकारा गया है। वस्तुत: जब लोग सत्ता में रहते हैं तो कई बार न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायपालिका की आलोचना करते हैं। जब तक कोई सत्ता में रहता है उसको न्यायपालिका के अस्तित्व का बोध नहीं रहता है जैसे ही वह सत्ता से बाहर होता है उसे देश की न्यायपालिका के अस्तित्व का ज्ञान होता है।

यहां हम संविधान के उपलब्धों में संशोधन करने और नए उपबन्धों को लाने हेतु संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं। किन्तु अतत: यह हमारे देश की न्यायपालिका ही है जो हमारे देश के संविधान की संरक्षक बन गई है। इसकी वास्तविक व्याख्या न्यायपालिका की ओर से ही आती है। लोगों को सुरक्षा की न्यायपालिका के माध्यम से मिलती है।

इस विधेयक के समर्थन में मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु इसके समर्थन से पूर्व हमें यह बताइए कि क्या हमारे देश में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वाधिक अपारदर्शी व्यवस्था है या नहीं। हमारी व्यवस्था पारदर्शी

नहीं है कोई मानक स्थापित नहीं किए गए हैं कोई नहीं जानता कि कौन न्यायाधीश बनेगा, किसे न्यायाधीश बनाया जाएगा, किसे न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। निचली अदालतों में ही नहीं उच्चतम न्यायालय के मामले में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के क्या मानदंड हैं? क्या माननीय विधि और न्याय मंत्री हमें बता सकेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के क्या मानदंड है? क्या यह वरीयता के आधार पर की जाती है अथवा योग्यता के आधार पर की जाती है अथवा क्या ये नियुक्ति उच्च न्यायालय के अघोषित कोटा के आधार पर की जाती है?

कोलकाता में 1996 बैच के एक वरिष्ठ न्यायाधीश अभी तक किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिश नहीं बनाया गया है। किन्तु गुवाहाटी में 2001 में जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया था उसे दूसरे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इसका आंधार क्या है? क्या ऐसा कोई कोटा है जिसके आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं? यदि ऐसा कोई कोटा है तो कृपया इसके बारे में हमें बताइए। यह मेरी समझ से परे है। एक उच्च न्यायालय से न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनाए जा रहे हैं किंतु दूसरे उच्च न्यायालय से एक भी न्यायधीश की इस पद पर नियुक्ति नहीं हो रही है। क्यों? क्या इसका आधार वरीयता है अथवा मैरिट? यदि यह मैरिट के आधार पर तय होता है तो मैरिट का मानदंड क्या है? केवल कॉलिजियम के आधार पर ही उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कॉलिजियम के समक्ष इससे संबंधित क्या मानदंड हैं। कॉलिजियम की एक भी बैठक नहीं होती है। वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। अत: न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक के समर्थन में मैं आपके माध्यम से माननीय विधि और न्याय मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित पारदर्शी उपबन्ध तैयार करें। लोगों को भी पता चले कि नियुक्ति के मानक क्या है। इन मानकों को कम से कम उच्चतम न्यायालय में प्रतिपादित किया जाए। किस आधार पर और किन मानदंडों पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा देश की जनता यह जानना चाहती है।

हमारे न्यायाधीशों पर बहुत अधिक दबाव है। यह सही नहीं है कि वे अपना कार्य नहीं करना चाहते हैं। उन पर कार्य का अत्यधिक बोझ है। आज जनसंख्या बढ़ गई है: मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। किन्तु न्यायाधीयों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। रिक्तियां भी है न्यायाधीश भी है किंतु फिर भी वर्ष-दर-वर्ष रिक्तियों को नहीं भरा जा रहा है। मेरे एक मित्र मुझे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिक्त पदों के बारे में बता रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लगभग 14 पद रिक्त पड़े हैं। इसलिए इन पदों को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता है।

जहां तक न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक का प्रश्न है मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं बंगाली दैनिक में वर्ष 2007 या 2008 में सर्वप्रथम आई एक खबर के बारे में बताता हूं, मुझे निश्चित वर्ष याद नहीं है यह न्यायाधीश सौमित्र सेन के कदाचार के बारे में थी। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने बार प्रेसिडेंट के माध्यम से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से इस न्यायाधीश को कार्य न करने देने का अनुरोध किया था। मुख्य न्यायाधीश ने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया और उक्त न्यायाधीश को जब तक उसने त्यागपत्र नहीं दिया उसे कार्य नहीं करने दिया गया।

इसलिए न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 के अंतर्गत धारा 33 के अधीन समुचित उपबंध में सम्मिलित किया गया है जो कतिपय मामलों में न्यायिक कार्य को सौंपने को रोकने संबंधी निदेश के बारे में है। इसकी अत्यावश्यकता है इसे पूर्व ही अधिनियमित किया जाना चाहिए था किंतु अंतत: ये अब आ गया है।

मैं वकालत कर रहा हूं और वकालत करने वाले वकील का अनुभव यह है कि न्यायाधीश कार्य के बोझ से दबे हैं। मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं कि सभी न्यायाधीश बुरे हैं। मैं तो कहता हूं कि 95 प्रतिशत न्यायाधीश ईमानदार हैं। मैंने न्यायाधीशों की हालत देखी है। मैंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति पश्चात् मिनी बस में घूमते देखा है। मैंने एक न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद अपना जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए और अपनी कैंसर से पीड़ित पत्नी की देखभाल करते हुए देखा है। मैं अपनी वकालत की शुरूआत में पटना गया था मैंने न्यायाधीश एल.एन. शर्मा के जीवन स्तर को देखा था वह अकल्पनीय था। ऐसे कई न्यायाधीश हैं और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हमारे देश के भ्रष्ट न्यायाधीशों के कारण कुछ आचारहीनता है इसलिए न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी एवं प्रस्ताव पुन: लाया जाये। इसकी आवश्यकता है। मैं न्यायाधीशों के स्थानांतरण के विचार का समर्थन करता हूं। जो भी परिलब्धियां उन्हें दी जानी चाहिये और जो भी वेतन उन्हें दिया जाना चाहिये, आप उनका निर्धारण कर सकते हैं। जो भी न्यायाधीश का पद स्वीकार करने को तैयार हो तो उसे न्यायाधीश बनने का अवसर दिया जाना चाहिये और साथ ही यह शर्त भी लगाई जानी चाहिये कि उसका दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है। यदि किसी उच्च न्यायालय विशेष में प्रैक्टिस कर रहे वकील को न्यायाधीश बना दिया जाता है तो उसे उस उच्च न्यायालय, जिसमें वह प्रैक्टिस कर रहा है,

ये भिन्न उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना चाहिये। इस बारे में मेरा तो यही मानना है। पेशे से मैंने जो अनुभव हासिल किया है, उसके अनुसार मेरे विचार में यदि ऐसा हो जाये तो भ्रष्टाचार जिसकी बात करते हैं, 50 प्रतिशत कम हो जायेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोक देगा। हमें ज्ञात है कि स्थानांतरण के मामले में भी एक या दो न्यायाधीश क्या करते हैं। मैं वह नहीं बता सकता क्योंकि यह एक सिद्ध तथ्य नहीं है। यह पता लगाने के लिये कि कोई न्यायाधीश ईमानदार है अथवा बेईमान आपको उसके न्यायालय जाना होगा। न्यायालय परिसर में ही आपको पता लगेगा कि कोई न्यायाधीश ईमानदार है अथवा नहीं। उसके लिये किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा, मैं माननीय विधि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उच्चतम न्यायालय की एक सर्किट बेन्च की स्थापना की जाये, विशेष रूप से सभी क्षेत्रों (रीज़न) और कम-से-कम चार क्षेत्रों में। मैं जानता हूं कि यह उन्हें पसन्द नहीं आयेगा। मेरा अगला वक्तव्य यह है कि चूंकि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, अत:, उच्चतम न्यायालय के वकील किसी भी मामले के लिए भारी-भरकम शुल्क वसूलते हैं। उनके लिये, 8 लाख रु., 10 लाख रु., 15 लाख रु. अथवा 20 लाख रु. की राशि वसूल रहे हैं। कोई इतने बड़े शुल्क के बारे में सोच भी नहीं सकता। कोई आसानी से अनुमान भी नहीं लगा सकता कि उनका शुल्क कितना है। मुझे पता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उनके शुल्क पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, किन्तु आप उच्चतम न्यायालय की सर्किट बेन्चों की स्थापना कर सकते हैं।

मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे एवं भारत वर्ष के बारे में कुछ सोचें। मुझे मालूम है कि सभी विख्यात वकील उनके मित्र हैं और वे स्वयं भी एक विख्यात वकील हैं किन्तु वे ऐसे व्यक्ति हैं जो जमीन से जुड़े हैं। हम उन्हें जानते हैं ...*(व्यवधान)* मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किंतु उनके शुल्क की राज्य सभा के एक व्यक्ति से तुलना नहीं की जा सकती। खैर, मुद्दा वो नहीं है। मैं उनसे विभिन्न क्षेत्रों (रीजन) में उच्चतम न्यायालय की सर्किट बेन्चों की स्थापना किये जाने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है। न्यायपालिका के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षण नीतियां क्यों हों? यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये क्यों है? यह है और कोई भी इस बारे में नहीं जनता। अनूसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से किसी व्यक्ति को क्यों नहीं नियुक्त किया जाता? कोई इसके बारे में नहीं जानता। किसी को नहीं पता कि किसकी नियुक्ति की जाएगी।

कोई आरक्षण क्यों न हो? प्रत्येक स्तर पर आरक्षण नीति होनी चाहिये। यह नियुक्तियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों महिलाओं और अल्पसंख्यकों से क्यों न हो? जब कोई इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि कोलकाता उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश क्यों नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश तुरंत उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशें की नियुक्ति के संबंध में कार्य करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसके लिये मूलभूत सिद्धान्त होना चाहिये तथा इस सिद्धान्त का कार्यान्वयन किया जाना होगा। हरेक जगह ऐसा ही मामला है।

श्री सलमान खुर्शीद, जब अपने सदन में यह चर्चा आरंभ की तो आपने अमरीकी न्यायाधीशों का उदाहरण दिया था। अपने उल्लेख किया था कि वे आजीवन पद पर बने रहते हैं अर्थात् 14-16 वर्षों के लिये। मैं आपको बस इतना स्मरण कराना चाहता हूं कि उन मामलों में न्यायाधीशों की नियुक्ति सीनेट की सहमति के आधार पर की जाती है। राष्ट्रपति इसे सीनेट को भेजता है और यदि सीनेट सहमत हो जाये केवल तभी उनकी नियुक्ति की जाती है। तत्पश्चात् वे अपनी नियुक्ति के समय से लेकर जीवनपर्यन्त अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं। अत:, वहां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु की तुलना हमारे देश के न्यायाधीशों की आयु से नहीं की जा सकती।

मैं उपाध्यक्ष के माध्यम से श्री सलमान खुर्शीद को एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं वकालत कर रहा हूं और मैं आपको यह बता सकता हूं कि वे न्यायाधीश, जो उच्चतर न्यायपालिका से उच्च न्यायालय में आ रहे हैं, वे मात्र 3-4 वर्ष शेष बचते हैं। वे केवल एक तरह से बैठे रहते हैं तथा उनकी ओर से कोई कार्यनिष्पादन नहीं होता है। ऐसे न्यायाधीश भी होते हैं जो केवल सोते रहते हैं। ऐसे न्यायाधीश हैं जो 11.30 बजे या 12 बजे बैठते हैं। अत:, कौन नहीं जानता कि वे कब बैठेंगे और कब उठेंगे।

कृपया न्यायाधीशों का कार्यकाल मत बढ़ाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोलकाता उच्च न्यायालय के कुछेक न्यायाधीशों ने व्यक्तिगत रूप से बताया कि : "हमें आपसे अनुरोध करना है। कृपया संसद में बताएं कि न्यायाधीशों का कार्यकाल न बढ़ाया जाये।" अत:, कृपया इसकी तुलना यहां अमरीका से मत

करें। मात्र कुछेक न्यायाधीश अपने कृत्य का निर्वहन करते हैं, और वे ही कार्यभार संभालते हैं। कुछ लोग हाते हैं जो पद ग्रहण करने के पश्चात अपने कृत्वों का निर्वहन नहीं करते। वे कोई कृत्य नहीं करते, केवल सोते रहते हैं।

हमने न्यायाधीकरण व्यवस्था आरंभ की है। यदि आप किसी न्यायाधिकरण में जाते हैं तो किसी को पता नहीं होता न्यायाधिकरण अब बैठेगा। वहां हर व्यक्ति इंतज़ार कर रहा होता है। वकील इन्तज़ार में होते हैं कि न्यायाधीश कब आएगा न्यायाधीश अपनी सुविधा से 10.30, 11.00, 11.30 अथवा 12 बजे आते हैं और अपनी सुविधा से उठते हैं। अत:, मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से माननीय विधि मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे हर न्यायाधीश के लिये यह अनिवार्य करें कि वह 10.30 बजे बैठ जाये और उन्हें 4.30 बजे तक अर्थात् न्यायालय बन्द होने तक अपने कृत्यों का निर्वहन करना होगा। वर्तमान में हमें पता ही नहीं होता है वे कब आते हैं और कब जाते हैं। अत:, एक व्यवस्था बनाकर रखनी होगी और प्रत्येक स्थान एवं क्षेत्र में अनुशासन लागू किया जाना चाहिये। कोई भी कानून के शासन एवं अनुशासन से बढ़कर नहीं है। हर कोई कानून के शासन के अंतर्गत है और हरेक को अनुशासन बनाए रखना होगा। अत:, एक न्यायाधीश को भी अनुशासन बनाए रखना होगा।

हमारे मित्रों ने असंख्य लंबित मामलों का ब्योरा दिया है। कृपया न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कीजिये। इन मामलों को लोक अदालतों आदि की स्थापना करके निपटाया नहीं जा सकता। नहीं, यह इस तरीके से नहीं किया जा सकता। यदि आप संख्या में लंबित मामलों को निपटाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री कल्याण बनर्जी: महोदय, मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं रोज़ जो अनुभव करता हूं वह आपको बता रहा हूं। मुझे विगत 30 वर्षों के अपने को इस सदन में व्यक्त करने का मौका मिला है। अत:, उनकी संख्या को बढ़ाना होगा और कृपया करके कार्यकाल मत बढ़ाइये क्योंकि इस उपाय से कोई परिणाम नहीं निकल पायेगा।

आप कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में जाने हेतु कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय जाने का विकल्प बना रहना चाहिए, अन्यथा हर कोई लापरवाह हो जायेगा। 44 वर्ष की आयु में प्रवेश होने पर मैं 65 की उम्र तक बना रहूंगा और कोई इसे रोक नहीं सकता। अत:, उच्चतम न्यायालय जाने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिये। यह एक अच्छी प्रतिस्पर्धा है। हम पायेंगे कि अच्छे न्यायाधीश आ रहे हैं, और कम-से-कम कुछ न्यायाधीश समय दे रहे हैं, कुछ न्यायाधीश अच्छा आचरण कर रहे हैं, कुछ न्यायाधीश गुणवत्तायुक्त निर्णय दे रहे हैं कई सारे निणर्य हो सकते हैं, किंतु जो निर्णय वास्तव में ही एक गुणवत्तायुक्त निर्णय हो, जिस निर्णय से लोगों को सीख मिले, जिस किसी निर्बल से कानून का निर्धारण हो, इस प्रकार के निर्णय हमें योग्य न्यायाधीशों से ही मिल पायेंगे। यह स्थान उन व्यक्तियों के लिये प्रदान करें। आयु-सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष न करें। उन लोगों को स्थान दें जो अपने कृत्यों का निर्वहन करना चाहते हैं; जो देश के कानून का समुचित प्रतिपादन करना चाहते हैं; जो बिना किसी डर अथवा किसी के दबाव में आए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं; और ऐसे ही लोगों को उच्चतम न्यायालय में जाने दीजिए, हरेक को नहीं।

इन्हें शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): उपाध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित वाद-विवाद में भाग लेने की मुझे अनुमति प्रदान करने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम मैं न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2010 का समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का इसकी संपूर्णता में स्वागत करता हूं। क्योंकि यह न्यायाधीशों के लिये न्यायिक मानक विहित करता है और जवाबदेही का विधान करता है तथा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता संबंधी व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करने के लिये विश्वसनीय एवं उपयोगी तन्त्र की स्थापना करता है।

महोदय, मैं इस महान सभा में कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले, विधेयक के खण्ड 17 और 18 में एक ओवरसाइट कमिटी नामत: नेशनल जूडिशियल ओवरसाइट कमिटी की स्थापना करने का विचार है। मैं भी समिति के गठन का स्वागत करता हूं जिसमें प्रसिद्ध विद्धान होते हैं। ओवरसाइट कमिटी के गठन से वकालत से जुड़े लोगों को बहुत बढ़ावा मिलेगा क्योंकि विधि क्षेत्र के लोगों के मन में एक सामान्य मत है कि कुछ न्यायाधीश मामलों का निर्णय अपने मनमर्जी से करते हैं और अनेक मामलों का निर्णय गुणवत्ता एवं विधि के उपबंधों के अनुरूप नहीं होता है। अत: मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि ओवरसाइट कमिटी को भेजे गये किसी भी ऐसे निर्णयों को उक्त समिति ध्यान से देखे और इसे न्यायाधीश जिसने निर्णय दिया है की तरह से दुर्व्यवहार के मामले के रूप में जांचा जाए। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

दूसरे, विधेयक के खण्ड 53(1) के संबंध में मैं महसूस करता हूं कि हलकी एवं झूठी शिकायतें करने के लिये इस खण्ड के अधीन निर्धारित दण्ड की मात्रा अत्यधिक प्रतीत होती है। इस खण्ड में कहा गया है।

कोई व्यक्ति, जो ऐसी कोई शिकायत करता है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात्, तुच्छ या तंग करने वाली या उस न्यायाधीश को, जिसके विरुद्ध ऐसी शिकायत दाखिल की गई है, कलंकित या अभित्रास करने के आशय से की कई पाई पाती है, ऐसी अवधि के, जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, कठोर कारावास से और जुर्माने से भी, जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

इस भारी दण्ड के कारण कोई भी किसी चूक करने वाले न्यायाधीश के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने के लिये आगे नहीं आएगा। वे संकोच करेंगे और इससे इस समिति के गठन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री से इस खण्ड के अंतर्गत निर्धारित दण्ड की मात्रा को कम करने के लिये उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध करता हूं।

मैं उच्च न्यायालयों नियुक्ति के संबंध में अपने मित्र श्री बनर्जी द्वारा उठाये गये प्रश्नों को दोहराता हूं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय अनु.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों से संबंधित आरक्षण का नियम नियमनिष्ठता से लागू किया जाए। इसके अलावा अनेक बकाया रिक्तियां विशेषकर अनु. जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों के लिये आरक्षित श्रेणियों में हैं जिन्हें उच्च न्यायालयों में नहीं भरा गया है। इन रिक्तियों को अविलम्ब भरा जाना चाहिये ताकि हम न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम कर सकें।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता भी होनी चाहिये जैसा कि मेरे साथी श्री बनर्जी ने उल्लेख किया है। मैं भी इस बात पर जोर देना चाहता हूं।

कुछ मामलों में निर्णय देने में न्यायाधीश अधिक समय ले लेते हैं अर्थात एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष या कुछ मामलों में सात वर्ष से भी अधिक समय ले लेते हैं। जिससे वादकारियों के साथ अन्याय होता है। ऐसा कहा जाता है कि देर से दिया गया न्याय नहीं होता है। इस बारे में कड़े प्रावधान किये जाएं।

अंत में मैं यहां एक और बात कहना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं। इस सभा में कुछ माह पहले उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरूद्ध महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई थी। उन पर महाभियोग लगाये जाने की विस्तृत चर्चा के बाद राज्य सभा द्वारा संकल्प पारित किया गया। इस महान सभा में इस पर चर्चा आरंभ किए जाने से पूर्व ही उन्होंने अपने पद से अचानक त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया बंद कर दी गई। इसके कारण उस न्यायाधीश द्वारा किया गया कदाचार एवं बुरा कार्य पूरी तरह उद्घाटित नहीं हुआ। यह व्यापक रूप से जनता की जानकारी में नहीं आया। संसद का मूल्यवान समय भी बर्बाद हुआ जिसका लाभकारी उपभोग हो सकता था। अतः भविष्य में ऐसे मामलों में किसी न्यायाधीश द्वारा त्याग पत्र दे दिये जाने के बाद भी इस संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया जारी रखी जाए और चूककर्ता न्यायाधीश के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाए।

इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ए. सम्पत (अटिंगल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अत्यंत गौरव के साथ तथा साथ ही अत्यंत कष्ट के साथ मैं इस वाद-विवाद में भाग लेना चाहता हूं।

देखने में यह विधेयक बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन यह विधेयक कागजी शेर भी नहीं है। इसमें कोई दम नहीं है। हम न्यायपालिश को अधिक शक्तियां दे रहे हैं। यह अच्छा है। हमें अपनी न्यायपालिका पर गर्व है क्योंकि हमारे यहां स्वतन्त्र न्यायपालिका है।

न तो न्यायपालिका न तो संसद सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। संविधान जनता द्वारा, जनता के लिये और जनता का है। मैं राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की लम्बे समय से की जा रही जोरदार मांग की तरह आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इस बारे में विलम्ब क्यों हो रहा है। अन्य सिविल सेवाओं की तरह अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने में क्यों देरी की जा रही है? हमारे यहां लोक अभियोजन निदेशालय क्यों नहीं है? हम सभी इससे सहमत हैं कि देर से दिया गया न्याय से वंचित रखने के समान होता है। लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी न्यायपालिका 'कैसिनो जुडिसियरी' हो गयी है अर्थात ऐसी जगह जहां पैसे का जुआ चल रहा है। यदि आप धनी है तो आप न्याय पा सकते हैं, यदि आप करीब हैं तो न्याय नहीं मिलेगा। लोग यही कहते हैं। यह मेरी राय नहीं है।

मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक पूर्व विधान सभा सदस्य को कारावास में डाल दिया गया था। न्यायालय की अवमानना अधिनियम के उपबंधों के अधीन कठोर कारावास का कोई उपबंध नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से, मैं 'दुर्भाग्य से' शब्द को दोहराना चाहता हूं क्योंकि गत बीस वर्षों से मैं भी वकालत कर रहा हूं। यह मेरा आजीविका का साधन है। लेकिन मैं न्यायालय किसी साक्षी के रूप में भी नहीं जाना

चाहता हूं। लेकिन मैं उस समय शर्मिन्दा रह गया जब यह समाचार सुना कि न्यायालय ने अपने निर्णय में कठोर कारावास की घोषणा की है। कठोर कारावास का कोई प्रावधान नहीं था। बाद में इसे बदल दिया गया। इसका अर्थ है कि न्यायालय भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्य करता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय विधि और न्याय संबंधी स्थायी संसदीय समिति की प्रमुख सिफारिशों पर विचार क्यों नहीं किया गया। समिति के प्रतिवेदन के पैरा 12.2 में कहा गया है, "समिति सिफारिश करती है कि सरकार सचेत रहे और भविष्य में जब भी आवश्यक हो न्यायिक मानकों को अद्यतन बनाने को तैयार रहे।"

पैरा 12.6 में कहा गया है, "समिति का विचार है कि 'निकट संपर्क' अभिव्यक्ति दुलर्भ प्रकृति की है और इस पर अनेक व्याख्याएं की जा सकती है।" इसके संबंध में समिति ने सुझाव दिया। "निकट सामाजिक संपर्क" परन्तु वह अभियक्ति इसमें नहीं है। विधेयक हमारे समक्ष 'निकट संपर्क' अभिव्यक्ति सहित आया है।

समिति ने बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें की है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करके हम न्यायाधीशों की अपने ही सहकर्मियों की शिकायती की जांच पड़ताल का कार्य सौपते हैं। वे न्यायाधीश, ड्यूटी तथा कार्यपालक है। वे आरोपी, अभियोजक और न्यायाधीश है। ऐसा कैसे हो सकता है? न्यायालय अवमान अधिनियम के संबंध में मेरा नम्रनिवेदन यह है कि न्यायालय अवमान अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

न्यायपालिका के क्षेत्र में सामाजिक न्याय का सिद्धान्त कहां है। हम सभी को बहुत गर्व है कि हमारी लोकसभा अध्यक्ष विपक्षी की नेता यूपीए की अध्यक्ष, अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यहां हमारे सहकर्मी संसद सदस्य महिला हैं। परन्तु उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश के रूप में उच्च न्यायालयों में और न्यायपालिका के निचले स्तर में कितनी महिलाएं हैं? क्या न्यायपालिका में कुछ गलत है या महिलाओं के साथ कुछ गलत है? ऐसा किस लिए है? यह पुरूष प्रधान व्यवसाय है।

मेरे कॉलेज के दिनों में कुछ रॉक बैंड गाया करते थे, "मनी, मनी मनी। इट्स अ रिच मैन्स वर्ल्ड।" न्याय प्रक्रिया "पैसा, पैसा, पैसा, धनी आदमी की दुनिया बन गया है।" आम लोगों का क्या? क्या न्यायपालिका इनके विषय में चिंतित है?

आस्तियों की घोषणा इस विधेयक का एक महत्वपूर्ण भाग है। हर कोई जानता है कि कुछ लोग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनते समय अपनी आस्तियों की घोषणा करते हैं। परन्तु उन्होंने उच्च न्यायालय या न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कुल कितनी परिसंपति अर्जित की है? *...(व्यवधान)* मैं न्यायपालिका में उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा क्योंकि वे बुद्धिमान हैं। वे हममें से प्रत्येक से अधिक बुद्धिमान हैं। वे जो लोग गैरकानूनी तरीकों से धन इकट्ठा करना चाहते है, तरीका जानते हैं। जहां चाह होती है वहां राह होती है। बेनामी लेन देन होंगे।

हम उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् माध्यस्थम् करने की अनुमति क्यों देते हैं? हम उन्हें अब भी ऐसा क्यों करने दे रहे है? कानून के संबंध में एक पुरानी कहावत है, या तो आप व्यवसाय से विवाह कर ले या विरासत में व्यवसाय प्राप्त करे। अनेक न्यायाधीश उन वकीलों के घरों से हैं जो कारपोरेट घरानों के मुकदमों को लड़ने में लगे हुए हैं तो क्या हमारी न्यायपालिका कॉरपोरेट है? तो पहली चीज जो खतरे में होगी वह सामाजिक न्याय होगी। हमारी न्यायपालिका संवैधानिक अधिकारों की अभिरक्षक है।

आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री ए.के. गोपालन को प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के उपबंधों के तहत हिरासत में ले लिया गया था उस समय उच्चतम न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इसने कहा कि यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी की जाती है तो वह इस मामले में दखल नहीं देगा। कानून द्वारा विहित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान के "उचित प्रक्रिया" खंड के बराबर नहीं है। परन्तु उच्चतम न्यायालय का यह रवैया बदलने में 25 वर्ष से अधिक समय लगा और इसका कारण यह है कि इस सभा के माननीय सदस्यों में से एक श्रीमती मेनका गांधी हमारे साथ थी। यदि न्यायपालिका गलत निर्णय देती है, तो वह कानून बन जाता है। मैं उससे सहमत नहीं हूं।

उनका कहना है कि वकील न्यायालय के अधिकारी हैं, 1975 में उच्चतम न्यायालय की बार ऐसोसिएशन के कार्यालय पर एक स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा ताला डलवा दिया गया था यह दो वर्ष से भी अधिक समय तक के लिए बंद रहा। एक वकील की भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। किसी न्यायधीश ने भी बार ऐसोसिएशन के कार्यालय को खोलने का आदेश नहीं दिया। यह हुआ था इस देश में।

मैं न्यायपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण करने का समर्थन नहीं करता बेशक हम सभी फ्रांस की क्रांति के दौरान मौन्टैस्क्यू द्वारा प्रतिपादित अधिकारों के बटवारे में विश्वास रखते हैं परन्तु साथ ही यह एक सुस्वीकृत सिद्धान्त है जेरेमी बेनथम सिद्धान्त जिसमें कहा गया है कि "अधिकतम संख्या में लोगों के लिए अधिकतम लाभ।" यह मूल आधार है। हमारे संविधान ने भी अधिकतम संख्या में लोगों के लिए अधिकतम लाभ के सिद्धान्त को स्वीकार किया है।

मेरे अनेक सहकर्मि तथा विद्वान मित्रों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमारा उच्चतम न्यायालय दिल्ली के बाहर बैठने में क्यों हिचकता है। संविधान के अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की दिल्ली के बाहर पीठ हो सकती है। परन्तु यह नहीं हिलना चाहता, यह नहीं मानता; यह जनता तक नहीं जाएगा। यदि आप चाहते हैं तो आप यहां आएं; हम आपकी बात सुनेंगे; हम मामले को निपटाएंगे और यही कानून है। यह एक महान राष्ट्र है।

हमें हमारे औपनिवेशिक शासकों से कुछ सीखना चाहिए, परन्तु अदालत को संबोधित करने के मामले में नहीं। अब भी यदि मैं उच्च न्यायालय में जाता हूं और अदालत को सर कहकर संबोधित करता हूं तो स्वाभाविक है कि न्यायाधीश मुझे पूछेगा और मुझ से मांग करेगा कि अदालत को उचित तरीके से संबोधित करें। इसका अर्थ है कि मुझे उन्हें "माई लोर्ड" कहकर संबोधित करना है। राष्ट्र के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कह कर संबोधित किया जा सकता है परन्तु एक छोटा न्यायाधीश भी मांग करता है कि मुझे उचित तरीके से संबोधित करो।" हमें "योर ऑनर" कह कर संबोधित करना होता है यदि आप अधिवक्ता हो तो भी हमें "माई लार्ड", "योर ऑनर" कह कर संबोधित करना होता है। हम अभी भी औपनिवेशिक शासन के दु:खद पुराने युग में हैं। परन्तु यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसमें बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली है। हम अभी तक यह थोपी गई औपनिवेशिक परम्पराएं क्यों दे रहे हैं? हमारे ड्रेस भी उपनिवेश काल के हैं। यहां तक कि गर्मियों में अधिवक्ताओं को पसीने आते रहते हैं। न्यायाधीशों को पसीने आते हैं, हमारी अदालतों में गाउन तथा ऐसी चीजें पहनी जाती हैं। वे अभी भी उपनिवेश काल की यूनिफार्म पहनते हैं। हमें अभी तक इससे शर्म क्यों नहीं आती? यह जनता के लिए है। न्यायपालिका को जनता के लिए काम करना चाहिए। बेशक सम्पूर्ण नहीं है। परन्तु हम सम्पूर्णता के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य पूर्णता पाना है।

महोदय क्या मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी को कुछ विनम्र तथा ईमानदार प्रयास करने का अनुरोध कर सकता हूं यदि विधान आवश्यक है तो विधान में भी हम उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय की सर्किट बेंच आरंभ करें। न्यायालयों को जनता तक जाने शिकायतें प्राप्त करने तथा मामले निपटाने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ए. सम्पत: हां, मेरा विचार है कि जब कुछ सदस्य बोलते हैं तो घड़ी तेजी से चलती है और यह मेरे कारण नहीं है।

मुझे कभी-कभी लगता है कि हमारे न्यायालय केवल पीआईएल में अर्थात जनहित याचिका में रूचि रखते हैं, उन मामलों को वे तत्काल निपटा देते हैं। मामले की संख्या बढ़ रही है और मामले लंबित हो रहे हैं। क्या हमारे कुछ न्यायाधीश प्रचार के पीछे भाग रहे हैं। न्यायपालिका के लिए प्रचार पाने का प्रयास करना उचित नहीं है। तुम मेरा हित साधो, मैं तुम्हारा हित साधूंगा। इस संघीय विधायिका का दायित्व न्यायपालिका का हित साधन करना नहीं है। मुझे यह कहने में कुछ हिचक अवश्य हुई है परन्तु कोई और शब्द यहां उपयोग नहीं किया जा सकता था मुझे आशा है कि यह असंसदीय नहीं है। हमें न्यायपालिका का हित साधन नहीं करना चाहिए। हम न्यायपालिका को उपहार न दें।

हमें न्यायपालिका से कोई लाभ या प्रशंसा नहीं चाहिए। उन्हें विधायिका और कार्यपालिका की आलोचना करने दो उन्हें न्यायिक समीक्षा करने दो। यह इस पवित्र पुस्तक भरत का संविधान का अभिन्न अंग है।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध यह है कि स्थायी समिति की सिफारिशों को उपयुक्त मान दिया जाना चाहिए। इस पवित्र सभा में भी ऐसे उदाहरण रहे है कि अनेक विधेयकों को बिना चर्चा के पारित किया गया। हमें ऐसा ही एक अनुभव कल भी हुआ। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कल तीन विधेयकों को इकट्ठा किया गया। मेरे विद्वान मित्र श्री कीर्ति आजाद व्हिसल ब्लोअर विधेयक पर बोलने के लिए उपस्थित थे। उस विधेयक के संबंध में कोई नहीं बोला और उसे वर्तमान स्थायी समिति के पास नहीं भेजा गया।

हम सभी सामाजिक, समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के पक्ष में है। क्या मैं जान सकता हूं कि न्यायपालिका में कितने लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से है। यह महिलाओं के प्रतिनिधित्व के समान ही है। बेशक हम मेरिट के बारे में बात कर सकते है। मेरिट तो है और यह होनी चाहिए परन्तु साथ ही इन श्रेणियों के लोगों की यह महसूस करना चाहिए कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं हम उनमें से एक हैं हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके लिए हमारा काम कर रहे हैं। यदि दलितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सामाजिक समानता का समर्थन करते हैं।

विश्व में हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमें उस पर गर्व है। किन्तु साथ ही ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनका संविधान के रूप में एक पन्ना भी लिखित में नहीं है किंतु कम-से-कम कुछ मामलों में वे हमसे अधिक बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम पिछड़ रहे हैं, किंतु महोदय हमें भारतीय संविधान के पुराधाओं के प्रति न्याय करना चाहिये।

सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में मेरे कई काबिल मित्रों ने बहुत वैद्य सुझाव दिये थे, जैसे कि सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना। उनके अनुसार, इसका कारण यह है कि हमें मेधावी लोग, अच्छी क्षमता एवं बुद्धिमत्ता वाली लोग नहीं मिल रहे हैं। ऐसे युवा इच्छुक व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छे न्यायाधीश बन सकते हैं। वे उन लोगों से काफी बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

कई न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् कुछ उपधान, सुविधा अथवा कोई नियुक्ति चाहते हैं। अत: वे हमेशा राजनेताओं की नज़रों में अच्छे बने रहना चाहते हैं। मेरा विनम्र सुझाव यह है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को कुछ आयोगों, जांच आयोगों तथा अर्ध न्यायिक निकायों में नियुक्त करने के लिये राष्ट्रीय व्यक्ति आयोग सरीखा कोई अन्य तंत्र होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री ए. सम्पत: मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। हमें अमुक न्यायाधीश अथवा अमुक न्यायाधीश नहीं चाहिये। कई राज्यों में उदाहरण हुए हैं। कहा जाता है कि कुछ न्यायाधीश इस दल से और कुछ न्यायाधीश उस दल से ताल्लुक रखते हैं, वे इस दल की नज़रों में अच्छे हैं और वे उस दल के हाथों की कठपुतली हैं। हमें इस प्रकार के न्यायाधीश नहीं चाहिये।

उन्हें संविधान के प्रति और उससे बढ़कर भारत के लोगों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक में आमूल-चूल संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। यह कागज़ी शेर भी नहीं है। इसे पुन: स्थायी समिति के पास पुनर्विचारार्थ भेजा जाना चाहिये। उसके पश्चात् ही इसे इस सभा में पुन: स्थापित किया जाना चाहिए।

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे समक्ष माननीय और न्याय मंत्री द्वारा लाये गये कुछ महत्वपूर्ण विधान हैं।

पहले-पहल मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय विधि और न्याय मंत्री सत्ता पक्ष के उन कुछेक मंत्रियों में से हैं जिनकी मैं बेहद इज्ज़त करता हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि उनमें निष्ठा एंव बुद्धिमत्ता-दोनों का सटीक संगम है। इसके फलस्वरूप, मैं सामान्यत: उनके विधान को पूरे मन से समर्थन करता। दुर्भाग्यवश, मैं मात्र एक ही विधान को पूरे मन से समर्थन कर सकता हूं। दूसरे को मैं आधे मन से समर्थन करता हूं। जहां तक इस एक का संबंध है, मैं पूरे मन से समर्थन करता हूं, यहां मेरे विचार कुछ मित्रों एवं सार्थियों से भिन्न हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सम्मानित दल भी शामिल हैं जिन्होंने पुरजोश दलील दी कि 114वां संशोधन पारित नहीं होना चाहिये।

मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री ने उस चीज़, जो संविधान निर्माताओं द्वारा की गई एक ऐतिहासिक भूल थी, को ठीक करके सही कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे संविधान निर्माताओं को व्यापक रूप से बहुत ही बुद्धिमान लोगों की संज्ञा दी गई है। यह एक निरपवाद उक्ति है।

विगत 60-65 वर्षों में कुछेक ही भूल-चूक का पता चला है। उनमें से कुछ भूल-चूकों के लिये संवैधानिक संशोधनों की आवश्कयता हुई है। मुझे विश्वास है कि यह उन भूल-चूकों में से एक है जिसके लिये संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। ऐसा पूर्णत: माननीय मंत्री जी द्वारा बताये गये उस कारण से नहीं है जिसमें उन्होंने यह कहा कि उच्च न्यायालयों में बहुत रिक्तियां हैं और इसीलिये यदि हम आयुसीमा बढ़ाते हैं तो हम लंबित मामलों की संख्या को कम कर पायेंगे।

मुझे संशय है कि यदि एक मात्र कारण होगा। मुझे विश्वास है कि एक से अधिक वैध कारण है। अधिक वैध कारण यह है कि कोई कारण नहीं कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62 वर्ष की आयु में कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है और वही न्यायाधीश जब उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष की आयु तक कार्य करने के लिये भेजा जाता है तो उसमें अकस्मात क्षमता आ जाती है।

श्री कल्याण बनर्जी ने कहा है कि यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बात है। इस बाबत प्रोत्साहन किया जाना चाहिये कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश योग्यता के आधार पर ही उच्चतम न्यायालय में जाने की महत्वाकांक्षा रखें। मैं उनके साथ पुरज़ोर तरीके से असहमत हूं। हमारे इतिहास ने इस बात का प्रमाण दिया है कि जबसे कॉलीजियम सिस्टम अस्तित्व में आ गया है और उससे पूर्व भी, जब न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त करने की शक्ति कार्यपालिका के पास थी तो मैं यह बात स्वीकार करूंगा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को अधिकांशत: योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया है। तथापि, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति अक्सर हर प्रकार के अस्पष्ट एवं गौण कारणों से भी की गई है।

दुर्भाग्यवश, विगत 12 से 15 वर्षों में, जब से कॉलीजियम सिस्टम अस्तित्व में आया है तब से हमने उच्चतम न्यायालय में जाने की बेहद चाह रखने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बहुत ही सुखद एवं लाभकारी संभावनाओं को देखा है। इसका कारण

यह है कि उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा करने हेतु अलग से तीन वर्ष और मिल जाते हैं।

मैं यहां अपनी बात बहुत ही स्पष्ट रूप से एवं ईमानदारी से कह रहा हूं। इससे उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता, जो कि संविधान में प्रदान की गई एवं परिकल्पित है, प्रभावित हुई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कृपापात्र बने रहना चाहते हैं, के संबंध में कॉलीजियम यह सुनिश्चित करता है कि वे एक विशेष विचारधारा का अनुपालन करें।

मैं यह अत्यंत खेद के साथ कह रहा हूं। यह सुनिश्चित करने बाबत कि उन्हें उच्चतम न्यायालय जाने हेतु चुना जाये वे पूर्णत: नियंत्रित होने के इच्छुक हैं। वरिष्ठता की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जिसका पालन किया जाता हो। मनमर्जी से चुनने की व्यवस्था है। मैं व्यक्तिगत उदाहरण नहीं दूंगा किन्तु वास्तव में व्यक्तिगत उदाहरण बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे लोगों के अनेक उदाहरण दें जिनकी योग्यता पर ध्यान दिये बगैर ही उच्चतम न्यायालय भेजने हेतु चुना गया है। दूसरी ओर, योग्यता रखने वाले दुर्भाग्यवश उच्चतम न्यायालय नहीं जा पाये और उच्च न्यायालय में ही पड़े रहे एवं सेवानिवृत्त हो गये। मेरा विश्वास है कि यदि न्यायाधीश की आयु-सीमा समान हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तीन अतिरिक्त वर्षों का लाभ लेने हेतु उच्चतम न्यायालय में जाने की तीव्र चाह रखने की अपेक्षा उच्च न्यायालय में दी गरिमा, सम्मान एवं निडरता के साथ अपनी सेवा देना पसंद करेंगे। इसके अलावा, किसी भी मामले में शक्ति सरकार के दायरे से बाहर है। और मैं उसी बात पर आऊंगा। मेरे विचार में, उच्चतम न्यायालय संबंधी कॉलीजियम, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, भी न्यायाधीशों को किसी अन्य आधार की अपेक्षा मात्र योग्यता के आधार पर नियुक्त करने में स्वयं को स्वतंत्र महसूस करेगा क्योंकि मेरे विचार में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में बाह्य न्यायालयों में जाने एवं वही अपना समय व्यतीत करने की बजाय अपने ही न्यायालयों में वरिष्ठ न्यायाधीश बने रहना पसंद करेंगे। अत: मेरा विश्वास है कि यह एक ऐसा विचार है जिसे लागू करने का समय अब आ चुका है किंतु दुर्भाग्यवश जैसा कि हमने कल देखा, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इन संवैधानिक संशोधनों से खासा लाभ नहीं हुआ।

सरकार लोकपाल विधेयक लेकर आई, तथा उससे कोई भी संतुष्ट प्रतीत नहीं होता, यहां तक कि उनके संसद सदस्य भी जिन्होंने इसके लिये अपना मत देने की ज़हमत तक नहीं उठाई। मेरे विचार में आज बीजेपी के कुछ संसद सदस्यों ने इस संवैधानिक संशोधन के बारे में आपत्ति व्यक्त की है क्योंकि इसमें एक ही स्पष्ट आधार बताया गया है कि स्पष्टत:, उन लोगों के बीच जो न्यायाधीश बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत अधिक नाराज़गी होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी राष्ट्र के इतिहास में तीन वर्षों का समय तनिक भी कोई समय नहीं है। तीन वर्षों के भीतर हर कोई समान हो जायेगा। अत: कृपया एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने के मार्ग में मत आए। मेरा विश्वास है कि यह समय आ गया है कि आप उच्च न्यायालयों को उचित गरिमा प्रदान करें, उन्हें उनकी स्वतंत्रता प्रदान करें।

श्री कल्याण बनर्जी ने यह उल्लेख किया कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश सो रहे होंगे। यह दूसरा मामला है। यह नियुक्ति के स्तर पर छंटनी का मामला है। मैं उसी बारे में बात करूंगा यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या हमारे देश में नियुक्ति की व्यवस्था अच्छी है अथवा नहीं। इसे मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। कई अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् की बात कर चुके हैं। जिसे इन दो विधानों के साथ लाया जाना चाहिये मेरे विचार में इससे विधान के तीनों संयुक्त स्वरूप पूरे हो सकते थे, क्योंकि यह न्यायपालिका से संबंधित होता। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् एक बार फिर से आया वह विचार है जिसके लिये समय एकदम उपयुक्त है। स्पष्टत:, कॉलीजियम सिस्टम ने हमें विफलता ही दी है। वास्तव में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, जिन्होंने कॉलीजियम सिस्टम की स्थापना की थी, ने अब कॉलीजियम सिस्टम की तानाशाही पर दु:ख प्रकट किया है और इस बात पर भी दु:ख प्रकट किया है कि इसके कार्य को कोई भी संतुष्ट नहीं है। अत:, इस सरकार के लिये अब समय आ गया है कि यह साहस जुटाये और एक राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया की पहल आरंभ करे।

मुश्किल केवल इतनी ही है कि न्यायिक नियुक्ति की समस्त प्रक्रिया पर स्वर्गीय नरसिम्हा राव की अध्यक्षता वाली तत्कालीन सरकार द्वारा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। यह सरकार कई घोटालों से घिरी थी। हवाला के दिन याद करें। उस समय की सरकार अनेक घोटालों से घिरी हुई थी इसलिए मेरे विचार से न्यायालयों ने पूर्णत: आत्मविश्वास रहित सरकार के हाथों से नियुक्ति का अधिकारन छीन लिया था। दुर्भाग्यवश यह सरकार भी पुन: ऐसी सरकार है जो घोटालों से घिरी है। मुझे आशंका है कि इस बार भी इस सरकार के पास इस संबंध में साहस एवं क्षमता होगी, हालांकि हमारे पास एक बहुत काबिल मंत्री है उन्हें इस राष्ट्रीय न्यायिक परिशद् के गठन में हर संभव प्रयास करने चाहिए क्योंकि यह विचार आज के समय में बहुत प्रासंगिक है।

114वें संविधान संशोधन का समर्थन करते हुए मैंने इस सभा से इसे द्विदलीय आधार पर पारित करने का आग्रह किया है। अब मैं न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक पर बात करूंगा। न्यायपालिका के लिए यह बहुत कठिन समय है। माननीय सदस्य

भी इसे समझते हैं। वस्तुत: यह समय न्यायापालिका के लिए अंधकारमय है। हमें अन्ना हजारे कैंप द्वारा राजनेताओं की कठोर आलोचना करने का पूर्वानुमान था राजनेताओं की पिछले 40 वर्षों से ऐसी ही आलोचना होती आ रही है इसलिए अब हमारी खाल मोटी हो गई है। और अधिक आलोचना से हमें कोई परेशानी नहीं होती है मेरे विचार से हम इसके आदि हो गए हैं जो बात बहुत परेशान करने वाली बात है, यह है कि अन्ना हजारे सीविल सोसाइटी कैंप के दो अत्यंत वरिष्ठ वकीलों ने भारत के उच्चतम न्यायालय में इस आशय का एक शपथपत्र दाखिल किया है कि उनकी निजी जानकारी के अनुसार पिछले 15 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से 8 भ्रष्ट न्यायाधीश हैं। मुझे आशा है कि सभा को इसकी जानकारी होगी। आज यह शपथपत्र उच्त्तम न्यायालय के रिकार्ड में है। इन दो सज्जन पुरुषों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही लंबित है। मुझे उनका नाम लेने में कोई हिचक नहीं है, मुझे विश्वास है कि वे भी चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए। श्री शांतिभूषण जो अब 70-75 की आयु के हैं, ने वस्तुत: कहा है कि वह माफी मांगने की बजाय जेल जाना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने मजबूत, निष्पक्ष एवं ईमानदार न्यायपालिका के पक्ष में एक सच्ची बात कही है। उन्होंने कहा है कि वे माफी मांगने की बजाय वह जेल जाना चाहेंगे। न्यायाधीश उनसे ये आरोप वापस लेने की विनती कर रहे हैं पर वे अपनी बात पर डटे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही कठिन समय है। मैंने अभी-अभी जो कहा है उसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। उच्चतम न्यचायालय के गलियारे में जो मजाक चल रहा है कि पंद्रह में से आठ ही भ्रष्ट नहीं है अपितु यह कैसे हुआ कि इसमें से दो-एक छूट गए हैं और एक खास व्यक्ति भी शामिल हैं जिसे इस सरकार द्वारा उच्च स्तरीय संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया है। मजाक यह चल रहा है कि इन सज्जन को भ्रष्ट की सूची में शामिल न करना माननीय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश द्वारा डेनमार्क के राजा के बिना हैमलेर का मंचन करना है। जैसा स्थिति कितनी रसातल तक पहुंच चुकी है।

मैं अपनी बात दो से तीन मिनट में पूरी कर लूंगा। हमने सौमित्र सेन की महाभियोग की कार्यवाही भी देखी है। राज्य सभा ने न्यायपालिका के गलियारे में बहुतायत में होने वाले अनैतिक सौदे को स्तब्मता एंव दशहत से सुना।

मुझे खेद है कि मुझे इस विधेयक का केवल अधूरे मन से ही समर्थन करना होगा। इसने केवल सतह को ही छूआ है। ये इससे अधिक कुछ नहीं कर रहा है। हमारे पास पहले ही न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968 है। इस अधिनियम को लागू करना अत्यंत कठिन है।

अब इस प्रस्तावित विधेयक में मूलत: अलग नाम से वहीं बातें सम्मिलित हैं। उनके पास संचालन समिति भी थी उनके पास जांच समिति भी थी। इस विधेयक में ओवरसाइट कमिटी का भी प्रावधान है। अंतत: महाभियोग की प्रक्रिया संसद में ही चलाई जाएगी। हमने पिछले 60 वर्षों में देखा है कि महाभियोग प्रक्रिया यहां रही है किसी पर महाभियोग लगाना कितना कठिन होता है? पिछले 65 वर्षों में इस देश में किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है।

पूरे सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में अनेक ऐसे उपबंध हैं जो सतह को भी नहीं छूते हैं। मेरे विचार से प्रत्येक वक्ता ने न्यायपालिका की देरी के बारे में बोला है। सरकार ने न्यायालयों में हो रही देरी को रोकने के बारे में बहुत सोच विचार किया होगा। इसे किया जा सकता है। उदाहरण के लिए माननीय मंत्री जो स्वयं विख्यात वकील है जानते हैं कि जहां तक लिखित रूप में शिकायत दर्ज करने का संबंध है, सीपीसी में समय सीमा से संबंधित प्रावधान में एक मामूली संशोधन करने की आवश्यकता है आप मुकदमे के निपटान में देरी की समस्या से निपट सकते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण अब समाप्त करें।

श्री पिनाकी मिश्रा: महोदय, मैं सभा का समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। आप मुझे बोलने के लिए कुछ मिनट और दीजिए।

अत: इस सभा को वास्तव में यह करना चाहिए था कि सीपीसी और सीआरपीसी के विभिन्न उपबन्धों और संशोधनों पर चर्चा करनी चाहिए थी जिससे मुकदमें की अवधि कम हो जाती। मैं मंत्री जी से जो स्वयं एक विख्यात वकील हैं आग्रह करता हूं कि वे मामले के इस पहलु को देखें क्योंकि महत्वपूर्ण स्तर पर यही लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है।

अंतत:, आज की चर्चा के विषय से संबंधित मामले को निपटने के लिए मेरे विचार से इस ओवरसाइट कमिटी में माननीय आध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सभापति होने चाहिए। इसे पूर्णत: भारी भरकम न्यायिक निकाय बनाए जाने का कोई कारण नहीं है। व्यवस्था में निगरानी एवं नियंत्रण होना चाहिए।

मैं पुन: मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् का गठन करें क्योंकि हमें वास्तव में राष्ट्रीय न्यायिक परिषद् की आवश्यकता है जिससे कुछ निगरानी एवं नियंत्रण रहेगा जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया तथा चयन प्रक्रिया लाभकारी हो कार्यपालिका, विधायिका से पर्याप्त संख्या में सदस्य होंगे।

मैं पुन: इस विधेयक पर भाजपा के मेरे मित्रों सहित सभा के सभी पक्षों से अनुरोध करता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री और

सरकार को चलाने वाले कल की अपेक्षा आज अच्छा कार्य करेंगे। कृपया सदन के सभी पक्षों की राय लीजिए। कृपया उनसे 114 वां संशोधन पारित करने का अनुरोध कीजिए क्योंकि यह संशोधन लाभदायक होगा। यह उच्च न्यायालयों के लिए अत्यंत आवश्यक उसका सम्मान और स्वतंत्रता उसे वापस देगा।

इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से ज्यूडीशियल स्टैन्डर्ड्ज़ एंड एकाउंटेबिलिटी बिल, 2011 और संविधान संशोधन (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक 2010 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका प्रजातंत्र के चार स्तम्भों में से एक है। न्यायपालिका से लोगों को बहुत उम्मीद है। उसका एक आदर है कि लोगों को वहां से न्याय मिलेगा। हमारे देश के न्यायालयों में 3 करोड़ 87 लाख केसिस पेंडिंग हैं। केसों की पैंडैंसी के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। विशेषकर छोटे कोर्टों में जब न्याय नहीं मिल पाता है तो केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की फीस लाखों में होती है। उनकी फीस देने के लिए गरीबों के पास पैसा नहीं होता है तो उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है।

महोदय, जैसे विधि आयोग के माध्यम से जजिज की नियुक्तियां होने वाली हैं, मैं स्पोर्ट करूंगा कि हाई कोर्ट के जजिज की उम्र 62 साल से 65 साल कर दी है, यह बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजिज की उम्र पहले से ही 65 साल है। 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट के पश्चात् जजिज को राज्य सरकारों के अंतर्गत किसी आयोग का चेयरमैन नोमिनेट करते हैं या किसी अन्य जगह नियुक्ति करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उनकी आयु 65 साल कर दी जाए, इसके लिए मैं स्पोर्ट करता हूं

अपराह्न 3.03 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*]

न्यायिक व्यवस्था में लोग ट्रांसपरेंसी की उम्मीद करते हैं और हम भी करते हैं। यहां कितने आरोप लग रहे हैं, हमने संसद में भी देखा है कि रामास्वामी का केस हुआ था और सौमित्र सेन का भी केस है, हम सभी तैयार थे कि सौमित्र सेन क्या बोलेंगे और उनसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन राज्य सभा में प्रोसीडिंग के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पता नहीं? यदि किसी एक सीएम की इनक्वायरी होती है, तो वह जनता के सामने आती है, लेकिन सौमित्र सेन के साथ क्या हुआ? क्या उन्हें कोई सज़ा मिली या नहीं? कोई फाइन लगाया गया या नहीं? क्या उनके द्वारा इस्तीफा देने के बाद सब कुछ समाप्त हो गया? यह सब नहीं होना चाहिए। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि वह अपने जवाब में बताएं कि सौमित्र सेन का बाद में क्या हुआ? उनके ऊपर राज्य सभा में भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हुई? यदि कोई एक्शन नहीं लिया गया तो उन्होंने जो गुनाह किया है, उसकी सज़ा कैसे मिलेगी? यदि ऐसा नहीं होगा तो उन्होंने जो निर्णय दिए होंगे, उन पर भी शंका पैदा होगी। कल्याण बैनर्जी जी ने कहा कि 95 प्रतिशत जजिज़ प्रमाणिक होते हैं, यह मैं भी मानता हूं बल्कि सभी प्रमाणिक होते हैं। लेकिन जो आरोप लगाए जाते हैं, जैसा कि शांति भूषण जी ने आरोप लगाया था कि नौ सुप्रीम कोर्ट के जजिज़ की इनक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसे खाए हैं। ...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा कि इसके लिए यदि मेरे ऊपर कनटैम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाएंगे तो मैं उसके लिया तैयार हूं। यदि इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वह ठीक नहीं है, इसलिए उन पर लगाए जा रहे आरोपों की आप कैसे जांच करेंगे। हम यह मानते हैं कि ट्रांसपैरेंसी होनी चाहिए, लेकिन उनके लिए भी पारदर्शिता होनी चाहिए और उनके खिलाफ क्या इनक्वायरी की गई इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि विधि आयोग के माध्यम से उनके ऊपर कुछ कंट्रोल आएगा और सिस्टम में सुधार होगा।

उन पर लगे आरोपों के बारे में आप क्या करेंगे? हम लोग आज भी यह मानते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर इसमें पारदर्शिता है तो उन पर लगे आरोपों की इन्क्वायरी के बारे में क्या हुआ? विधि आयोग के माध्यम से भी उनके ऊपर कुछ नियंत्रण आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। विधि आयोग के माध्यम से उनका सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं भी मानता हूं। इसलिए उनकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। हमारे हुकुमदेव जी ने भी कहा। हमारे...* भी किसी आयोग में हैं, उनके ऊपर कुछ आरोप लगे। यह बात पेपर में आया। एक....* थे, उनके ऊपर मिड डे पेपर में बहुत बार आया। उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसमें बताया गया। मैं जानना चाहूंगा कि इनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? एक एम. पी. पूर्व मंत्री, या पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर एक्शन हो जाता है तो इनके ऊपर इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई? इनके ऊपर भी इन्क्वायरी होनी चाहिए। जजों की नियुक्तियां अभी विधि आयोग के माध्यम से हो

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जाती हैं। हमारी विजय बहादुर जी ने भी कहा कि कई जज जिनकी नियुक्ति हुई, वे पहले एडवोकेट थे। उनका बहुत नाम था। लेकिन उनकी उस समय प्रॉपर्टी कितनी थी? उसके बाद में कितनी हो गयी, इन सारी बातों के ऊपर यहां जो बिल आया है, इसमें लिखा है। इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए तभी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। न्यायपालिका के बारे में लोगों को आज भी विश्वास है, और वह आगे भी रहेगा। मैं यहां यह कहूंगा कि हमारे यहां महाराष्ट्र में एक मुद्दा आया। एक एडवोकेट नेशनल कंज्यूमर फोरम में काम करते थे। उसमें वे मेम्बर भी थे। उन्होंने किसी को कहा कि मैं जजमेंट आपके पक्ष में दूंगी, ऐसा बताने के लिए उसने 30 लाख रुपए लिए। वह अरेस्ट हो गयीं। अभी उनके पिता जी कौन थे, यह आपको पता ही है? आजकल छोटे-बड़े सारे जज, मतलब छोटे कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, उनके आसपास कुछ लोग घूमने लगे हैं। वे आसपास जो घूमने वाले लोग हैं, वे ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। वे बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसा-ऐसा जजमेंट आपको दिलवा देंगे। वे सब जजों के आसपास घूमने वाले लोग हैं। उनके ऊपर भी कुछ सतर्कता होनी चाहिए कि उनके ऊपर कोई एक्शन हो, नहीं तो फिर अपनी न्यायपालिका का नाम भी दूषित हो जाता है। इस बिल का समर्थन करते हुए मेरा स्पष्ट मत है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के चयन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उनकी जो मेरिट है, जो अनुभव है, उसके आधार पर ही उनका चयन होना चाहिए।

तीसरी बात ऐसी है कि हम लोग हमेशा आंदोलन करते हैं। आंदोलन करने के समय हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। पुलिस कोर्ट में बता देती है कि इन्हें हमने अरेस्ट किया था और फिर केस आता है। दूसरे कामों को छोड़ दें तो आंदोलन करने के बाद भी हमें दस-दस बार कोर्ट जाना पड़ता है। उसमें 1000 रुपए की भी डैमेजेज नहीं हुई, फिर भी हमें वहां कोर्ट में बहुत बार जाना पड़ता है, पार्लियामेन्ट छोड़ कर जाना पड़ता है। छोटे कोर्ट के एक माननीय जज ने कहा था कि पार्लियामेन्ट चल रहा है तो क्या हुआ, यह भी कोर्ट है। पार्लियामेन्ट को अपमानित करने वाले जो लोग हैं, उन्हें बताने के लिए आपको एक आचार संहिता बनानी पड़ेगी कि इसके बारे में आप कैसा कहते हैं? कम से कम पार्लियामेन्ट के बारे में तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, यही मैं आपके माध्यम से कहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं आपके भाषण में उल्लेख किए कुछ नामों को कार्यवाही वृत्तांत से हटा रहा हूं।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): सभापति महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इन दो विधेयकों पर बोलने का अवसर दिया।

आज, इन दो विधेयकों पर चर्चा आरंभ की गई है। विधेयक के बारे में विस्तार से चर्चा से पूर्व मैं न्यायाधीशों के चयन एवं उनकी नियुक्ति की व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे कई माननीय संसद सदस्यों, जिन्होंने पहले ही बोल लिया है, ने भी इस पर बल दिया है। इस समय एक कोलीजिलम के माध्यम से न्यायाधीशें की नियुक्ति की प्रक्रिया दोषरहित नहीं है। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री विजय बहादुर सिंह ने पहले बताया न्यायाधीश स्वयं ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी ने कहा, स्तरोलचन में भी कोई मानदंड नहीं है। वर्तमान में न्यायाधीयों के चलन एवं उनकी नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है। अत:, इस व्यवस्था को ठीक करने की नितान्त आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में इस व्यवस्था में दोष है।

महोदय, न्यायपालिका लोगों की आशा की अंतिम किरण होती है। न्यायपालिका में लोगों की आस्था और विश्वास अब भी ज्यों की त्यों बना हुआ है। इससे पूर्व कि कुछेक बेईमान लोगों के कृत्यों की वजह से न्यायपालिका पर से लोगों का विश्वास एवं उनकी आस्था उठ जाये, हमें लोगों के विश्वास को बरकरार रखने हेतु प्रयास आरंभ करने होंगे। विधि आयोग तथा सही विचारधारा के लोग न्यायाधीशों के चयन की एक पारदर्शी व्यवस्था का सुझाव देते हैं। न्यायाधीयों के चयन एवं उनकी नियुक्ति के लिये जनलोक सेवा आयोग की तर्ज़ पर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करनी होगी। इस प्रकार का निकाय हस्तक्षेपों, दबावों आदि से मुक्त होना चाहिये। मेरे विचार में ऐसी व्यवस्था से सही लोगों का सही जगह पर चयन हो जायेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और विधिक कुशाग्रता मार्गदर्शक कारक होने चाहिये। ऐसी व्यवस्था को बनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि न्यायपालिका जवाबदेह और निस्कलंक रहे। आशा करें कि इस सम्मान्नीय सदन के माननीय सदस्यों के सामूहिक मत पर ध्यान दिया जायेगा।

अब मैं संविधान (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में बात करूंगा इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में सेवानिवृत्ति की आयु-सीमा को बढ़ाने के बारे में बताया गया है। सेवानिवृत्ति की आयुसीमा बढ़ाये जाने का कारण यह बताया गया है कि रिक्तियों में मौजूदा बैकलॉग समाप्त हो जायेगा, इसका उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने में स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। अत:, उद्देश्यों और कारणों के काम में आयु-सीमा को बढ़ाये जाने हेतु दिये गये कारण से समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाया जाना समय की मांग है। वर्तमान में, उनमें मात्र 895 न्यायाधीश हैं। अत:, इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 1000 की जाये। मौजूदा 266 रिक्त पदों को भरा जाना तात्कालिक उपचारत्मक उपाय है।

महोदय, माननीय सदस्यों ने विभिन्न न्यायालयों में रिक्त पदों का उल्लेख किया। केवल इलाहाबाद, कोलकाता में ही नहीं वरन मद्रास उच्च न्यायालय में भी कई रिक्त पद हैं। इन रिक्त पदों को भरने में क्या कठिनाई है? मुझे यह बात समझ नहीं आती।

मेरी अगली बात यह है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनका जिला न्यायालयों से उच्च न्यायालयों में स्तरोचयन करने में आरक्षण अपनाने में क्या गलत है? सीधी नियुक्ति में भी सरकार महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों में से प्रतिभावान व्यक्तियों का चयन कर सकती है। केवल तभी सामाजिक न्याय को बरकरार रखा जा सकता है।

केन्द्र को विवादों का समाधान करने के लिये लंबित मामलों की संख्या कम करने हेतु जैसे लोक अदालतों वैकल्पिक तंत्र पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।

अब सुझाव अवकाशों की संख्या को कम करने का है। वर्तमान में न्यायालयों में लंबी अवधि का ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है जिसकी अवधि कम करके न्यूनतम की जा सकती है। वर्तमान में, सबसे बड़ी विवादी सरकार ही है। मामलों के और अधिक संख्या में दर्ज कराये जाने के कृत्य से बचने के लिये विवादों को परामर्श एवं चर्चा के जरिये सुलझाया जाये। यह सरकारों सहित समस्त विवादियों के लिये है।

अब्राहम लिंकन ने एक बार जो कहा था मैं उसका स्मरण कराना चाहता हूं–मुकदमेबाजी को निरूत्साहित करें, और जब भी हो सके अपने पड़ोसी को राज़ी कर उसका ध्यान इस ओर दिलायें कि एक साधारणत: विजेता अक्सर शुल्क, लागत एवं समय के मामले में किस तरह से हार जाता है।

अब मैं विधेयक अर्थात् न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक की बात पर आता हूं। जहां तक 2010 के इस विधेयक का संबंध है, तो यह प्रस्तावित विधेयक न्यायपालिका को और अधिक जवाबदेह बनाकर इस संख्या को सुदृढ़ करेगा जिससे इस संस्था में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

इस विधेयक के माध्यम से किये जाने वाले उपायों से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जवाबदेही बढ़ेगी।

अब, मैं इस विधेयक के उपबन्धों में कतिपय खामियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिनका ध्यानपूर्वक पुन:प्रारूप तैयार किया जाना होगा।

अब मैं धारा 2(अ) की बात करता हूं जो कि दुर्व्यवहार से संबंधित है। उप-खंड (अ) में यह विनिर्दिष्ट किया गया है। कि जानबूझकर गलत जानकारी दिया जाना एक दुर्व्यवहार है। मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में न्यायाधीश द्वारा की गई घोषणा की प्रामाणिकता का सत्यापन अथवा संवीक्षा करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने कि न्यायाधीश द्वारा की गई घोषणा गलत है, हेतु किसी तंत्र का सृजन करने का कोई उपबन्ध है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात को स्पष्ट करें। इस विधेयक में ऐसे तंत्र की व्यवस्था नहीं है।

भारतीय न्यायपालिका विश्व में दूसरी सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायपालिका है जो अमेरिका से दूसरे नंबर पर है। किंतु फिर भी कुछेक बेईमान लोग हैं। अत:, न्यायाधीश के खिलाफ किसी औचित्यपूर्ण वजह से कोई वास्तविक शिकायत तैयार करने के लिये देश के प्रत्येक नागरिक को अनुमति दिये जाने में कुछ भी हानि नहीं है।

धारा-7 में दिया गया उपबंध एक सराहनीय विशेषता है। संवीक्षा पैनल का गठन हो जाने पर, उपबन्ध में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के पैनल में उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के पैनल में उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश मेरी आशंका यह है कि उसी न्यायालन से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जायेगी तो वे अपने साथी न्यायाधीशों के प्रति स्नेह दिखा सकते हैं। अत:, संवीक्षा पैनल का गठन करते हुये उसी न्यायालय से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के बजाय़ दूसरे न्यायालयों से न्यायाधीशों का नामनिर्देशन किया जाये।

धारा-19 सभी शिकायतों को संवीक्षा पैनल के पास भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे इस पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा। मेरा यह सुझाव है कि कोई शिकायत होने पर ओवरसाइट कमेटी प्रारंभिक आकलन कर सके और यदि वह इस बाबत संतुष्ट हो जाये कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो केवल ऐसी ही शिकायतें संवीक्षा पैनल के पास अग्रेषित की जायें।

धारा-26 में एकपक्षीय उपबन्ध के बारे में कहा गया है जिस पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धारा-26 में एक पक्षीय दिशा की ओर आगे बढ़ने शब्दों के पश्चात्, 'उसे पर्याप्त एवं उचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात्' शब्दों को जोड़ा जाये। वर्तमान में उपलब्ध में मात्र 'एकपक्षीय' कहा गया है। पक्षों को पर्याप्त एवं उचित अवसर प्रदान किया जाये।

विधेयक के पठन के अनुसार, ओवरसाइट किसी मामले को संवीक्षा पैनल को भेज दे। अत:, मेरा सुझाव यह है कि धारा-29 में उपयुक्त संशोधन किया जाये ताकि ओवरसाइट कमेटी को इस

बाबत सशक्त बनाया जा सके कि वह अपने स्वयं को स्त्रोतों से दुर्व्यावहार का कोई कृत्य प्राप्त करने की अवस्था में किसी न्यायाधीश के विरूद्ध स्वत: कार्रवाई कर पाये।

न्यायपालिका को जवाबदेह बनोन हेतु एक विधान को लाये जाने का कार्य प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक से न्यायपालिका में आवश्यक सुधार होगा।

किंतु यह सब उपबंधों के कार्यान्वयन पर निर्भर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: 20 सदस्य और हैं जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। किंतु बात के बार-बार मत दोहरायें और संक्षेप में बात कहें।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सरकार के सपोर्ट में बोलना चाहूंगा।

आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश हुआ है। वैसे तो हमारा जो देश है, वह चार पिलर्स पर बना हुआ है। हम कहते हैं कि सभी हमारे जो इलेक्टेड हाउसेज हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटिव हाउसेज हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सभी प्रकार की प्रेस व मीडिया है और जूडीशियरी है, आज सरकार इस बिल के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। मैं मंत्री जी को और सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। कुछ पहलुओं के बारे में मैं बताना चाहूंगा।

पहली बात, हमारे देश में करीब तीन करोड़ से भी ज्यादा केसेज पेन्डिग हैं। मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, इसके लिए हमें आवश्यकता है कि जितनी भी जगहें खाली हुई हैं, मेरे ख्याल से लोअर कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, अगर उन्हें हम जल्द से जल्द प्रक्रिया करके पूरी करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ला रहे हैं, मुंबई जैसी जगहों पर हम लोग वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे हैं और अलग-अलग प्रावधान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में सरकार जरूर सोचे कि अगर जल्द इस बारे में हम कोई उचित कार्यवाही करेंगे, कानून में ऐसा कोई प्रावधान करेंगे ताकि जिससे आम आदमी जो बोल रहा है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है, 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई कहा जाता है' अगर न्याय मिलने में देरी होती है, इसका मतलब है कि न्याय नहीं दिया जाता है। इसलिए आम आदमी की इस मांग पर मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने से एक बात होती आयी है कि टोटल 365 दिनों में 210 दिन कोर्ट चलती है। मैं हमारी न्यायपालिका के ऊपर इस बहस में कुछ चीजों के ऊपर उनको ऐसा लगा कि हमारे ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जो उनकी छुट्टियां है, यह सिर्फ 210 दिन चलता है, अगर हम उनकी छुट्टियों को कम करेंगे, कोर्ट कुछ और ज्यादा वक्त चलेंगे, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द केसेज का निपटारा हो सकता है। मैं मंत्री जी को इस बार पर गौर करने के लिए विनती करता हूं।

दूसरी बात, हमारे जितनी भी निचली कोर्ट्स हैं, चाहे सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, बीच में अखबारों में आता है कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, आम आदमी बोल रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जो सशक्त बिल लाए है, मैं समझता हूं कि दोनों बाजू में, चाहे ट्रेजरी बेंच हो, चाहे अपोजीशन बेंच हो, सभी जगह पर बहुत ही अच्छे ऐसे कामयाब एमपी है, जो वकालत कर रहे हैं या कर चुके हैं, मैं समझता हूं कि इन सबको साथ लेकर एक अच्छा बिल हम इस सदन में ला सकते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आज जो यह बिल लाए हैं, मैं इसको सपोर्ट करता हूं और सरकार का अभिनन्दन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय आपका धन्यवाद कि आपने मुझे न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 तथा संविधान संशोधन (114वां संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, आज के दिन इंडियन डेमोक्रेसी में न्यायालयों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर रिसेन्ट पास्ट में देंखे तो न्यायालयों के माध्यम से कई मुद्दों एवं घोटालों की ओर ध्यान दिया गया है। कोर्ट्स के ऊपर आम इंडियन्स को पूरा भरोसा है। आज जो बिल लाया गया है उस पर हम डिस्कस करेंगे।

[हिन्दी]

जब आप मौजूदा स्थिति को देखते हैं। अभी केवल लोवर कोर्ट्स में दो करोड़ सत्तर लाख केसेज पेन्डिंग हैं और हाई कोर्ट्स में लगभग 40-45 लाख केसेज पेन्डिग हैं। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में लगभग 50-60 हजार केसेज पेन्डिंग हैं। देश में लोअर कोर्ट्स से लेकर हायर कोर्ट तक तीन करोड़ बीस लाख केसेज पेन्डिग हैं। केसेज की संख्या पूरे वोटर्स का पांच परसेंट है। इतने केसेज पेन्डिग हैं। केसेज लंबे समय से पेन्डिग होते हैं। कोर्ट्स में इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम नहीं रहने की वजह से आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। आज हमें आईटी को काफी डेवलप करना चाहिए। इस मामले में भी गवर्न्मेन्ट को सोचना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या

में केसेज पेन्डिग हैं, अवसंरचना विकास एक प्रमुख मुद्दा है। कोर्ट्स के लिए अभी तक जो भी बजट प्रोवीजन किया है वह खर्च भी नहीं हो पा रहा है। आम आदमी को आज के दिन लोअर कोर्ट्स जाने में बहुत दिक्कत होती है। एक कॉमन मैन वहां सुबह से शाम तक गया तो उसको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। कोर्ट्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से आईटी सिस्टम्स डेवलप होना चाहिए। जवाबदेही और पारदर्शिता ये सब आना चाहिए। साथ-साथ अभी जो बात कह रहे थे उनमें जजों का अप्वाइंटमेंट भी अभी काफी पेन्डिग है। इसके बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज के दिन में देखें तो इंडिया में जितने केसेज पेन्डिग हैं उनमें सबसे ज्यादा बीस परसेन्ट केसेज उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में पेन्डिग हैं। उसी तरह महाराष्ट्र, गुजरात एवं अन्य सभी जगह कोर्ट्स में केसेज पेन्डिग हैं। इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जजों की नियुक्ति में केवल उनकी सिनियरिटी ही नहीं बल्कि उनके मेरिट को भी देखना चाहिए। आनेस्टी, इंटीग्रिटी और ट्रांसपरेंसी के साथ मेरिट को देखते हुए जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। उसी तरह इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, वुमन्स माइनरिटी का भी प्रोवीजन होना चाहिए। आप उन लोगों के अंदर भी मेरिट देखिए। उन लोगों को भी चांस देना चाहिए। कॉमन मैन को सुप्रीम कोर्ट आने में बहुत दिक्कत होती है। उन्हें केरल या साउथ से सुप्रीम कोर्ट में आने में बहुत दिक्कत होती है। हम नॉर्थ, साउथ-ईस्ट और वैस्ट सर्किल न्यायालयों की स्थापना क्यों नहीं करते? देश में चार सर्किल कोर्ट्स होने में क्या दिक्कत है? उस तरह से देखें तो इसके लिए आंध्रप्रदेश और हैदराबाद सबसे अच्छी जगह है। उधर एक सर्किल कोर्ट आने से बहुत अच्छा होगा। सेकेण्ड प्वाइंट पर आए तो माननीय मंत्री अपनी बात में यूएसए को कोट करते हुए एज के बारे में कहा है। वहां जज 75 वर्ष की उम्र तक काम करते हैं। हमारे यहां अभी हाई कोर्ट के जजों की उम्र को 62 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष करना है। मगर सरकार को एक बात की ओर और ध्यान देना चाहिए कि आप लोग एक तरफ से बोलते है - यंग नेता चाहिए, दूसरी तरफ आप यूथ के अगेन्स्ट में एज को बढ़ा रहे हैं। यह क्या है? देश में कितनी बेरोजगारी है? कितने लोग लॉ की डिग्री ले कर रोड पर घूम रहे हैं? अपने देश का पापुलेशन कितने हाई लेवल पर है? एक तरफ आप को नेता चाहिए मगर यूथ के अगेन्स्ट में आप काम कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। 62 वर्ष से ज्यादा आयु बढ़ाकर बर्डन नहीं डालना चाहिए। भारत में मानव संसाधन एक बड़ी परिसंपत्ति है। फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर, ह्यूमन रिसोर्सेज़ की वजह से फॉरेन अर्निंग्स आ रही है। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में काफी पोटैंशिएलिटी है, लेकिन हम एज बढ़ाने के प्रावधान का विरोध करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है आपको यूथ लोगों को ज्यादा चांस देना चाहिए।

कल जो बात हुई, आज जिस बिल के बारे में बात हो रही है, ऑपोजिशन लीडर्स ने कंस्ट्रक्टिव सजैशन्स दिए हैं। इस सदन की डिबेट में जो भी कंस्ट्रक्टिव सजैशन्स आए, उन सबको कंसीडर करके स्ट्रांग एंड इफैक्टिव अमैंडमैंट्स के साथ एकाउंटेबिलिटी बिल लाइए। उसके बाद हम इसे पास करने में सपोर्ट करेंगे।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति महोदय, मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार और आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाज शरीर के तौर पर होता है। कोई एक अंग सही नहीं रह सकता, खराबी सभी में आती है। लेकिन यह बहुत लांग अवेटेड बिल था और लोगों को इस बिल से बहुत उम्मीद थी। न जाने इसके बाद फिर कब कोई अमैंडमैंट होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ज्यूडिशियरी नामक शरीर में जो जख्म हुआ है, उसके ऊपर मरहम लगाकर पट्टी बांधी जानी चाहिए, लेकिन पट्टी बांधकर उसके ऊपर मरहम लगाया गया है। यह कहा गया है कि वादकारी का हित सर्वोच्च है। माननीय मंत्री जी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन मैं भी एक जूनियर एडवोकेट रहा हूं। हमारा जितना सिस्टम है, वह सब वादकारी के लिए है। लेकिन आज वादकारी ही सबसे ज्यादा दुखी है।

मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां की आबादी तकरीबन सात करोड़ है। वहां के 25 जिले पिछले तीस सालों से एक हाई कोर्ट बैंच की माँग कर रहे हैं। हफ्ते में एक शनिवार की हड़ताल लगातार 25 जिलों में चल रही है। लेकिन आज तक सरकार वैस्टर्न यूपी में एक हाई कोर्ट बैंच नहीं दे पाई है। यह दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान का हाई कोर्ट नजदीक है लाहौर और करांची में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का हाई कोर्ट नजदीक है, लेकिन उनके अपने राज्य का हाई कार्ट 800-900 किलोमीटर दूर है। अगर किसी का केस हाई कोर्ट में हो तो उसकी बर्बादी निश्चित है। लेकिन आज तक सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया।

मुझसे पहले यहां एक सीनियर सांसद बोल चुके हैं। विजय बहादुर जी बहुत ही सीनियर प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को पता है कि खास तौर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंकल जजेस की एक नई संस्कृति डैवलप हुई है। जजों के बच्चे वकील कितने हैं, इसकी भी जांच करवाई जानी जरूरी है। वे अपने पिता की कोर्ट में न जाकर जिन अंकल साहब के साथ उन्होंने शाम को खाना खाया हो, सुबह उनकी कोर्ट में पेश होते हैं। यह असली जड़ है और उन्हें रिलैकसेशन दिया जाता है। एसैट्स के बारे में ठीक है कि कारपोरेट घरानों ने आधा हिन्दुस्तान कब्जा रखा है, उनका क्या बिगड़ गया। बेनामी नाम से कम्पनीज़ बनाकर न जाने कैसे अपनी प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है। मेरा कहना है कि ज्यूडिशियरी में जो मूल समस्याएं आ रही है, उनकी ओर ध्यान

दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 150 वेकेंसीज़ हैं। लेकिन आज वहां सिर्फ 72 जज हैं। हमारा कहना है कि आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती। जहां तीन करोड़ केसेज पैंडिंग हैं, वहां हम बिल बनाकर उसमें एक्सट्रा जजों की एप्वाइंटमैंट का कोई प्रोविजन न रखें, तो यह बात सही नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि हमारे यहां एचजेएस का एक प्रोसीजर है। अगर आप परमानेंट जज रखने का खर्चा नहीं उठा सकते, तो सीनियर एडवोकेट को एडहॉक बेसिस पर पांच साल या दस साल के लिए जज बना दें और पैंडिंग केसेज को सॉल्व करने के लिए एक टाइम बाउंड पीरियड रख दें, तो इस देश का बहुत बड़ा भला होने वाला है। हमने कल लोकपाल बिल पर बहस की, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जब तक हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, हमारे अस्पताल जब तक पूरे नहीं होंगे, हमारी कोर्ट्स पूरी नहीं होंगी, हमारी सड़कें, रेलवेज अच्छी नहीं होंगी, तब तक हम भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते। आज हिन्दुस्तान के सब लोगों में एक इनसिक्योरिटी है। मैं भ्रष्टाचार को जस्टीफाई नहीं कर रहा, लेकिन यदि उसका बच्चा बीमार हो जाये, तो वह सोचता है कि उसके पास पांच लाख रुपये एडवांस में होने चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, जिससे उसका इलाज फ्री में हो सके। उसे अगर न्याय लेना पड़ेगा, तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

सभापति महोदय, मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं। लेकिन इसमें जो जरूरी अमैंडमैंट्स हैं, उन्हें आप लायें और इस देश की जनता को न्याय दिलायें।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं न्यायिक मानक और जवबादेही विधेयक, 2010 पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों के निपटान के लिए एक तंत्र गठित करने का उल्लेख किया गया है। हमारे देश में न्यायपालिका के प्रति हर नागरिक का दृष्टिकोण बहुत आदरपूर्वक है। न्यायालयों को बहुत आदर के साथ देखा जाता है। यह बात भी सही है कि यही एक ऐसा क्षेत्र बचा है, जिस पर आम आदमी का विश्वास टिका हुआ है। आज भी हमारे देश में बहुत ही कर्त्तव्यनिष्ठ और ईमानदार न्यायाधीश हैं। यह बात सही है कि जिस तरह से सभी क्षेत्रों में विकृतियां आयी हैं, उसी तरह से न्यायपालिका में भी कुछ छोटी-मोटी विकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। पिछले दिनों संसद के सामने कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सौमित्र सेन, सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दिनाकरन तथा रामास्वामी जी के प्रकरण आये। महाभियोग के तीन-चार ऐसे प्रकरण संसद के सामने आये, जिनमें चर्चा की गयी। वैसे भी समाचार-पत्रों के माध्यम से यहां-वहां की अदालतों के कुछ न कुछ प्रकरण जरूर सामने आते रहते हैं। मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने इस संशोधन बिल को यहां पर प्रस्तुत किया है। इस बिल में जो प्रावधान किये गये हैं, मैं समझता हूं कि वे बहुत कठिन प्रावधान नहीं हैं। आम तौर पर सभी क्षेत्रों में जिस तरह से पारदर्शिता लाने के लिए, खासतौर पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी सबको हो जाये, उस संबंध में उन्हें अपनी सम्पत्ति का खुलासा करना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों की जो सम्पत्ति है, उसका भी खुलासा करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय न्यायिक ओवरसाइट कमेटी के गठन का भी प्रावधान हुआ है। कम्पलीट स्क्रूटिनी पैनल भी बनाया जायेगा।

जांच कमेटी की स्थापना भी की गयी है। निश्चित तौर पर ये कदम सही हैं। इसके साथ-साथ कुछ वर्जित उपाय भी हैं, उनमें कचहरी में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी न्यायाधीश द्वारा आवास में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के उदाहरण नहीं देखने को मिलते। दरअसल, सच्चाई यह है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनकी मदद की जरूरत है और उनमें सुधार की भी जरूरत है जिसका इस बिल में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। आज जब हम ट्रायल कोर्ट्स में जाकर देखते हैं, वहां जो स्थिति है, बहुत बड़ी संख्या में केसेज लगे हैं, जजेज सुबह से बैठते हैं, शाम तक बैठे रहते हैं और मुश्किल से एक या दो केसेज निपटा पाते हैं, ऐसे में केसेज की संख्या बढ़ती जाती है। वहां न तो उनके बैठने के लिए ठीक से व्यवस्था है, न पर्याप्त कर्मचारी हैं, एक तरफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन वहां आज भी कम्प्यूटर की व्यवस्था नहीं है, फाइलें मिल जाएं, तो मिल जाएं, नहीं तो चोरी चली जाएं। वह भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि इसे भी इसमें शामिल करना जरूरी है। इसमें कुछ खामियां भी दर्शाई गयी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जे.एस. वर्मा साहब। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि एक ऐसा कानून देश को बनाना चाहिए जिसमें एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, जिसमें ईमानदार न्यायाधीश हतोत्साहित न होने पाएं और उनको पूरा संरक्षण मिले। हमें इस पक्ष को भी देखना पड़ेगा कि जो बहुत ईमानदार, कर्मठ न्यायाधीश हैं, उनका पूरी तरह से संरक्षण हो, उनको पूरा अवसर मिले और उन पर कोई आक्षेप-प्रत्याक्षेप न आएं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.पी. सहाय ने भी इस बात को कहा है कि यह बिल न्यायापालिका में संविधान से मिले रक्षा-उपायों का उल्लंघन कर रहा है। यह इस बिल पर आरोप है। इसलिए इन बातों को भी

गंभीरता से देखना चाहिए। आज एक बड़ा सवाल हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में है। सभी को कहीं न कहीं लगता है कि वहां पर कुछ विशेष तरह की व्यवस्था की गयी है, जिस पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं। एक तरफ हमने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी परीक्षाओं के लिए संघ लोकसेवा आयोग बना दिया, लेकिन आज तक हम जजों की नियुक्ति के लिए कोई न्यायिक आयोग नहीं बना पाए और अभी तक जो व्यवस्था है, जो कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है, उसी के तहत उनकी नियुक्तियां हो रही हैं और इसमें कई बार सरकार भी कटघरे में खड़ी हुई, आरोप लगते हैं और उससे न्याय की हम कितनी उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा विषय यह है कि भारत के संविधान में सभी वर्गों को, खासकर जो पिछड़े हुए कमजोर हैं, हर जगह पर विशेष सुविधा के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिया गया। हमने उनको सभी क्षेत्रों में काम दिया, आरक्षण दिया, लेकिन न्यायपालिका में हमने उनको क्यों छोड़ दिया? मुझे लगता है कि न्यायपालिका में भी एससी, एसटी, ओबीसी, जो कमजोर लोग हैं उनमें किसान वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनका कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे लोगों को भी हम इसमें रखने का प्रावधान करें। मुझे लगता है कि यह जरूरी है और सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने यहां अपनी बात रखी है, इसका समर्थन भी किया है। आज सबसे ज्यादा आवश्यक है कि एक तरफ हम न्यायाधीशों के मानकों का निर्धारण करें, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि आखिरकार न्यायालयों को हमसे क्या जरूरत है, क्या उनकी जरूरत राज्य सरकारों तथा भारत सरकार से है और उन सुविधाओं के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि लाखों की संख्या में मुकदमें पेंडिंग पड़े हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा यह कहता रहता है कि तत्काल विशेष न्यायालय गठित करके पेंडिंग केसों का निराकरण किया जाये। आज हमें उस तरफ भी ध्यान देना होगा। मैंने देखा है कि बहुत से तहसील स्तर के न्यायालय, जिला स्तर के न्यायालय जर्जर हालत में हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट तो थोड़ी ठीक हालत में हैं। लेकिन जो उसकी नीचे की अदालतें हैं, जो विशेष अदालतें गठित हुई हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि वहां थोड़ी देर से ज्यादा बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसी जगह पर ये अदालतें अपना काम करती हैं। इसलिए हमें इनके लिए कहीं न कहीं गुणवत्ता में सुधार करके और नई टेक्नोलॉजी के साथ दफ्तर बनाने चाहिए।

इसी तरह आप देखिए कि न्यायाधीशों के आवास की स्थिति क्या है। एक तरफ हम कहते हैं कि जजों के पास कोई नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो आशंका के घेरे में आ सकता है। लेकिन वे किस तरह से रह रहे हैं, उनका परिवार किस हालत में रह रहा है, यह भी देखने की आवश्यकता है। जज तक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के सामने गिड़गिड़ाते नजर आते हैं कि हमारे घर में नल में पानी नहीं आ रहा है, छत टपकती है या सड़क खराब है। ये सब चीजें भी हमें देखनी चाहिए। न्यायपालिका इतनी सर्वोच्च स्थिति में है कि उसे पूरे ताकत और मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है और उसे इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि कई राज्य ऐसे हैं, जिनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है इसलिए उसे ध्यान में रखते हुए वहां हाई कोर्ट की नई खंडपीठों को खोला जाना चाहिए। ऐसी मांग भी कई बार उठती रहती है। उत्तर प्रदेश की बात आई। आगरा की जहां तक बात है, जसवंत सिंह आयोग गठित हुआ था। उसने सिफारिश की थी कि आगरा में तत्काल हाई कोर्ट की खंडपीठ खोली जाए, लेकिन पता नहीं आज तक क्यों नहीं खोली गई है। इसी तरह हमारे मध्य प्रदेश राज्य की भी बात है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र सतना से आता हूं, वहां से हाई कोर्ट की दूरी 200 किलोमीटर है और आने-जाने के साधन भी सुलभ नहीं हैं। इस कारण सतना में भी हाई कोर्ट की एक खंडपीठ खोले जाने की मांग लम्बे समय से हो रही है। पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों से भी ऐसी मांग उठती रहती है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा कोई आयोग गठित करना चाहिए जो पूरा अध्ययन करे और सिफारिश करे। फिर उस पर केन्द्र सरकार को अमल करने का काम करना चाहिए।

जिलों में भी तहसील स्तर पर नए-नए न्यायालय खोले जाने की मांग होती है, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा कह दिया जाता है कि हमें इसकी अनुमति नहीं है या हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। इस दिशा में भी सरकार को विचार करना चाहिए। जनसंख्या के आधार को लेकर या देश मानदंडों के आधार को लेकर कोई न कोई मेकेनिज्म आपको तैयार करना चाहिए, जिससे हम नए न्यायालय गठित कर सकें।

सभापति जी, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

कुमारी मीनाक्षी नटराजन (मंदसौर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यहां पर प्रस्तावित न्यायिक मानक एवम् जवाबदेही विधेयक, 2010 का समर्थन करती हूं। मैं इसकी स्टेंडिंग कमेटी की सदस्य भी थी। उस दौरान हम लोगों ने इस विधेयक पर विस्तार से क्लाज़ बाई क्लाज़ चर्चा की थी। उस स्टेंडिंग कमेटी में विभिन्न दलों के सदस्य थे, जिनमें कई यहां मौजूद हैं। उन सबने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इस विधेयक पर दिए थे।

अपनी बात क्लाज़ बाई क्लाज़ रखने से पहले मैं जरूर कहना चाहती हूं कि इस विधेयक की भूमिका संयुक्त राष्ट्र द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में प्रस्तावित की गई है। 'युनाइटेड नेशन्स कन्वेन्शन

अगेन्सट करप्शन' आर्टिकल 11 में कहा गया था कि न्याय प्रणाली में ज्यूडिशियल इंडिपेंडंस को रखते हुए एक शुचित और नैतिकता की जरूरत महसूस की गई है। जवाबदेही की आवश्यकता महसूस की गई और उसे रखा गया।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 11 में कहा गया है: 'न्यायिक स्वतंत्रता के पूर्वाग्रह के बगैर सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने और न्यायपालिका के सदस्यों के संव्यवहार के संबंध में नियमों सहित न्यायपालिका के सदस्यों में भ्रष्टाचार के अवसरों का प्रतिषेध करने के उपाय करना।'

[हिन्दी]

इसी से प्रेरित होकर यह विधेयक आगे चलकर यहां आया, उसके बाद सन् 2001 में बंगलौर में एक न्यायिक समूह की दूसरी बैठक हुई, जिसमें न्यायिक शुचित को मजबूत करने की बात की गई। इसी सम्मेलन में मुख्य न्यायाधीश जो उस समय थे, उन्होंने स्वीकार किया कि एक आचार संहिता होनी चाहिए और मानकों के बारे में बात होनी चाहिए। उन्होंने उसके साथ में जोड़ा कि जो पूरी न्यायप्रणाली है, उसमें स्वतंत्रता, निष्पक्षता, शुचिता, प्रोपराईटी समानता और योग्यता के आधार पर आगे का काम होना चाहिए। इसी की तर्ज पर फिर उसी से प्रेरणा प्राप्त करके यह विधेयक हमारे बीच में प्रस्तावित हुआ।

अब मैं यह जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स है, उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूं। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जो बिल सरकार लेकर आई है, जो माननीय मंत्री जी ने यहां पर बिल प्रस्तुत किया है, उसमें वे उद्देश्य और कारण क्या बताते हैं?

पहली आवश्यकता तो यह महसूस की गई कि जो ज्यूडिशल्स जजेज इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसमें किसी तरह की अक्षमता, अयोग्यता और दुर्व्यवहार के मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के ऊपर कार्रवाई की बात की गयी। लेकिन उसमें सामान्य जन को, समाज को इस बात की छूट नहीं है कि वे अपनी ओर से उनकी अयोग्यता पर या उनके द्वारा किये गये किसी तरह के दुर्व्यवहार पर कोई बात करें, कहीं पर कोई शिकायत करें, इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं थी। वह प्रक्रिया तैयार करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ताकि एक सिस्टम के तहत उसके लिए एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर बनाया जाए।

दूसरी बात यह थी कि 7 मई 1997 में सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट था उसने यह तय किया और एक तरह का प्रस्ताव उन्होंने रखा जिसमें उन्होंने स्वयं को एडोप्ट किया, जिसमें उन्होंने "रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ ज्यूडिशियल लाइफ" की बात की। इसमें उन्होंने कहा कि सम्पत्ति की घोषणा होनी चाहिए और कुछ मानक तय किये। लेकिन बात यह थी कि यह जो रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ ज्यूडिशियल लाइफ का प्रस्ताव था, यह प्रस्ताव बंधनकारी नहीं था। इसके साथ में कोई कानूनी प्रावधान नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी जब यहां से बोल रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही और मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूं कि यह जो विधेयक लाना पड़ा, इसकी भूमिका क्या थी? इसकी भूमिका यह थी कि सेंट्रल इंफोर्मेशन कमीशन ने, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत, 6 जनवरी 2009 को यह आदेश दिया और दुबारा दिल्ली के हाईकोर्ट में उसके बारे में एक आदेश पारित किया। सेंट्रल इंफोर्मेशन कमीशन ने जब यह चाहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जजों को चाहिए कि वे अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें तो उस पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और याचिका क्रमांक 288/09 के अंतर्गत उन्होंने यह कहा कि हम यह करने को तैयार हैं लेकिन तभी करेंगे जबकि कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कानूनी तौर पर पार्लियामेंट के द्वारा पारित होकर आयेगा, तब इस पर हम काम करेंगे। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहती हूं कि दूसरों पर अपनी जजमेंट्स के द्वारा जिस तरह के मोरल और स्टेंडर्ड की बात बताई जाती है तब तो बहुत शौक से कई बार कोर्ट के माध्यम से ऐसे आदेश आते हैं, लेकिन जब उनके स्वयं के ऊपर बात आई कि वे अपनी सम्पत्ति की घोषणा करें, तब उन्होंने कहा कि वे करेंगे लेकिन कानूनी जामा उसे पहनाया जाएगा, तब करेंगे। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करती लेकिन उसके पीछे का जो उनका पाइंट था वह आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। उसी की वजह से हमें जरूरत पड़ी कि हम यह ज्यूडिशियल स्टेंडर्ड एंड एकाउंटिबिलिटी बिल लेकर आएं और उसी की वजह से यह विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ है। यह विधेयक सदन के माध्यम से चार चीजों को करता है, जो स्पष्टत: हमें इससे मिलती हैं। एक तो मानक तय होते हैं, दूसरी यह बात है कि आम जन के सामने भी उनकी जवाबदेही तय होती है। आज तक आम जन कोर्ट के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता था, अब उसे एक प्रोसीजर मिला है। तीसरी बात यह है कि उनके काम के लिए एक मानक तय करके उनके सामने कुछ स्टेंडर्ड्स और उनकी जवाबदेही को तय करने के लिए ये चार लक्ष्य लेकर सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है। अब मै इसकी कुछ महत्वपूर्ण क्लॉज पर अपनी टिप्पणी और अपनी राय वक्त करना चाहती हूं।

सबसे पहले इसमें जो क्लाज़ 3(2) है, जिसमें मंत्री जी एक संशोधन ले कर आए है, उसका मैं स्वागत करती हूं, क्योंकि सही बात यह है कि जजमेंट अपने आप में बोलना चाहिए। जजमेंट

के अलावा जो बहुत सारी टिप्पणियां होती हैं, जो बंधनकारी नहीं होती, लेकिन कई बार इस तरह से की गई टिप्पणियां बहुत हद तक किसी न किसी संस्था या व्यक्ति को निराश कर सकती हैं, उसकी छवि को गिरा सकती हैं इसलिए इसमें जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका बहुत स्वागत करती हूं। स्टैंडिंग कमेटी ने क्लाज़ 3(2) (बी) के लिए आपको जो सुझाव दिया था, उसे आपने स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं, क्योंकि हम सब यह महसूस करते थे कि जो "क्लोज एसोशिएशन" आपने शब्द दिया है, वह सही ढंग से परिभाषित नहीं है। वह बहुत वेग है और आपने उसे जोड़ा तथा "सोशल इंट्रेक्शन" शब्द को उसके साथ जोड़ा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

इसके बाद अगर हम क्जाज़ 11 की बात करें, जिसमें सिक्रूटनी पैनल की बात हुई है। सिक्रूटनी पैनल में आपने जो कम्पोजिशन दिया है, उसमें मान लीजिए कि कहीं कोई तहकीकात हो रही होगी, तो उसी जगह के दूसरे न्यायाधीश उसकी तहकीकात करेंगे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इन हाउस प्रोसीजर है, जो अभी लागू है, यह अगर देखा जाए तो उससे भी नीचे है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का जो इन हाउस प्रोसीजर है, उसमें दूसरे हाई कोर्ट के जज को छूट होती है कि वह उसकी सिक्रूटनी करे। स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्यों का यह सुझाव था, इसे स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए मैं जरूर चाहूंगी कि भविष्य में इस प्रकार का प्रावधान जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत संभव है कि उसी कोर्ट के दूसरे जज किसी न किसी तरह से बायस्ड होंगे और अगर वे सही ढंग से काम करेंगे, तो भी उनकी पारदर्शिता पर हमेशा सवाल खड़े किए जाएंगे। इस बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत है और मैं सुझाव के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं।

एक बात हम सभी ने बहुत शिद्दत से स्टैंडिंग कमेटी में महसूस की, वह क्लाज़ 18 की बात है। जो नेशनल ओवर साइट कमेटी है, इसका जो कम्पोजिशन है, इसमें केवल एग्जीक्यूटिव के एक सदस्य को रखा है। जबकि हम इंग्लैंड की बात करते हैं और वहां के वैस्ट मिनिस्टर मॉडल को हमने एडाप्ट किया है और उनके अपने देश में न्यायिक नियुक्ति आयोग और ओम्बट्समैन हैं, दोनों ही इसके ओवर साइट निकाय के सदस्य हैं। इसके अलावा इसमें जो जजों के निष्कासन का अधिकार है, वह विधानमंडल को है, लेकिन इसमें ओम्बट्समैन भी सदस्य हैं। बहुत सारे देशों में जो ओवर साइट्स कमेटी है, उसमें सबके सब लीगल फर्टिनिटी के सदस्य नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी में सब के सब लीगल फर्टिनिटी के सदस्य नहीं हैं, कनाडा में सब के सब लीगल फर्टिनीटी के सदस्य नहीं हैं, अगर इस पर विचार किया गया होता, तो बहुत बेहतर होता।

इसके अलावा क्लाज 22 (2), जिसमें इनवेस्टीगेशन कमेटी की बात है। हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि अगर आप किसी भी संस्था को बनाते हैं, किसी कमेटी को बनाते हैं और उसके सदस्यों की योग्यता के मानक पहले से तय नहीं करते हैं, तो बहुत मुश्किल होगी। बाद में उसे सही ढंग से परिभाषित नहीं किए जाने के कारण किसी भी तरह के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जो इनवेस्टीगेशन कमेटी है, उसमें जो सदस्य होंगे, उनकी योग्यता को पहले से तय कर दिया जाए। अगर पहले मानक तय होंगे, तो उनके आधार पर लोग नियुक्त किए जा सकेंगे। मैं आपसे एक अनुरोध क्लाज़ 53(1) के बारे में करना चाहूंगी, जिसमें आपने कुछ हद तक राहत दी है। फ्रिवोलस और वैक्सेशियस कम्प्लेंट्स के लिए आपने पहले जो सजा का प्रावधान रखा था, उसमें आप संशोधन लाए, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन मैं इसके साथ जोड़ना चाहती हूं कि वर्ष 2006 का जो जजिज इन्क्वायरी बिल था, उस पर जो लॉ कमीशन की सिफारिश थी, दोनों यह कहती थीं कि उस पर हमें जो सजा रखनी चाहिए, वह 25 हजार रुपए होनी चाहिए और छह महीने के कारावास के लिए उन्होंने अपनी ओर से सिफारिश दी थी। इसमें आपने एक लाख रुपए रखा है, मैं समझती हूं कि किसी भी आम जन के लिए यह थोड़ा-सा मुश्किल होगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इस पर एक बार फिर विचार करें। आपने शुरू में ही कहा कि आने वाले समय में नेशनल ज्यूडिशल कमीशन के बारे में जो सोच सदस्यों ने रखी है, उसके लिए आपने कहा कि उनके एंट्री प्वायंट के बारे में आप निश्चित रूप से कोई न कोई सोच बनाएंगे।

4.00 से अपराह्न

मैं समझती हूं कि आप इस पर अलग से कार्रवाई करेंगे क्योंकि वह इस बिल के स्कोप से बाहर की बात थी, इसलिए वह काम इस बिल के माध्यम से हो नहीं सकता था। मैं ऐसी उम्मीद करती हूं कि आप उसका अलग से प्रस्ताव देंगे। सभी सदस्यों ने यहां पर सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की जो बात कही हैं, सदन का समय व्यर्थ न करते हुए मैं स्वयं को उनसे संबद्ध करती हूं।

मैं अंतिम बात कहना चाहती हूं कि जब भी चयन का कॉलेजियम बने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में उन्होंने यह किया था कि दूसरे राज्यों में भी जजों की नियुक्ति हो सकती है। जब आइएएस में ऐसा काडर हो सकता है कि उसको उसका होम काडर नहीं मिलता तो जुडीशरी में क्यों नहीं होना चाहिए। उस वक्त उसका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन मैं समझती हूं कि निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में हम इस पर विचार करें। मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): सभापति महोदय, कल हमने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक तथा व्हिसल-बलोअर बिल पर चर्चा की थी। हालांकि हमने व्हिसल-बलोअर बिल पर विस्तार से चर्चा नहीं की, फिर भी यह विषय समाप्त हो चुका है। अब, हम न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक तथा संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

हर कोई यह जानता है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में तीन महत्वपूर्ण स्तंभों में से न्यायपालिका एक बहुत महत्वपूर्ण धुरी है। अभी भी एक विश्वास बना हुआ है कि कोई भी, कुछ भी भ्रष्ट हो सकता हैं, किंतु न्यायपालिका, खासकर उच्चतर स्तर पर, भ्रष्ट नहीं हो सकती।

अपराह्न 4.02 बजे

[डॉ. गिरिजा व्यास–*पीठासीन हुईं*]

ऐसा विश्वास अधिकांशत: उच्चतर न्यायालयों में न्यायपालिका के सदस्यों के संबंध में किया जाता है, किंतु हाल के वर्षों में उच्चतर न्यायपालिका के सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गये हैं। मैं कई सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि उच्च न्यायालयों अथवा विभिन्न न्यायालयों अथवा उच्चतम न्यायालय में सभी न्यायाधीश भ्रष्ट हैं। उनमें से अधिकांश ने मर्यादा, आचार और कर्तव्यपरायणता को अब भी बनाकर रखा हुआ है। यहां अच्छे या बुरे का सवाल नहीं है; सवाल है व्यवस्था का। प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी जवाबदेही की आवश्यकता है अथवा नहीं या वे हर प्रकार की जवाबदेही से ऊपर रहेंगे। यदि न्यायपालिका कोई भेदभाव रहित न्याय निर्णय पारित करने में असफल होती है तो लोकतंत्र का हश्र क्या होगा, मानवाधिकारों का हश्र क्या होगा? यह केवल बुद्धिमत्ता और विवेक में उनकी असफलता का ही प्रश्न नहीं है। अत:, मैं सरकार द्वारा इस समय इस मुद्दे का समाधान करने हेतु किये गये प्रयास की सराहना करता हूं।

महोदया, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, जिसका प्रस्ताव 2005 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् में किया था, के मामले में स्थिति क्या रही? एक व्यापक विधान की आवश्यकता है। सरकार को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा किये गये प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय करना चाहिये। माननीय मंत्री श्री को जवाब देकर यह बताना चाहिये कि उसके संबंध में स्थिति क्या रही।

इस विधेयक में यह मांग की गई है कि न्यायाधीश संव्यवहार के कतिपय मानकों का पालन करें तथा कुछ कार्यकलाप निषिद्ध है। इस विधेयक में न्यायाधीशों के विरूद्ध शिकायतों की जांच करने के लिये तीन निकायों वाली नेशनल जूंडीशियल ओवरसाइट कमेटी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। एक है–ओवरसाइट कमेटी दूसरा है–सक्रूटिनी पैनल और तीसरा है–इन्वेस्टिगेशन कमेटी। दुर्व्यवहार के आधार पर किसी न्यायाधीश को हटाये जाने के प्रस्ताव को भी संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। किंतु यह बात समझ नहीं आ रही। आगे की जांच के लिये ऐसे प्रस्ताव को ओवर साइट कमेटी को क्यों भेजा जाये?

इसका पहले से ही उल्लेख है और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि स्वतंत्रता और जवाब देही के मध्य एवं संतुलन होना चाहिये। किंतु मुख्य मुद्दा नहीं है। क्या स्वतंत्रता और जवाबदेही के मध्य संतुलन को इस विधेयक में प्रस्तावित तंत्र के माध्यम से बरकरार रखा गया है? ओवर साइट कमेटी में गैर-न्यायिक सदस्य हैं, जोकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर सकती है। इस विधेयक में उस हर व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान है जो शिकायतों की गोपनीयता को भंग करेगा। इस पर सवाल उठाया जा सकता है। क्या किसी तुच्छ शिकायत, जोकि गोपनीय बनी रहती है, के लिये किसी शक्ति की आवश्यकता है? मंत्री जी द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं और मैं इन संशोधनों का स्वागत करता हूं।

अब मैं संविधान के एक सौ चौदहवें संशोधन के बारे में बात करता हूं। सरकार न्यायपालिका मानकीकरण करना चाहती है, और इसमें जवाबदेही आवश्यक है। किंतु न्यायाधीशों के कार्यकाल को बढ़ाये जाने में क्या प्रासंगिकता है? क्या आपके द्वारा न्यायाधीशों के कार्यकाल को बढ़ाये जाने से जवाबदेही बढ़ेगी और मानक में सुधार आएगा? मेरा सुझाव है कि इन चीजों पर विराम लगा दीजिये। न्यायपालिका में बहुत से रिक्त पद अब भी मौजूद हैं। कई सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है, और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि लगभग 3 करोड़ मामले न्यायालयों में अब भी लंबित हैं। यह बिल्कुल सही कहा गया है कि देरी से मिला न्याय का मतलब होता है न्याय न मिलना। अत:, न्यायाधीशों की भर्ती के बगैर ही अब आप न्यायाधीशों के कार्यकाल को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। कृपया इस कदम को रोक दीजिये।

मैं अपने पूर्ववर्ती वक्ता, सुश्री मीनाक्षी नटराजन द्वारा कही गई सभी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। उनके द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों पर समुचित विचार किया जाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि न्यायिक व्यवस्था का कार्य थोड़ा-थोड़ा करके आरंभ नहीं किया जा सकता। अत:, आपसे अनुरोध है कि इसे व्यापक रूप से लेकर आये और इस विधेयक की इस सदन में स्वीकृति के लिये इसका प्रारूप पुन: तैयार करें। अत:, मेरा प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को विचापरार्थ भेजा जाये। इस चर्चा में कई सुझाव

दिये गये हैं। कृपया इन सभी को स्वीकार करें और इसे स्थायी समिति के पास भेज दें।

इन्हीं शब्दों को साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदया, यह न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक है। इसमें सरकार ने दावा किया है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए केवल इम्पीचमेंट की व्यवस्था है। उसके अलावा जजों खिलाफ, माई लॉर्ड के खिलाफ कोई शिकायत करने की गुंजाईश नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने दावा किया है कि हम यह कानून लाये हैं, कमेटी बनायेंगे और आम जन उसमें शिकायत कर सकेंगे, उनकी जांच-पड़ताल होगी। जांच-पड़ताल होने के बाद उन पर कार्रवाई भी होगी। एक माने में जो संसद के नेता लोग बोल रहे थे कि सुप्रीमेसी है तो उससे हमें लगता है कि पार्लियामैंट को केवल अधिकार था कि हम सवाल उठा सकते थे। लोग कहते हैं कि अभी तक कई इंपीचमैंट आए हैं लेकिन वह ऐसे गड़बड़ा गया और वह राज्य सभा में रह गया। फिर पार्लियामैंट की सुप्रीमेसी केसे रहेगी? यह सब देखना समझना चाहिए कि कानून बना रहे हैं लेकिन पार्लियामैंट को पहले से दिया हुआ जो अधिकार है, उसमें क्षरण हो रहा है।

महोदया, मैं सरकार से एक जवाब चाहता हूं कि अभी न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में उच्च पदों पर नियुक्ति की जो व्यवस्था है, उस पर सभी माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है कि जब नियुक्ति प्रक्रिया ही सही नहीं होगी, नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होगी, वह न्यायसंगत नहीं होगी, तो फिर उसकी जवाबदेही क्या बनाएंगे, जो आदमी ही गलत चुना जाएगा, उसकी जवाबदेही और उसका इंसाफ और ज्यूडीशियल एकाउंटेबिलिटी आप कहां से ला सकेंगे? पुराने समय में एक्ज़ीक्यूटिव और न्यायपालिका दोनों मिलकर जजों की नियुक्ति करते थे। फिर कोर्ट का फैसला होते-होते सारी बहाली का अधिकार जजों के पास चला गया, कौलेजियम के पास चला गया। यह कौलेजियम क्या है? वे जज को बहाल करते हैं और उनकी एकाउंटेबिलिटी अब ये तय करेंगे। बहाल वह करेगा तो आप क्या एकाउंटेबिलिटी तय करेंगे? इसलिए मेरा पहला सवाल है कि ये नेशनल ज्यूडीशियल कमीशन लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं और क्यों नहीं लाए हैं जो इतना चिर-प्रतीक्षित कानून लाए कि ज्यूडीशियरी हमारा मज़बूत खम्भा है, ज्यूडीशियरी के प्रति लोगों का विश्वास होता है। कोई गड़बड़ होती है तो लोग कहते हैं कि कोर्ट जाएंगे। हम लोग रैफरैन्स देते हैं कि हाई कोर्ट ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और सब लोग मानते हैं कि ज्यूडीशियरी में लोगों की आस्था अभी बची हुई है। लेकिन जहां-तहां कतिपय शिकायतें आईं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्ज़र्वेशन आया, वर्डिक्ट आया, उससे लोगों का ध्यान टूटा कि नहीं भाई, इसमें भी बड़ी गड़बड़ है। जिन पर आस्था रखी जाती थी, संपत जी भाषण कर रहे थे कि लोग उनको कहते थे–'मी लॉर्ड', न्यायमूर्ति, न्यायाधीश कहते थे, भगवान का दर्जा उनको देते थे, फांसी का अधिकार उनको है–अब यदि उसमें भी हेराफेरी और गड़बड़ हो तो क्या होगा। इस देश का क्या होगा अगर इस देश का एक खम्भा ही गड़बड़ हो जाए? इसलिए ये कहते हैं कि हम ज्यूडीशियल एकाउंटेबिलिटी बिल लाए हैं। बाकी, न्यायपालिका में बहाली वाली व्यवस्था कब लाएंगे जो पारदर्शी हो, जो न्यायसंगत हो। अभी हम देखते हैं कि भाई-भतीजा की जिनकी पैरवी है, उनकी बहाली हो जाती है और मेधावी लोग हट जाते हैं, छंट जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। इसलिए ऐसी व्यवस्था और नियुक्ति प्रक्रिया दुरुस्त हो जिसमें योग्य से योग्य और निष्पक्ष ईमानदार आदमी आएं। वह व्यवस्था आप कब लाएंगे, तब हम एकाउंटेबिलिटी मानेंगे। नहीं तो एकाउंटेबिलिटी होगी और उसमें बहाली की प्रक्रिया ठीक नहीं होगी। इसलिए सरकार इस बात को स्पष्ट करके बताए। यह ठीक बात है कि 7 मई, 1997 को न्यायिक मूल्यों का पुनर्स्थापन हुआ। जज लोगों ने खुद बैठकर माना कि न्यायिक मूल्यों की अवमानना हो रही है, उसमें गिरावट हो रही है, इसलिए उनका पुनर्स्थापन होना चाहिए। उन लोगों ने करीब 16 बिन्दु तय किये। उन्होंने कानून नहीं बल्कि एक संहिता बनाई कि क्या क्या करना होगा लेकिन क्या कोई पालन हो रहा है? जो जज हैं, उनके नज़दीकी लोग वही वकालत करते हैं–जेइ भंसिया सेइ चटनी–वह उसी में वकालत करते हैं। इसलिए क्या फैसला होगा। इसलिए गांवों में कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि कोर्ट के फैसले बिकते हैं। इससे हम लोगों को तकलीफ होती है कि ज्यूडीशियरी, जिस पर इतना भारी विश्वास है, उसकी इस तरह से आलोचना और अवमानना हो तो हमें तकलीफ होती है। फिर 1999 में चीफ जस्टिस कॉनफ्रैन्स हुई। फिर 2002 में फिर से ज्यूडीशियरी के लोग एक साथ जुटे। यही इसकी पृष्ठभूमि है। माननीय सदस्या कह रही थीं कि यूएनओ का संदर्भ था और उसमें भी था कि करप्शन हर क्षेत्र से खत्म होना चाहिए। तो ज्यूडिशयरी से भी खत्म होना चाहिए। इसलिए इन सभी बातों को सोच-समझकर एकाउंटिबिलीटी बिल आप लाए हैं। लेकिन जो सच्चा, ईमानदार और काबिल आदमी है, उसके प्रोटैक्शन की आपने क्या व्यवस्था की है? यदि ईमानदार को प्रोटैक्शन की व्यवस्था नहीं होगी तो आप उसे केसे एकाउंटेबल बनाएंगे। यदि ईमानदार, काबिल और अच्छा आदमी कोई वाजिब फैसला कर देगा तो उसकी बदली कर दी जाएगी। ऐसा क्यों होता है, मैं जानना चाहता हूं। ईमानदार को प्रोटैक्शन हर जगह और हर क्षेत्र में मिलनी चाहिए, लेकिन ज्यूडिशयरी में जो ईमानदार और काबिल जज है, उनको प्रोटैक्शन, संरक्षण और हिफाजत मिलनी चाहिए तब ही वे ईमानदार और काबिल रह पाएंगे।

महोदय, उम्र का भी मुद्दा है। कई लोग कहते हैं कि नये लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। ब्रिटेन में जजों की रिटायरमेंट 70-75 साल है। लेकिन हमारे यहां निचली अदालतों में 60, हाई कोर्ट में 62 और सुप्रीम कोर्ट में 65 रिटायरमेंट की उम्र है। इसका क्या लॉजिक है? क्या हाई कोर्ट के जज का माथा 62 साल तक ही काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो 65 साल तक काम करेगा? लेकिन वकीलों को देखिए तो 80 साल तक के वकील वकालत कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आमद कर रहे हैं। कई लोग तो टहल भी नहीं सकते हैं, लेकिन घुसकते-घुसकते कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि उनकी बहस की बड़े फैसलों में अहमियत है। वकालत करने के लिए 80-85 वर्ष, लेकिन यहां कहते हैं कि जल्दी हटिए, जल्दी हटिए। क्यों जजों का पोस्ट खाली है? जब तक आप बहाली का उपाय नहीं कर पाते हैं, तब तक जजों को रिटायर मत कीजिए। अमेरिका में जजों की रिटायरमेंट है ही नहीं। आप उस बारे में अमेरिका से रिपोर्ट मंगाइए कि उस पर न्याय का अच्छा असर पड़ा है या खराब असर पड़ा है। उससे हम यह देखेंगे कि हमारी न्यायप्रणाली को कैसे दुरुस्त कैसे किया जाए? जनता को सही न्याय कैसे मिले? इसलिए उस हिसाब से देखना चाहिए, केवल इम्पलायमेंट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, यही हम सदन और सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। आपने 62 से 65 साल हाई कोर्ट के जजों की है, लेकिन निचली अदालतों के जजों, जहां करोड़ों-करोड़ मामले लंबित हैं, तीन करोड़ कुछ लाख मामले लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में हजारों-हजार मामले लंबित हैं, हाई कोर्ट में लंबित हैं और जिला कोर्ट में भी लंबित हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो तीन-चार करोड़ से कम नहीं होंगे। निचली अदालत के जजों को 60 साल में ही रिटायर कर दिया जाता है। यह माथा लगाने का काम है, इसमें फीजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। जब तक उनका माथा, बुद्धि काम करती रहे, उनको बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अनुभवी आदमी, ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसलिए उनकी एज में रिलैक्सैशन का भी उपाय कीजिए, वैसे तो यह राज्य सरकारों के हाथ में है, लेकिन आप करेंगे तो उसका असर उन पर भी पड़ेगा। जज लोग माथा वाला काम करते हैं, इसलिए जब तक उनका माथा काम करता रहे, उनको रिटायर नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जगह खाली रहेगी और मामले लंबित रहेंगे। यदि आप न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो उनके रहन-सहन की अच्छी व्यवस्था कीजिए। हम कई लोअर कोर्ट में जाते हैं, वहां बैठने की जगह नहीं है। उनके वकालतखाने का तो और बुरा हाल है। ज्यादातर वकील माननीय सदस्यों ने भाषण किया है। न्याय में वकील की भूमिका है। लेकिन उनकी फीस का कोई निर्धारण ही नहीं है। कोई बड़का वकील है तो उसकी पांच-दस लाख फीस है। 5-10 लाख की फीस कौन देगा? स्मगलर वगैरह या जो इधर-उधर करता है, वही उतना फीस देगा न, आम आदमी कहां से पांच लाख रुपया, दस लाख रुपया फीस देगा? सलमान साहब और सिब्बल साहब अपना कितना फीस रखे थे, हम नहीं जानते। लेकिन देखते हैं कि वकील के फीस की कोई सीमा नहीं है। अगर वकील के फीस की कोई सीमा नहीं रहेगी तो आप आदमी उसे केसे रखेगा? केस में खर्च के भय से उसमें कोई जाना नहीं चाहता। अब तक कितने केस लम्बित हैं? इसलिए न्याय प्रक्रिया प्रणाली में सुधार हो। उसमें भी नीचे वाले अधिकारी, कर्मचारी हैं। अभी हम कोर्ट में जाते हैं, पेशी नहीं लगता। जज साहब को कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। तारीख लेने में पेशी लग जाता है, नहीं तो डेट पर डेट पड़ रहा है।

सभापति महोदया, मैं वैदिक काल और बुद्धकाल की न्याय प्रक्रिया के बारे में बताता हूं। उस समय अष्टकुल का सिद्धांत था। सर्व दर्शन में एक न्याय दर्शन है, मीमांसा है, वैशेषिक न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है। सभी तरह के दर्शन इसमें हैं। दुनिया वालों ने हमसे न्यायिक दर्शन सीखा है। यह ठीक बात है कि बीच में हम दब गए थे। वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र में अष्टकुल का सिद्धांत था। उस समय में आठ जज होते थे। अपील सुनी जाती थी, उस पर कार्रवाई होती थी। निचली न्यायपालिका में जो जज मेधावी हैं, गरीब हैं, उनको दबा दिया जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। कई लोग बोलते हैं कि जजों की बहाली से बेरोजगारी दूर होगी। इसलिए उसमें जो काबिल, ईमानदार और मेधावी लोग हैं, वैसे आदमी को रखना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, तभी उसका एकाउंटेबिलिटी बिल उपयोगी और कारगर होगा, नहीं तो यह आधा-अधूरा प्रयास है, आधे मन से किया गया काम है।

महोदया, अब मेरी अन्तिम बात है। जो नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन बनेगा, उसमें भी सवाल उठेगा आरक्षण का। अगर मैं सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए कहूंगा तो बी.जे.पी. वाले देह नोंचने लगेंगे। सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि न्याय प्रणाली ठीक हुई।

[अनुवाद]

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग (अनंतनाग): सभापति महोदय, कल से दो महत्वपूर्ण विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं। एक विधेयक को पारित कर दिया गया है और दूसरा विधेयक, जोकि आज विचाराधीन है, बहुत जल्द पारित कर दिया जायेगा। ये दोनों विधेयक ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों विधेयक एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों ही विधेयक सबसे बड़ी बुराई, समस्या, आर्थिक आतंकवादी जिसे भ्रष्टाचार कहा जाता है जोकि समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है, पर नियंत्रण करना चाहते हैं। जहां तक भ्रष्टाचार पर नियंत्रपण की बात है, मेरे विचार में ये दोनों विधेयक आपस में जुड़े हैं।

यदि इस विधेयक को इस सदन में नहीं लाया गया होता तो कल का ऐतिहासिक विधेयक अपूर्ण रह जाता और वांछित परिणाम न दे पाता। न्यायपालिका के मामले में बैश्विक स्तर पर हमारी स्थिति (रैंकिंग) बहुत अच्छी नहीं है। मेरे विचार में वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे बुरी है। यदि आप भ्रष्टाचार नामक समस्या पर नियंत्रण करने हेतु इसे दायरे से बाहर रखते हैं। तो इससे वांछित परिणाम हासिल नहीं होते। किंतु समस्या यह है कि मामलों की संख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है। बैकलांग बहुत बड़ा है। यही कारण है कि हमने सभी सदस्यों को न्यायालयों में रिक्त पदों की समस्या के बारे में लगभग एकसुर में बोलते सुना। हमें इसका समाधान तत्काल करना होगा क्योंकि जब तक हम उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में सृजित हुए रिक्त पदों को नहीं भरते तब तक बैकलॉग बढ़ता ही रहेगा और हम कुछ भी अच्छा दे नहीं पायेंगे, जिसकी लोग व्यवस्था में आशा करते हैं।

मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, उस एक व्यक्ति जो पहले ही से संघर्षरत है और जिसका मामला विगत 16 वर्षों से लंबित है, को उच्चतम न्यायालय जाना होगा। दूसरा मामला जिसका मैं संदर्भ दे रहा हूं, बिहार से ताल्लुक रखने वाले पूर्व रेल मंत्री से जुड़ा हत्या का मामला है–37 वर्ष बीत चुके हैं। 22 साक्षियों में से 21 साक्षियों की मृत्यु पहले ही हो चुकी है; वे मर चुके हैं। अभी न्यायिक व्यवस्था को दोषियों के साथ न्यायिक कार्रवाई करनी है। अत:, जहां तक भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की बात है, जब तक ऐसे मामलों में न्यायिक व्यवस्था न्याय नहीं देती तब तक हम यह आशा नहीं कर सकते कि व्यवस्था कुछ अच्छा कार्य करेगी।

माननीय विधि मंत्री जी को यह ज्ञात ही होगा कि क्या यह विधान जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है। किंतु जम्मू और कश्मीर दुर्भायवश गलत बजहों से सुर्खियों में रहा है। मैं दो अच्छी चीज़ों, जो कि जम्मू और कश्मीर ने पहले ही कर दी हैं, का उल्लेख करना चाहता हूं। इनमें से एक है–संघीय व्यवस्था की संकल्पना। देश में जम्मू और कश्मीर मात्र ऐसा राज्य था जिसके पास 'संविधान में संविधान' है। जहां तक आरक्षण की बात है, जम्मू और कश्मीर ने इस ओर काफी हदतक ध्यान दिया है। 1952 में हमने निर्धन किसानों को सशक्त किया; हमने क्रांतिकारी कदम उठाया, जिसे 'भूमिहीन कृषक को भूमि' के नाम से जाना जाता है। हमने भूमिहीन निर्धन लोगों को सशक्त किया और उन्हें उनकी भूमि का स्वामी बनाया; हमने जमीदारी प्रथा को समाप्त किया तथा भारी ऋण माफ किये जिनसे किसान बोझिल थे। ये जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा दिये गये ऐतिहासिक निर्णय अथवा उठाये गये ऐतिहासिक कदम हैं।

आरंभ में कोई विधेयक परिपूर्ण नहीं होता कोई विधेयक अंतिम नहीं होता; हम समय के साथ-साथ सुधार कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि कल प्रस्तुत एवं पारित किये गये ऐतिहासिक विधेयकों, जिनके लिये मैं सरकार को बधाई अवश्य दूंगा, और उन विधेयकों जो आज पारित किये जायेंगे, दूरगामी परिणाम होंगे। देश के लोग भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था के इन्तज़ार में है, यदि हम इन दोनों विधेयकों में सुधार करते हैं तो आशा है कि एक दिन ऐसा आयेगा जब लोग पूर्णत: भ्रष्टाचार-मुक्त न सही परंतु कम-से-कम सबसे कम भ्रष्ट देश तो देखेंगे ही।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण): मैडम, माननीय सदस्य ने सही सूचना के अभाव में बोला कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का मर्डर हुआ था। बिहार में कभी किसी चीफ मिनिस्टर का मर्डर नहीं हुआ। बिहार में पूर्व रेल मंत्री ललित बाबू का मर्डर हुआ था। यह जो प्रोसिडिंग में गलत बात आई है, इसे करेक्ट कर दिया जाए। . ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: इसे करेक्ट कर दीजिए।

श्री लालू प्रसाद: इसे ठीक करा दीजिए।

सभापति महोदया: इसे ठीक करा दिया है, रिकार्ड में आ गया है।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो (पुरूलिया): आज हम न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 पर चर्चा कर रहे हैं।

अनेक माननीय सदस्य जिनके पास न्यायपालिका से संबंधित व्यापक अनुभव एवं ज्ञान है ने विद्यमान परंपरा, कमियों तथा खामियों पर विस्तृत चर्चा की है।

न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। स्वतंत्रता के 64 वर्षों बाद हमने देश में क्या देखा है? सत्र न्यायालय से लेकर जिला और उच्चतम न्यायालय तक करोड़ों मामले लंबित हैं।

न्यायाधीशों के अभाव में मामले लम्बे समय से लटके पड़े हैं। न्यायाधीशों के अनेक पद रिक्त है परन्तु तंत्र इन रिक्तियों को भरने में असफल रहा है। अत: महोदय आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन है कि सरकार इस मामले पर ध्यान दे तथा तत्काल इन रिक्तियों को भरे ताकि इन मामलों से जुड़े लोगों की परेशानी दूर की जा सके।

संघ लोक सेवा आयोग आईएएस, आईपीएस तथा आईएफएस

के लिए परीक्षा आयोजित करता है किन्तु न्यायाधीशों के लिए नहीं। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के संबंध में माननीय संसद सदस्यों ने मंत्री से चर्चा की थी। अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन शीघ्र किया जाए।

मैंने पूर्व में इस पर चर्चा की थी और सुझाव दिया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा चयन मैरिट के आधार पर हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय से न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण संबंधी मामले में भी यही नीति अपनायी जानी चाहिए।

सरकार को उच्च तथा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उपबंधों को पारदर्शी बनाना चाहिए। न्यायपालिका में अनुशासन का अत्यंत महत्व है। मेरा कहना है कि हम इस सभा में भ्रष्टाचार पर चर्चा कर रहे हैं मेरा मानना है कि यदि न्यायपालिका को और अधिक अनुशासित एवं प्रभावी बनाया जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हटाया जा सकता है।

मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में कूच बिहार से कोलकाता की दूरी 800 कि.मी. है। न्यू जलपाईगुड़ी में 2000 में कोलकाता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच की स्थापना हेतु मंजूरी एवं संस्वीकृति दी गई थी। इस खंडपीठ से संबंधित सभी आधारभूत संरचना 40 बीधा जमीन पर बनाई गई थी किन्तु केन्द्र सरकार से मंजूरी न मिल पाने के कारण इसकी शुरूआत नहीं हो सकती। महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसे शीघ्र आरंभ किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि बीएसी में इस बिल पर चर्चा के लिए 4 घंटे एलॉट किये गये थे। आज सवा ग्यारह बजे चर्चा प्रारम्भ हो गयी थी, इसलिए कायदे से आज तीन बजे इस पर वोटिंग होनी चाहिए थी।

सभापति महोदया: आप किस रूल के तहत इसे उठा रही हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज: जो बीएसी में तय होता है, वह सदन में पूरा होता है। मैडम, आप मेरी बात तो सुन लीजिये।

सभापति महोदया: जी, बोलिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप स्वयं बीएसी की मेंबर हैं। आप उसकी साक्षी हैं। वरना हम बीएसी में टाइम एलॉट क्यों करते हैं? यही रूल है। बीएसी का टाइम एलॉटमेंट यहां पढ़ा जाता है तो बीएसी में इस बिल के लिए चार घंटे का टाइम एलॉटमेंट किया गया था। 11 बजे चर्चा शुरू हुई तो कायदे से 3 बजे इस पर वोटिंग होनी चाहिए थी। ...(*व्यवधान*)

एक माननीय सदस्य: टाइम बढ़ा दीजिए। ...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: एक मिनट, हां तो टाइम बढ़ा लीजिये, लेकिन इसके लिए सेंस ऑफ दी हाउस तो लेनी पड़ेगी। ...(*व्यवधान*) मेरी बात पूरी होने दीजिए।

मैडम, कल एक बहुत महत्वपूर्ण व्हिसल ब्लोअर बिल इसी सदन में लगा था। केवल एक सदस्य उस पर हमारी तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए थे। 13 मिनट बाद सभापति ने कह दिया, योर टाइम इज अप, क्योंकि जो चर्चा का समय तय था, जो टोटल टाइम निर्धारण था, वह खत्म हो गया था। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि तीन बजे जिस बिल पर वोटिंग होनी थी, तीन बजे से हमारे लोग वोट करने के लिए बैठे हैं। सत्तापक्ष के लोग तो नया साल मनाने के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। कल इन्हें एक हार का मुंह देखना पड़ा। इनका एक संविधान संशोधन गिरा और कल इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। आज वापस ये हारने वाले हैं, इसलिए डिस्कशन बढ़ाते जा रहे हैं। व्हिसल ब्लोअर बिल पर तो एक मिनट नहीं मिलेगा, व्हिसल ब्लोअर बिल पर तो एक मिनट नहीं बढ़ाया जा सकता और इस पर डिस्कशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास नंबर नहीं है।

मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि क्या सरकार का नंबर जुटाने के लिए डिस्कशन को बेवजह बढ़ाया जा सकता है? सरकार हारने वाली है। संविधान संशोधन करने का नंबर इनके पास नहीं है। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: पहली बात तो मैंने आपसे पूछा था कि किस नियम के तहत आप प्वाइंट ऑफ आर्डर उठा रही हैं?

...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप मंत्री जी का उत्तर दिलवाइए और इस पर वोटिंग कराइए, हमारे लोग वोट करने के लिए बैठे हुए हैं। ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: फिर भी आपने किस रूल के तहत प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाया है?

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: आप बैठिए।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: वोटिंग का कोई टाइम नहीं था।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: इसे पास कराइए। हम लोग इसे पास कराने के लिए तैयार हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: बीएसी का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदया: मैंने अभी आपसे कहा कि बीएसी में कुछ क्षण या घंटे निर्धारित होते हैं, लेकिन हाउस सर्वोपरि है। हाउस में इस बिल पर बोलने वाले अनेक सदस्य हैं, जो इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलना चाहते हैं। इसलिए हाउस की मंशा को देखते हुए यह कभी सुनिश्चित नहीं हुआ था कि बिल कितने बजे पारित होगा। हाउस की मंशा सर्वोपरि होती है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: कृपया श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर साहब बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोनानी): महोदया, इस महत्वपूर्ण विधान पर चर्चा में भाग लेने का मौका देने के लिए धन्यवाद *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: यह असंवैधानिक है।

...(व्यवधान)

*कार्यवादी वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदया: आप सभी संसद की मंशा को समझें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: अभी बिल खत्म नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्री सलमान खुर्शिद अल्पसंख्यकों के आरक्षण के संबंध में वक्तव्य देंगे। यह अनुपूरक कार्य का भाग है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया: यह सप्लिमेन्ट्री बिजनेस है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: केवल मंत्री जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 4:42 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): महोदय आपकी आज्ञा से मुझे यह संपूर्ण पाठ पढ़ने की अनुमति दी जाए जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तव्य है *...(व्यवधान)*

द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे सामान्यत: मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सिविल पदों और सेवाओं में 27 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित करते हुए भारत सरकार ने दिनांक 13 अगस्त, 1990 को अधिसूचना जारी की थी।*...(व्यवधान)*

*कार्यवादी वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यद्यपि, अल्पसंख्यक आबादी में पिछड़े वर्गों को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया था, फिर भी, पिछले दो दशकों से अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कोटा प्रदान करने की मांग बढ़ती जा रही थी। तथ्य को ध्यान में रखा जाए तो देश में अल्पसंख्यकों को प्रमुख वर्ग अत्यंत पिछड़ा है।

अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति का आकलन करने के संबंध में भारत सरकार ने दिनांक 29 अक्तूबर, 2004 को राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग (एनसीआरएलएम) की स्थापना अधिसूचित की थी और यह आयोग न्याय मूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में दिनांक 15 मार्च, 2005 को गठित हुआ था। एनसीआरएलएम का गठन विशेष रूप से धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उपायों की अनुशंसा करने और उनकी पहचान के मानदंड सुझाने, जिसमें शैक्षिक और सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी शामिल है, के लिए किया गया था। ...(*व्यवधान*) आयोग को यह भी आदेश दिया गया था कि वह अपनी अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए यथापेक्षित आवश्यक संविधानिक, विधिसम्मत और प्रशासनिक रूपात्मकताओं को भी सुझाए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दिनांक 10 मई, 2007 को प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत कर दिया गया था। आयोग की अनुशंसाओं में अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षा और सरकारी नौकरी में अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित शामिल हैं–

राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग ने पाया है कि चूंकि सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक–विशेषकर मुस्लिम का प्रतिनिधित्व बहुत कम है तथा कभी-कभी पूर्णत: गैर-प्रतिनिधित्व है, इसलिए उन्होंने अनुशंसा की है कि इस संदर्भ में उन्हें संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़ा माना जाना चाहिए। ऐसा करते समय "पिछड़ा" शब्द को "सामाजिक एवं शैक्षिक" शब्दों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के तहत सभी संवर्ग और ग्रेड में 15 प्रतिशत पर उनके लिए निर्धारित होना चाहिए। इस 15 प्रतिशत में से एनसीआरएलएम की अनुशंसा के अनुसार 10 प्रतिशत मुस्लिमों के लिए तथा शेष 5 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए।

एनसीआरएलएम ने आगे टिप्पणी की है कि उनके द्वारा अनुशंसित उपर्युक्त कार्रवाई के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पूरी स्वीकृति आवश्यक होगी। ...(*व्यवधान*) इस अनुशंसा को कार्यान्वित करने में कुछ बड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, जैसा कि विकल्प के तौर उन्होंने अनुशंसा की है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक, कुल ओबीसी आबादी के 8.4 प्रतिशत हैं। इसलिए ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत में से 8.4 प्रतिशत उप-कोटा अल्पसंख्यकों के लिए, जिसमें से 6 प्रतिशत मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की कुल आबादी में मुस्लिमों की 73 प्रतिशत आबादी के अनुरूप होगा। इसके अतिरिक्त, 2.4 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यकों के लिए होना चाहिए जो विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों में अल्पसंख्यकों की आबादी के अनुरूप होगा।" एनसीआरएलएम की इस अनुशंसा के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता अन्य पिछड़ी जातियों के 27 प्रतिशत कोटे में से जनसंख्या अनुपात के आधार पर 4. 36 प्रतिशत होनी चाहिए। ...(*व्यवधान*)

जहां तक गैर-अल्पसंख्यक संस्थाओं में अल्पसंख्यको के लिए सीटों के आरक्षण की बात है, इस संदर्भ में आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 46 के प्रति सहमति जतायी है, जिसमें "कमजोर वर्ग के लोगों" का उल्लेख है तथा पिछड़ेपन की स्थिति के साथ उन्हें नहीं जोड़ा गया है और राज्य पर ऐसे वर्गों की शैक्षिक एवं आर्थिक एवं आर्थिक हित का ध्यान रखने और उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। आयोग का यह मानना है कि अनुच्छेद 46 की तर्ज पर समस्त अल्पसंख्यक समुदाय को कमजोर वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाना संभव है तथा गैर-अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में उनके लिए कानूनन सीट आरक्षित रखे जा सकते हैं। ... (*व्यवधान*)

सरकार ने वर्ष 2005 में न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति (जिसे सच्चर समिति के रूप में जाना जाता है) का गठन भारत में मुस्लिम समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए की थी। इस समिति को भारत में मुस्लिम समुदाय से संबंधित सूचनाओं को एकत्र कर उनका विश्लेषण करना था ताकि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक स्थिति संबंधी संगतपूर्ण मुद्दों का सरकार द्वारा समाधान किए जाने के लिए कार्यक्षेत्र का अभिनिर्धारण किया जा सके। सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2006 में प्रस्तुत कर दी थी, जिसने भारत में मुस्लिमों के परस्पर वंचित रहने की बात स्पष्ट की थी तथा इस समुदाय के समावेशी विकास की जरूरत बतायी थी। सच्चर समिति द्वारा आरक्षण के संबंध में कुछ विशिष्ट अनुशंसाएं की गयी थीं। ...(*व्यवधान*)

मुस्लिमों में अरजल और अजलफ को ओबीसी श्रेणी में शामिल करते हुए मंडल आयोग ने मुस्लिमों द्वारा सामना किए जा रहे वंचना और असमानता को नजरअंदाज कर दिया था। सामाजिक दृष्टि से सबसे नीचे होने के कारण अरजलों की स्थिति एक दम खराब है तथा उन पर अलग से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। सच्चर समिति ने उल्लेख किया है कि यह सर्वथा उचित होता,

यदि उन्हें एससी की सूची में अथवा ओबीसी श्रेणी में से एक अलग श्रेणी मोस्ट बैकवर्ड कलासेस में शामिल कर लिया गया होता ...(*व्यवधान*)

सच्चर समिति ने आगे यह भी कहा है कि भारत में मुस्लिम अपने सामाजिक संरचना के मद्देनजर तीन वर्गों में बटे हुए हैं:– अशरफ, अजलफ और अरजल। तीनों वर्गों के लिए अलग तरह की सकारात्मक कार्रवाई अपेक्षित है। दूसरे वर्ग अजलफ/ओबीसी के लिए अतिरिक्ति सावधानी आवश्यक है, जो हिन्दू ओबीसी की तरह हो सकते हैं। तीसरे वर्ग, जिनके पारम्परिक धंधे एससी की तरह हैं, को मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि इनके लिए विविध उपाय आवश्यक हैं, जिसमें दलित होने के कारण उनके लिए आरक्षण भी शामिल है। इस प्रकार सच्चर समिति ने भी भारत की मुस्लिमों के लिए आरक्षण के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। ...(*व्यवधान*)

कई वर्षों से धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबद्ध सदस्य अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण में से अपने लिए अलग से आरक्षण का कोटा निर्धारित करने की मांग करते आ रहे हैं। सच्चर समिति ने अंततः यह पाया था कि भारत में मुस्लिम समुदाय सर्वाधिक पिछड़े समुदाय में से एक है और इस प्रकार इस समुदाय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ...(*व्यवधान*)

एनसीआरएलएम ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के कोटे में से उन धार्मिक समुदायों के लिए अलग से कोटा निर्धारित होना चाहिए, जो धार्मिक समुदाय वर्तमान में प्रचलित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल हैं। मंडल आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि अन्य पिछड़े वर्गों की वंचित आबादी कुल आबादी की लगभग 52 प्रतिशत है, जिनमें हिन्दू जाति/समुदाय से लगभग 43.7 प्रतिशत तथा गैर-हिन्दू जाति एवं समुदायों से लगभग 8.4 प्रतिशत हैं। इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों में गैर-हिन्दू और हिन्दू जाति/जातियों/समुदायों का अनुपात लगभग 1:5 है। ...(*व्यवधान*) वर्ष 2011 की जनगणना के अद्यतन आकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जाति आधारित जनगणना संबंधी आकड़े भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए मंडल आयोग द्वारा वर्ष 1931 की जनगणना संबंधी आकड़े के आधार पर किए गए आकलनों पर आज भी विचार किया जा रहा है। ...(*व्यवधान*)

इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में उल्लेख था कि :

"हमारा यह मानना है कि राज्य द्वारा वर्गीकृत पिछड़े वर्गों को पिछड़े अथवा अधिक पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत करने की दिशा में कोई सांविधानिक अथवा कानूनी अवरोध नहीं है। हमारा कहना यह नहीं है कि ऐसा किया ही जाना चाहिए। हमारी चिंता उस प्रश्न से है कि कोई राज्य ऐसा वर्गीकरण करता है तो क्या यह अवैध होगा? हमारा मानना है, नहीं।" ...(*व्यवधान*)

इस प्रकार इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय से यह स्पष्ट है कि सरकार के पास ओबीसी के मध्य उप-श्रेणीकरण करने का वैध अधिकार है, जिससे ओबीसी की विस्तृत श्रेणी में शामिल जातियों/समुदायों में आरक्षण के लाभ का समान वितरण संभव हो सकेगा। ...(*व्यवधान*) यद्यपि, उपलब्ध सूचना के अनुसार 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी सूची है तथा 9 राज्यों ने अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी राज्य सूची में जातियों/समुदायों को उप-श्रेणीबद्ध कर रखा है। ये राज्य हैं–आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, केरल और सिक्किम। ...(*व्यवधान*)

भारत में पिछली जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में हुई थी। मंडल आयोग ने यह उल्लेख करते हुए वर्ष 1931 की जनगणना के आकड़ों पर अनुमान लगाया था कि चार दशकों से अन्य पिछड़े वर्गों की वंचित आबादी कुल आबादी की लगभग 52 प्रतिशत है, जिनमें हिन्दू जाति/समुदाय से लगभग 53.60 प्रतिशत तथा गैर-हिन्दू जाति एवं समुदायों के लगभग 8.40 प्रतिशत है। ...(*व्यवधान*) पिछले दशक में मुस्लिमों की आबादी हिन्दुओं की आबादी की तुलना में वृद्धि पर होने के कारण दोनों के मध्य आबादी का अनुपात लगभग 1:5 है। अतः सरकार ने उप-कोटा 4.5 प्रतिशत निर्धारित किया है। ...(*व्यवधान*)

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदायों का केवल पिछड़ा वर्ग ही 4.5 प्रतिशत के उप-कोटे का लाभ उठा सकता है। ...(*व्यवधान*) अतः केन्द्रीय ओबीसी की सूची में उसे सम्मिलित करने अथवा सम्मिलित न करने की बात अल्पसंख्यकों, जिसमें मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध और पारसी शामिल हैं, जैसा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) में व्यवस्था दी गयी है, अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन के आधार पर होगी। ...(*व्यवधान*) यह आरक्षण कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (डीओपीटी) के दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के का. ज्ञा. संख्या 41018/2/2011-स्था. (आरईएस) के अनुसार केन्द्र सरकार की नौकरियों और सेवाओं के लिए तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना

संख्या एफ1-1/2005-यू. 1ए/846 के अनुसार केन्द्र सरकार के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी लागू होगा। ...(*व्यवधान*)

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 6105/15/11]

न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 और संविधान (एक सौ चौदहवां संशोधन) विधेयक, 2010

(अनुच्छेद 217 और 224 का संशोधन)–जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदया: श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर विधेयक पर बोलेंगे।

...(*व्यवधान*)

श्री मोहम्मत ई.टी. बशीर (पोलानी): सभापति महोदया, इस महत्वपूर्ण विधान पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ...(*व्यवधान*) मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि एक के बाद एक ऐतिहासिक विधान प्रस्तुत किए जा रहे हैं जैसा कि श्री कपिल सिब्बल ने कल बिल्कुल सही बात कही थी ...(*व्यवधान*) विविध विधान लाए जा रहे हैं जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि . ..(*व्यवधान*) कल लोकपाल विधेयक अधिनियमित किया गया था ...(*व्यवधान*) आज न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक देश के लिए अत्यंत आवश्यक है ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

सभापति महोदया: केवल श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर की ही बात रिकार्ड में जायेगी।

...(*व्यवधान*)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। व्याख्या का कोई प्रश्न नहीं है।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: जब तक आप नियम उद्धृत नहीं करते हैं मैं आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दूंगी।

...(*व्यवधान*)

अपराह्न 4.53 बजे

इस समय श्री के.डी. देशमुख और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

सभापति महोदया: माननीय सदस्यों, यह उचित नहीं है।

...(*व्यवधान*)

सभापति महोदया: सभा कल 29, दिसम्बर, 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.54 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 29 दिसम्बर, 2011/8 पौष, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:èkèkwww.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।